भारतीय जनसंघ घोषणाएं व प्रस्ताव 1951-72

भारतीय जनसंघ
घोषणाएं व प्रस्ताव
1951-72

भाग 5

शिक्षा आदि व दलीय गतिविधियों पर प्रस्ताव

12C/2070

"भारतीय जनसंघ का जन्म केवल आने वाले चुनावों को दृष्टिगत रखकर नहीं हुआ है। चुनावों का निस्संदेह अपना महत्व है और जहां भी समय होगा हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। किन्तु चुनाव हमारे लिए एक अवसर-मात्र होगा अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का और एक अखिल भारतीय दल के नाते जनसंघ की दृढ़ नींव डालने का। चुनावों के परिणाम कुछ भी हों, हमारा दल आशा और सद्भाव का संदेश जन-जन तक पहुंचाता रहेगा और उन्हें प्रेरित करता रहेगा कि एक अधिक सुखी और सम्पन्न भारत के निर्माण में योगदान दें।"

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी
संस्थापक अध्यक्ष
[संस्थापना दिवस अध्यक्षीय भाषण
21 अक्टूबर 1951; दिल्ली]

Presented
by
Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran"
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव

भाग 5

शिक्षा आदि व दलीय गतिविधियों पर प्रस्ताव

भारतीय जनसंघ
केन्द्रीय कार्यालय
विट्ठलभाई पटेल भवन
नई दिल्ली-110001, भारतवर्ष

भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव

भाग 5 — शिक्षा आदि व दलीय गतिविधियों पर प्रस्ताव

मूल्य — साधारण जिल्द : 13·00 रु०
पक्की जिल्द : 16·00 रु०

प्रथम संस्करण — विजयादशमी, 6 अक्तूबर 1973

प्रकाशक :
भारतीय जनसंघ
केन्द्रीय कार्यालय
विट्ठलभाई पटेल भवन
नई दिल्ली-110001, भारतवर्ष

मुद्रक :
रूपक प्रिंटर्स
नवीन शाहदरा
दिल्ली-110032, भारतवर्ष

आवरण सज्जा :
पाल बन्धु

Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran"
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

प्रस्तावना

भारतीय जनसंघ गत 21 अक्तूबर 1972 को अपने जीवन के 21 वर्ष पूर्ण कर, तरुणाई में प्रविष्ट हो चुका है। भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के जीवन में दो दशक अधिक महत्त्व नहीं रखते, किन्तु जनसंघ के लिए यह कालखंड अत्यधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह उसके जन्म और प्रारंभिक जीवन की कहानी प्रस्तुत करता है।

जब जनसंघ एक नये राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आया तब देश विभाजनोत्तर समस्याओं में उलझा हुआ था। कांग्रेस नेतृत्व का यह आशावाद कि पृथक पाकिस्तान की स्थापना से साम्प्रदायिक घृणा और संघर्ष का दीर्घकालीन अध्याय सदा के लिए समाप्त हो जायेगा, फलीभूत नहीं हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्व समाप्त होने के बजाय, विस्तृत होकर, भारत-पाक संघर्ष में बदल गया था। जम्मू-काश्मीर पर पाक आक्रमण कायम था। पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में हिन्दुओं का योजनाबद्ध विनाश चल रहा था। पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति के संबंध में, जो एक दृष्टि से विभाजन के पूर्व की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का ही विस्तार मात्र थी, व्यापक जन-असंतोष था। यहां तक कि स्वयं नेहरू मंत्रिमंडल में ही गहरे मतभेद थे जो कि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के त्यागपत्र के साथ प्रकाश में आ गये।

यह नितांत स्वाभाविक था कि इस विशेष परिस्थिति में गठित राजनीतिक दल पाकिस्तान के खतरे के प्रति देश को सावधान और सन्नद्ध करने पर सर्वाधिक बल देता। किसी देश के लिए और विशेषतः भारत जैसे नव-स्वतंत्र और विभक्त राष्ट्र के लिए अपनी स्वतंत्रता और अखण्डता की रक्षा से बढ़कर और क्या कार्य हो सकता था ? किन्तु जनसंघ नेतृत्व यह भलीभांति जानता था कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैन्य बल के साथ-साथ आर्थिक तथा औद्योगिक शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। यही कारण है कि 21 अक्तूबर 1951 को स्वीकृत अपने प्रथम घोषणा-पत्र में जहां जनसंघ ने भारत को 'शक्तिशाली और सुसंगठित' बनाने का ध्येय सामने रखा, वहां उसकी 'सुसम्पन्नता' पर भी जोर दिया। घोषणा-पत्र में भारत को 'एक सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र' बनाने की बात कही गई 'जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता हो'। समान अवसर का सिद्धांत दलित तथा उपेक्षित वर्गों के लिए कठिनाई का कारण न बन

जाय, इस दृष्टि से उनकी 'आर्थिक और शैक्षणिक' प्रगति के लिए विशेष सहायता का प्रतिपादन किया गया।

आर्थिक प्रश्नों पर जनसंघ का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मतवादी न होकर व्यवहारवादी रहा है। पूर्ण राष्ट्रीयकरण और खुली छूट दोनों को अस्वीकृत करके जनसंघ ने एक मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया। उसने प्रतिरक्षा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, किन्तु "अन्य उद्योगों को उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए, राज्य के नियंत्रण के अधीन व्यक्तिगत साहस का अवसर प्रदान करने" की नीति अपनाई। आर्थिक उन्नति के लिए जनसंघ ने सन् 1951 में "उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता तथा उपभोग में संयम" के जिस त्रिसूत्र का उच्चारण किया था वह आज भी कितना सुसंगत, उपादेय तथा व्यावहारिक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

जमींदारी का उन्मूलन करने तथा कृषक को भूमि का स्वामित्व देने, श्रमिक को उद्योग के लाभ में साझीदार बनाने, कुछ उद्योगपतियों को अपने हाथों में देश की आर्थिक शक्ति को केन्द्रित करने से रोकने, अनुचित लाभ की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने व विभिन्न वर्गों की आय में बहुत अंतर न रहे इस दृष्टि से कराधान करने के सुझाव देकर जनसंघ ने असंदिग्ध रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि वह यथास्थिति को बनाये रखने के लिए राजनीति के रंगमंच पर नहीं आया। वह परिवर्तन में विश्वास रखता है, किन्तु परिवर्तन भारतीय जीवन मूल्यों के अनुकूल और लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए।

सन् 1951 से लेकर 1972 तक की जनसंघ की यात्रा अनेक उतार-चढ़ावों से परिपूर्ण रही है। उसने 5 चुनाव लड़े हैं और जय-पराजय के मीठे-कड़ुवे फलों का समान रूप से रसास्वादन करते हुए भारतीय राजनीति में अपने लिए एक स्थान बनाने में सफलता पाई है। इसी बीच में देश की राजनीति में भी गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। बालिग मताधिकार, शिक्षा के प्रसार, संचार साधनों के विस्तार तथा प्रेस और रेडियो ने जन-जागृति को बढ़ाने में योगदान दिया है। आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हुआ है। सदियों से दलित तथा उपेक्षित वर्ग अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए व्यग्र है। राष्ट्रीय समृद्धि में साझीदार बनने की जनसाधारण की इच्छा नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में किसी भी ऐसे राजनीतिक दल के लिए जिसने जन-कल्याण का लक्ष्य सामने रखा है, जनता की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को समझना और उनके साथ स्वयं को अधिकाधिक एकाकार करना आवश्यक है। भारतीय जनसंघ ने ऐसा ही किया है। जनसंघ की आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का केन्द्र-बिन्दु वह 'दरिद्र' है जिसमें हमने 'नारायण' के दर्शन किये हैं और जिसे सुखी तथा सन्तुष्ट बनाने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता।

एक मध्यमार्गीय दल के नाते जनसंघ को अतिदक्षिण तथा अतिवाम दोनों ही ओर के हमलों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में खुली छूट के हिमायतियों ने हमें कम्युनिस्टों से भी अधिक बुरा कहा है। दूसरी ओर तथाकथित प्रगतिवादियों की दृष्टि में जनसंघ प्रतिक्रियावादी तथा निहित स्वार्थों का संरक्षक है। ये दोनों प्रकार की आलोचनाएं सर्वथा निराधार और विद्वेषपूर्ण हैं।

जनसंघ के आलोचकों का एक तीसरा वर्ग भी है जो उस पर हवा के साथ बहने और पुराने पथ से विचलित होने का आरोप लगाता है। उदाहरण के लिए गाजियाबाद में जनसंघ द्वारा शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने के संबंध में किये गये निर्णय को पेश किया जाता है। अधिकतम और अल्पतम आय के अनुपात को मर्यादित करने के प्रस्ताव को भी इसी श्रेणी में माना जाता है।

शहरी सम्पत्ति की सीमाबंदी का प्रश्न जनसंघ के जन्मकाल से ही उसके सामने रहा है। जब दल ने कृषि-भूमि की अधिकतम सीमा तय करने का फैसला किया था तभी यह बात बलपूर्वक कही गई थी कि शहरी सम्पत्ति की भी सीमा तय होनी चाहिए। उस समय दल का मत बना कि अभी उसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। वैसे 'भारतीय संस्कृति और मर्यादा' के आधार पर प्राचीन भारत को आधुनिक रूप देने तथा समतायुक्त समाज की रचना करने के लिए कृत-संकल्प कोई दल सम्पत्ति, आमदनी तथा उपभोग के अधिकार को अमर्यादित नहीं मान सकता।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भूमि तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा के निर्धारण के पक्ष में जनसंघ के तर्क अन्य दलों से भिन्न हैं। हमें यह कभी भ्रम नहीं रहा कि जोत की हदबंदी के बाद भूमिहीनों में वितरित करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि मिलेगी और ग्रामीण बेरोजगारी दूर हो जायेगी। गत 25 वर्षों के अनुभव ने जनसंघ को सही सिद्ध किया है। हदबंदी के समर्थन के हमारे अपने कारण थे, जिनमें सबसे प्रमुख कारण यह था कि अन्नोत्पादन की वृद्धि के लिए सघन खेती आवश्यक है और उसके लिए खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत रुचि ली जा सके और जिसकी अच्छी तरह देखभाल की जा सके। भारत की वर्तमान स्थिति में कृषि का विशाल पैमाने पर यंत्रीकरण अनुपयुक्त होगा, यह विचार भी जनसंघ के सामने था।

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के मूल में भी शहरी भूमि का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग करने की भावना रही है। गाजियाबाद अधिवेशन में जनसंघ ने शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधते समय भूमि तथा मकान की कीमत अलग-अलग आंकने का जो सुझाव दिया है, उसका व्यापक स्वागत हुआ है। नगरों में बड़े-बड़े बाग-बगीचों तथा तैरने के तालाबों से युक्त आलीशान मकानों का निर्माण, आज की स्थिति में वैभव का भोंड़ा प्रदर्शन है। जनसंघ का

मत है कि निवास के लिए कोई भी मकान 1,000 वर्ग गज भूमि के अंतर्गत ही होना चाहिए।

गाजियाबाद अधिवेशन में स्वीकृत आर्थिक प्रस्ताव में जब जनसंघ ने आर्थिक विषमता को कम करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम व्यय-योग्य आय का अनुपात 1 : 20 करने के सुझाव को समाविष्ट किया तो कुछ लोग हैरत में आ गये। उन्होंने यह फतवा दे दिया कि जनसंघ वामपंथी हो रहा है। अनेक समाचारपत्रों ने इस आशय की टिप्पणियां लिखीं। उनमें से कुछ ने जनसंघ को 'नई दिशा' अपनाने के लिए सराहा भी। प्रशंसा और निन्दा के इस शोरगुल में दोनों प्रकार के लोग यह बात भूल गये कि 1 : 20 के अनुपात की बात जनसंघ ने पहली बार गाजियाबाद में नहीं कही। यह सुझाव सबसे पहले 1952 में दिल्ली में हुई केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में दिया गया था जिसे बाद में 1954 में इन्दौर में पारित दल के घोषणा-पत्र में समाविष्ट किया गया। 'आय की मर्यादा' में कहा गया था :

> "जनसंघ समाज के विभिन्न वर्गों की आय के अंतर में कमी करने के लिए धन के समवितरण तथा सभी नागरिकों को जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस दृष्टि से अधिकतम आय 2,000 रु० प्रति मास तथा न्यूनतम आय 100 रु० प्रति मास निर्धारित कर यह प्रयत्न किया जाय कि न्यूनतम आय निरन्तर बढ़ती रहे जिससे दृश्यमान भविष्य में न्यूनतम और अधिकतम आय के अंतर का अनुपात 1 : 10 हो जाय।"

दो वर्ष बाद 1956 में दिल्ली अधिवेशन में इस प्रश्न पर पुनः चर्चा हुई और यह स्पष्ट किया गया कि इस संदर्भ में 'आय' का अर्थ 'व्यय-योग्य आय' है। यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक परिश्रम अथवा कार्यकुशलता के बल पर अधिकतम से भी अधिक उपार्जन करता है तो उस धन का उपयोग करने के बजाय 'उसे दान, कर, अनिवार्य ऋण अथवा विनियोजन के रूप में विकास कार्य में लगाना' चाहिए। बाद में सभी आम चुनावों के अवसरों पर जारी घोषणा-पत्रों में व्यय-योग्य आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात को दोहराया गया। आलोचकों ने या तो उन्हें पढ़ा नहीं और यदि सरसरी तौर पर पढ़ा भी तो उसके महत्व को हृदयंगम नहीं किया।

अपनी आधारभूत मान्यताओं पर दृढ़ और अपने मौलिक चिंतन के प्रति प्रामाणिक रहकर जनसंघ ने वक्त के तकाजों को सुना है और उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास किया है। जैसा कि दल के नाम से ही स्पष्ट है, जनसंघ

जनता का संघ है और आज बहुसंख्यक जनता स्वाधीनता के 25 वर्षों के पश्चात् व चार योजनाओं के बाद भी अभाव, अज्ञान और बीमारी से पीड़ित है। इस स्थिति में सुधार करना, हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा चिकित्सा की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाना, तदनुसार माल तथा सेवाओं की वृद्धि का व्यापक कार्यक्रम अपनाना, उसके लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक विशेष प्रौद्योगिकी का विकास और अवलम्बन करना, जिससे उत्पादन के साथ उत्पादन में लगे हुए हाथ भी बढ़ सकें—ऐसे कार्य हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जनसंघ की 'स्वदेशी योजना' इन्हीं उद्देश्यों, वरीयताओं तथा व्यूहनीति पर आधारित है। सम्भवतः जनसंघ ही एकमेव प्रतिपक्ष है जिसने न केवल आर्थिक नियोजन में आमूल परिवर्तन की मांग की है, बल्कि एक वैकल्पिक योजना का खाका भी प्रस्तुत किया है। जनसंघ के आर्थिक चिंतन से किसी का मतभेद तो हो सकता है, किन्तु कोई विचारशील व्यक्ति अब उसकी उपेक्षा करने की भूल नहीं कर सकता।

वस्तुतः यदि आज जनसंघ सत्ताधीशों तथा उनके साम्यवादी और सम्प्रदायवादी साथियों के संयुक्त प्रहारों का केन्द्र बना हुआ है तो उसका कारण यही है कि ये तत्व इस तथ्य को अधिकाधिक समझने लगे हैं कि जनसंघ न तो किसी अन्य दल में से निकला हुआ असंतुष्ट लोगों का एक गुट है और न किसी वर्ग विशेष के स्वार्थों की रक्षा के लिए निर्मित एक 'लॉबी' है, बल्कि एक प्रभावी विकल्प है, जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय की त्रिवेणी में अवगाहन करने के लिए भारतीय जनता को प्रेरित व संगठित कर सकता है।

मुझे खुशी है कि जनसंघ के सिद्धांतों, नीति और कार्यक्रमों संबंधी दस्तावेजों को, विषयानुसार संकलित करके, प्रकाशित किया जा रहा है। निस्संदेह यह दस्तावेज उन सबके लिए बहुत लाभदायक होंगे जिनकी भारत के सार्वजनिक जीवन में रुचि है।

मकर सक्रांति
14 जनवरी 1973

—अटल बिहारी वाजपेयी

Smt. Dr. G. V. Saroja "Kiran"
Vidushi Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

प्राक्कथन

भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्तूबर 1951 को हुई। तब से जनसंघ ने प्रायः सभी आम और मध्यावधि चुनावों में भाग लिया है। विभिन्न विधायिकाओं में तथा उनके बाहर भी, उसके प्रतिनिधियों को अपने दल के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उसके प्रस्तावों, संकल्पों और घोषणा-पत्रों के प्रति स्वभावतः जनता का व्यापक रूप से ध्यान गया और उन पर बहुधा सार्वजनिक चर्चा भी हुई। अतः यह इच्छा बढ़ना भी स्वाभाविक है कि दल के विचारों की जानकारी प्राप्त हो और उसके मत को समझा जाय। यह आवश्यकता अनुभव की जाती रही है कि दल के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, शोधकर्ताओं और भारतीय सार्वजनिक मामलों के विद्यार्थियों को भी दल के दस्तावेज उपलब्ध हों। यह संकलन इस आवश्यकता की पूर्ति करने का ही एक प्रयास है।

'सिद्धान्त और नीति' के अतिरिक्त इसमें, दल के अखिल भारतीय घोषणा-पत्रों, केन्द्रीय कार्य समिति, भारतीय प्रतिनिधि सभा तथा सार्वदेशिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों को ही सम्मिलित किया गया है। शोक प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है।

जनवरी 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत 'सिद्धान्त और नीति', समस्त अखिल भारतीय घोषणा-पत्र और मई 1972 में भागलपुर में भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा संशोधित दल के संविधान को प्रथम भाग में सम्मिलित किया गया था। द्वितीय भाग में आर्थिक विषयों के प्रस्तावों को 4 अध्यायों में संकलित किया गया और तृतीय भाग में प्रतिरक्षा व वैदेशिक मामलों पर प्रस्ताव, 2 अध्यायों के रूप में थे जबकि आंतरिक प्रश्नों के कुल प्रस्तावों को चतुर्थ भाग के 4 अध्यायों में विभाजित किया गया था। वर्तमान अर्थात् पंचम भाग में शेष रहे हुए विषयों अर्थात् शिक्षा, विधि, समाज कल्याण, पुनर्वास आदि के अतिरिक्त जनसंघ से संबंधित प्रस्तावों का 4 अध्यायों में संकलन है।

इन भागों का संकलन तथा मुद्रण एक निश्चित अवधि में सम्पन्न करने की योजना के कारण समयाभाव अवश्य रहा है जिसके फलस्वरूप हुई मुद्रण आदि की

कुछ चूक ध्यान में आई हैं जैसे द्वितीय भाग से प्रस्ताव 72.12 का और तृतीय भाग के परिशिष्ट से कच्छ समझौते के पाठ का रह जाना। इनका तथा अन्य त्रुटियों के संशोधन का समावेश वर्तमान भाग में यथास्थान किया जा रहा है।

इस भाग के परिशिष्ट खण्ड में कई उपयोगी तालिकाओं को समाविष्ट किया गया है। 22 वर्षों के समस्त प्रस्तावों का तिथिक्रमानुसार विवरण, प्रांतीय स्तर पर जनसंघ की स्थापना की जानकारी, लोकसभा व विधानसभाओं के चुनावों में मतदान व प्राप्त सीटों की तुलनात्मक स्थिति और जनसंघ से संबंधित 1951-72 के कालखण्ड की तिथिक्रमानुसार घटनावली को विभिन्न परिशिष्टों के रूप में दिया गया है।

कई प्रस्तावों में एक से अधिक विषयों पर चर्चा है। ऐसे प्रस्तावों को या तो विभक्त किया जा सकता था अथवा उन्हें ज्यों का त्यों दिया जा सकता था। प्रस्तावों को विभक्त करने के बजाय, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर उपशीर्षक लगा कर उन्हें अनुक्रमणिका में मुख्य शीर्षकों के साथ दिया गया है ताकि उनका सहज संदर्भ उपलब्ध हो सके। कुछ प्रस्तावों के विषय ऐसे हैं जिनको एक अथवा किसी अन्य अध्याय में उचित रूप से सम्मिलित किया जा सकता था। ऐसे प्रस्तावों को उन अध्यायों में रखा गया है जहां उनका अपेक्षाकृत महत्व अधिक परिलक्षित हुआ।

प्रस्तावों को तिथिक्रमानुसार अंकित किया गया है। प्रथम दो अंक वर्ष को बताते हैं और बाद के दो अंक, उस वर्ष की प्रस्ताव संख्या को सूचित करते हैं। उदाहरणस्वरूप 57.08 का अर्थ 1957 में पारित 8वां प्रस्ताव मानना चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव के अंत में, उसके पारित होने की तिथि, स्थान और प्रस्ताव होने के प्रसंग का उल्लेख है। के०का०स०, भा०प्र०स० और सा०अ० का अभिप्राय क्रमशः केन्द्रीय कार्य समिति, भारतीय प्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिक अधिवेशन से है। इस भाग के परिशिष्ट खण्ड की कुछ तालिकाओं में अन्य भागों की पृष्ठ संख्या के उल्लेख में प्रथम अंक भाग की संख्या बताता है और शेष 3 अंक पृष्ठ की जानकारी देते हैं जैसे 4.019 का अर्थ है चतुर्थ भाग का 19वां पृष्ठ। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में, उसके सम्पूर्ण प्रस्तावों का सार दिया गया है।

आशा है यह संकलन उन सबके लिए लाभदायक होगा जो भारत के सार्वजनिक जीवन में रुचि रखते हैं।

—संकलनकर्त्ता

विषय-अनुक्रम

		पृष्ठ
प्रस्तावना	... ...	3
प्राक्कथन	... ...	9
1. शिक्षा	... ...	17–48
प्रस्ताव संख्या		
54.20	भाषायी नीति	21
55.03	शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्धारण	22
56.21	आम जनता की शिक्षा	24
57.08	पंजाब की भाषा समस्या	25
57.13	हिन्दी आंदोलन	25
57.21	राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन	27
57.22	पंजाब की भाषा समस्या	28
58.02	भाषायी नीति	29
58.12	हिन्दी आन्दोलन	31
58.29	सिंधी भाषा	31
60.07	शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्धारण	32
60.19	पंजाब की भाषा समस्या	34
62.11	भाषायी नीति	35
62.15	विवादास्पद भाषा विधेयक	36

प्रस्ताव संख्या		पृष्ठ
63.06	उपनिवेषवादी भाषा विधेयक	37
63.17	प्रांतों की राजभाषाएं	38
65.04	भाषायी नीति	39
65.10	अंग्रेजी का विस्थापन	41
65.15	राजभाषा	43
67.18	क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा शिक्षा	44
67.23	राजभाषा	45
68.20	अध्यापकों की हड़ताल	47
2. विधि	... ...	**49–78**
52.01	चुनाव आरोपों की निष्पक्ष जांच	53
52.21	चुनाव कानून में संशोधन	53
54.03	कांग्रेस सरकार की तानाशाही	54
54.06	नजरबंदी कानून	54
54.17	न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण ...	55
55.04	नजरबंदी कानून	55
55.17	हिन्दू कोड बिल	56
55.32	हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	57
56.19	नागरिक स्वतंत्रता का हनन	58
56.24	स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव	59
59.09	मतदाताओं को चेचक का टीका	60
60.22	चुनाव क्षेत्रों में फेरबदल	60
61.21	राजनीतिक दलों को मान्यता	61

प्रस्ताव संख्या		पृष्ठ
62.06	चुनाव से पूर्व मंत्रिमण्डल का त्याग-पत्र ...	61
67.02	राज्यपाल का रवैया	62
67.03	काश्मीर में चुनाव कलंक	62
70.03	राज्यपालों का रवैया	65
71.01	लोकसभा का मध्यावधि चुनाव	67
71.03	लोकसभा का मध्यावधि चुनाव	69
72.05	सन् 1972 के प्रांतीय चुनाव	71
72.09	चुनाव पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन ...	73
3. समाज कल्याण आदि	... ...	**79–102**
52.04	पिछड़े वर्गों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम ...	83
52.16	व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम	84
52.22	विस्थापितों का पुनर्वास	86
53.14	काश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास	87
54.07	प्रेस की स्वतंत्रता का हनन	87
54.11	विस्थापितों का पुनर्वास	88
55.07	विस्थापितों का पुनर्वास	89
58.04	विस्थापितों का पुनर्वास	91
58.13	पूर्वी बंगाल के विस्थापित	94
65.05	गोदावरी नदी पर पुल	94
68.16	अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की स्थिति ...	95
69.11	अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कार्यक्रम	97

प्रस्ताव संख्या		पृष्ठ
72.10	सिंध के विस्थापित	100
4. जनसंघ		**103–124**
51.01	चुनाव समझौते	107
51.02	जनसंघ का ध्वज	107
52.03	जनसंघ का संविधान	107
52.17	जनसंघ का संविधान	108
53.05	डा० मुखर्जी को श्रद्धांजलि	108
53.10	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	110
53.18	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	110
54.01	डा० मुखर्जी को श्रद्धांजलि	112
54.02	जम्मू-काश्मीर के शहीद	112
54.24	प्रजापरिषद का जनसंघ से संबंधन	113
55.13	प्रजापरिषद का जनसंघ से संबंधन	113
55.20	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	113
56.03	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	114
56.15	चुनाव समझौते	114
57.02	राष्ट्रपति का चुनाव	115
57.06	स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दि	115
61.18	चुनाव की व्यूहनीति	115
63.07	कर्मयोगी आचार्य रघुवीर	116
63.12	कर्मयोगी आचार्य रघुवीर	117
63.23	प्रजापरिषद का जनसंघ में विलय	118

प्रस्ताव संख्या		पृष्ठ
64.05	काश्मीर प्रतिज्ञा दिवस	120
64.18	उपचुनावों में पराजय की जांच	120
68.01	मंत्रदृष्टा दीनदयालजी	120
68.02	आवाहन	122
68.12	मंत्रदृष्टा दीनदयालजी	122
72.12	गंभीर आर्थिक स्थिति ... ... 125–128 (भाग 2 के अध्याय 5 से छूटा हुआ प्रस्ताव)	
परिशिष्ट		**129–212**
क	तिथिक्रमानुसार भाग 5 के प्रस्तावों के दिनांक आदि की सूची	131
ख	तिथिक्रमानुसार संपूर्ण प्रस्तावों के दिनांक आदि की सूची	137
ग	तिथिक्रमानुसार सम्पूर्ण प्रस्ताव	165
घ	प्रांतीय स्तर पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की तिथि व स्थान	182
च	लोकसभा के चुनाव परिणाम : तुलनात्मक स्थिति ...	183
छ	विधानसभा के चुनाव परिणाम : तुलनात्मक स्थिति ...	185
ज	तिथिक्रमानुसार घटनावली	187
झ	कच्छ समझौता ... ... (भाग 3 की परिशिष्ट क से छूटा हुआ)	207
ट	मुद्रण संशोधन	210
अनुक्रमणिका		**213–220**

Smt. Dr. G. V. Saxena "Kiran"
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M.D.H., M.A. LL.B. ADVOCATE

अध्याय 1
शिक्षा

Smt. Dr. G. V. Sarma "Kiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M.D.H., M.A. LL.B. ADVOCATE

भारतीय जनसंघ के अनुसार राष्ट्र-निर्माण का कार्य, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का दृढ़ीकरण, आर्थिक उत्थान तथा स्वयं लोकतंत्र की प्रक्रिया की सफलता—ये सब शिक्षा पर निर्भर हैं जिसके कि पुनर्निर्धारण के लिए जनसंघ के अनुसार निम्नलिखित अपरिहार्य हैं :

(*i*) शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन,

(*ii*) शिक्षकों की शिकायतों का दूर किया जाना, तथा

(*iii*) सुसंगत भाषायी नीति ।

जनसंघ का मत है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली "बहुत अधिक पुस्तक-प्रधान है तथा उसमें नैतिक एवं राष्ट्रीय तत्त्वों का अभाव है ।" उसका कहना है : "प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं बहुत ही थोड़ी हैं तथा सामान्य जनों की पहुंच के बाहर हैं। विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थियों की भरमार होती जा रही है जो कि अपने भविष्य के संबंध में अनिश्चित हैं और इसलिए वर्तमान के प्रति लापरवाह हैं" (60.07) । वह एक ऐसी प्रणाली के लिए आग्रह करता है "जिसमें नैतिकता तथा चरित्र पर बल" हो और जो "अर्वाचीन वैज्ञानिक खोज पर आधृत" हो तथा जिसमें "अनुशासन और शरीर-स्वास्थ्य की भावना उत्पन्न करने के लिए शारीरिक एवं सैनिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था" (55.03) भी सम्मिलित हो । जनसंघ का यह भी आग्रह है कि "शिल्प तथा उद्योग संबंधी शिक्षा को अधिक व्यापक एवं सस्ता बनाया जाय जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति उसका लाभ उठा सके" (55.03) । उसका विश्वास है कि शिक्षण संस्थाओं के मामलों में अनुचित सरकारी हस्तक्षेप भी वहां की बिगड़ती हुई वर्तमान परिस्थिति का एक कारण है और इसीलिए वह मांग करता है कि "शिक्षा का निर्देशन तथा नियंत्रण शिक्षा-शास्त्रियों और शिक्षा की स्वायत्त संस्थाओं द्वारा होना चाहिए" (55.03) । उसका यह भी प्रस्ताव है कि "शिक्षा-क्रम और पाठ्य पुस्तकों का इस प्रकार पुनर्निर्धारण किया जाय कि जिससे विद्यार्थियों को अपनी राष्ट्रीय परम्परा, संस्कृति एवं जीवन-मूल्यों का समुचित ज्ञान प्राप्त हो और उनके प्रति श्रद्धा जागृत हो तथा उनमें राष्ट्र के सभी क्षेत्रों के महापुरुषों के प्रति आदर का भाव पैदा हो सके" (60.07) ।

अध्यापक राष्ट्र के निर्माता हैं । उनकी लगातार दुर्दशा पर जनसंघ चिंतित रहा है और उसने आग्रह किया है कि उन्हें उनका उचित भाग व स्थान मिलना चाहिए । उसका कहना है कि "जब तक शिक्षकों की इस स्थिति को सुधारा नहीं जाता और इस उदात्त कार्य की ओर सर्वोत्तम व्यक्तियों को आकृष्ट करने की सावधानी नहीं बरती जाती, तब तक शिक्षा के क्षेत्र में तथा अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों में किसी प्रकार का वास्तविक सुधार नहीं हो सकता" (55.03) । उसका यह भी कहना है कि "प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को समाज में सम्मान का स्थान मिलना चाहिए तथा जिन आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों से आज वे ग्रस्त हैं उन्हें दूर करना चाहिए" (60.07) । जनसंघ के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों के वेतनमान अपर्याप्त हैं और उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता तो जीवनयापन की महंगाई से बिल्कुल मेल नहीं खाता । 'समान कार्य के लिए एक-सा वेतन' का सर्वमान्य सिद्धान्त अध्यापकों के संबंध में लागू नहीं किया गया है । "जनसंघ ने यह मांग की है कि उनके वेतन सीधे राजकोष से वितरित" होने चाहिएं (68.20) ।

"सब भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि अपनाने" (54.20) से राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। किन्तु किसी भी भाषा अथवा लिपि के बलात् लादे जाने का जनसंघ विरोधी है। 1967 के अपने कालीकट अधिवेशन में उसने स्पष्ट कहा है : "हिन्दी को स्वेच्छापूर्ण सहमति से ही आगे बढ़ना है। साथ ही, अंग्रेजी को भी किसी वर्ग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं थोपा जा सकता" (67.23)। 'भाषायी स्वराज्य' और 'जीवन के हर क्षेत्र में स्वभाषा की प्रभुत्ता और प्रचलन' में उसकी आस्था है (65.10)।

भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी का स्थान अवश्यमेव लेना है। "प्रत्येक भारतीय का जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे और राष्ट्रीय जीवन के उच्चत्तम पद तक पहुंचे।.....कोई भी लोकतंत्र जनता की भाषा के अलावा और किसी भाषा में नहीं चल सकता" (63.06)। "जनता से उस भाषा में संपर्क किया जाना चाहिए जिसे वह समझती है" (56.21)।

जनसंघ की यह मान्यता रही है कि "भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं" (58.02)। भारतीय जनता में संस्कृत भाषा का जो सम्मान और आदर का स्थान है उसको ध्यान में रख कर उसका सुझाव है कि समारोह के प्रसंगों तथा विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त आकाशवाणी के प्रसारणों में भी संस्कृत को स्थान मिलना चाहिए (65.04)।

जब राजभाषा के संबंध में, देशव्यापी तीखे विवाद का एक झंझावात चल रहा था उस समय अपने कालीकट अधिवेशन में जनसंघ ने भाषायी नीति संबंधी जो सुझाव दिये उनका देश-भर के सभी वर्गों में व्यापक स्वागत किया गया। उसके सुझाव थे कि :

(1) क्षेत्रीय भाषाओं को संबंधित राज्यों की राजभाषाएं माना जाना चाहिए तथा संघ सेवा आयोग की परीक्षाओं का भी उनको माध्यम बनाना चाहिए।

(2) हिन्दी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग ऐसे सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों में होना चाहिए जिनका संपर्क जनसाधारण से प्रत्यक्ष आता है जैसे रेलवे, डाक-तार, आदि।

(3) सरकारी भर्ती के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी की जानकारी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, किन्तु एक निश्चित अवधि में इनमें से किसी एक की आवश्यक जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी अवधि में हिन्दी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा की जानकारी उन व्यक्तियों को प्राप्त करनी चाहिए जिनकी मातृभाषा हिन्दी है (67.23)।

Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M.D.H., M.A. LL.B. ADVOCATE

54.20. भाषायी नीति

केन्द्रीय कार्य समिति गहरा असंतोष व्यक्त करती है कि भारत सरकार ने संविधान की उस व्यवस्था को क्रियान्वित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी जिसका आदेश यह है कि 15 वर्ष के भीतर भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करेगी। हिन्दी के प्रति शिक्षा मंत्रालय की इस उदासीनता की समिति भर्त्सना करती है और मांग करती है कि इस विभाग में, जिसका कि संचालन वे अधिकारी कर रहे हैं जिनका हिन्दी से कोई अनुराग नहीं, आमूलचूल परिवर्तन किया जाय।

एक लिपि—शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में जो भाषायी नीति अपनायी जाय उसके बारे में समिति निम्नलिखित आवश्यकताएं प्रतिपादित करती है :

(1) प्राथमिक सोपान में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

(2) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, क्षेत्रीय भाषाएं माध्यम हों एवं हिन्दी का पठन-पाठन सभी स्तरों पर अनिवार्य हो।

(3) स्नातकोत्तर और विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन केवल हिन्दी के माध्यम से हो।

(4) सरकार एक आयोग नियुक्त करे जिसमें सब क्षेत्रीय भाषाओं के भाषा-विदों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यह आयोग तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का कोष तैयार करे। शब्द संस्कृत और प्रचलित भारतीय भाषाओं पर आधारित हों। इस तरह तैयार की गई शब्दावली सब भारतीय भाषाओं की संयुक्त संपत्ति हो।

(5) सब भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि अपनाने के लिए पग उठाए जायें।

(6) जिन अविकसित क्षेत्रों की बोलियों के लिए अपनी कोई लिपि नहीं या जिन कुछ क्षेत्रों की बोलियों पर विदेशी मिशनरियों ने रोमन लिपि थोपने की कोशिश की है, उन सबके लिए भी देवनागरी लिपि को अपनाया जाय।

(7) केन्द्रीय और अन्तरप्रांतीय व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग अविलम्ब आरंभ किया जाय। सभी समारोहों के निर्वाह में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग

हो और नींव के पत्थरों एवं स्थायी लेखों में अकेले हिंदी का प्रयोग किया जाय।

(8) जिस अवधि में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी द्वारा ग्रहण करने की व्यवस्था है उस अवधि के भीतर सेवानिवृत न होने वाले भारत सरकार की सेवा में नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए सरकारी खर्च पर और सुनियोजित ढंग से हिन्दी के पाठ अनिवार्य रूप से पढ़ाने की व्यवस्था की जाय।

कार्य समिति का निश्चित मत है कि उर्दू देश के किसी भाग की भाषा नहीं है। वह बिना राज्यवाली भाषा है और हिन्दी की ऐसी अग्राह्य शैली है जो विदेशी लिपि में लिखी जाती है और जिसमें विदेशी शब्दों की भरमार है तथा जिसे एक विदेशी शासनकाल में थोपा गया था और अब जिसका समर्थन देश में कुछ सांप्रदायिक तत्व कर रहे हैं।

[8 मई 1954; दिल्ली, के०का०स०]

55.03. शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्धारण

देश के आर्थिक पुनर्निर्माण पर आज जबकि बल दिया जा रहा है, राष्ट्र के भावी आधार-स्तंभ नवयुवकों के बौद्धिक एवं नैतिक उत्कर्ष की उपेक्षा हो रही है। विद्यार्थी वर्ग में असंतोष, अनैतिकता व अनुशासनहीनता होना राष्ट्र के भविष्य के लिए घातक संकेत हैं। अतः राष्ट्रहित की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है कि इस असंतोष तथा अनुशासनहीनता के कारणों की मीमांसा की जाय और उनके निराकरण का उपाय किया जाय।

विद्यार्थी वर्ग में फैली हुई अनुशासनहीनता कुछ सीमा तक हमारे स्वतंत्रता-आन्दोलन के दिनों से है, जब कि विद्यार्थियों को अपने अधिकारियों की अवज्ञा करने तथा हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए उत्साहित किया जाता था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् भी विघटनकारी तत्वों ने उस परम्परा को जीवित रखा है और वे दलगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को ट्रेड यूनियन पद्धति पर संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान शासन विद्यार्थियों की कार्यक्षमता को रचनात्मक मार्ग देने में असफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप विघटनकारी तत्वों को खुलकर खेलने का अवसर मिल गया है।

दोषपूर्णशिक्षा पद्धति (जिसमें नैतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को उचित स्थान नहीं दिया गया) बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा आर्थिक असुरक्षा ने स्थिति को अधिक गंभीर बना दिया है और अनुशासनहीनता के साथ अनुत्तरदायित्व की भावना बल पकड़ती जा रही है। अध्यापकों के गिरते हुए स्तर ने भी इस अवांछनीय

स्थिति के निर्माण में योग दिया है।

सदाचार व सैनिक प्रशिक्षण—इस स्थिति में सुधार करने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी संगठित प्रयत्न की आवश्यकता है। भारतीय जनसंघ का यह सुनिश्चित मत है कि इसके लिए सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा पद्धति का अन्तर-बाह्य पुनर्गठन आवश्यक है। राष्ट्र को आज ऐसी शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें नैतिकता तथा चरित्र पर बल देने वाली प्राचीन गुरुकुल पद्धति एवं अर्वाचीन वैज्ञानिक खोज पर आधृत आधुनिक शिक्षा प्रणाली का समुचित समन्वय हो। भारत के महान अतीत से प्रेरणा लेने तथा सदाचार की शिक्षा पाने के लिए संस्कृत भाषा तथा साहित्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और अनुशासन तथा शरीर-स्वास्थ्य की भावना उत्पन्न करने के लिए शारीरिक एवं सैनिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, शिल्प तथा उद्योग-संबंधी शिक्षा को अधिक व्यापक एवं सस्ता बनाया जाय जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। इस दृष्टि से शिक्षा के विकास एवं विस्तार की योजनाओं को राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के अभिन्न अंग के रूप में ही तैयार किया जाना चाहिए।

यह खेद का विषय है कि स्वतंत्रता के गत सात वर्षों में इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। सर्वाधिक शोचनीय बात तो यह है कि देश के बड़े नेता तथा राजनीतिज्ञ शिक्षा-पद्धति के संबंध में परस्पर-विरोधी विचार प्रकट करते रहे हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में देश का स्पष्ट तथा व्यावहारिक मार्गदर्शन करने में असफल रहा है, यद्यपि शासन द्वारा नियुक्त अनेक विशेषज्ञ आयोग इस प्रश्न पर पूर्ण विचार कर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं।

अध्यापकों की दुर्दशा—अध्यापकों के गिरते हुए स्तर के लिए किसी सीमा तक उनकी आर्थिक दुरवस्था भी उत्तरदायी है। उन्हें साधारणतया कम वेतन दिया जाता है और उनकी जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वह नहीं होती। इसके परिणाम-स्वरूप सर्वोत्तम व्यक्ति अध्यापन का कार्य अपनाने की ओर सदैव आकृष्ट नहीं होते। जब तक शिक्षकों की इस स्थिति को सुधारा नहीं जाता और इस उदात्त कार्य की ओर सर्वोत्तम व्यक्तियों को आकृष्ट करने की सावधानी नहीं बरती जाती तब तक शिक्षा के क्षेत्र में तथा अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों में किसी प्रकार का वास्तविक सुधार नहीं हो सकता।

शैक्षिक स्वायत्तता—विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में सरकार का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप (जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ दल के प्रभाव की वृद्धि का प्रयत्न है) स्थिति को और भी बिगाड़ रहा है। यह प्रवृत्ति शिक्षा के भारतीय सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है। शिक्षा का निर्देशन तथा नियंत्रण शिक्षा-शास्त्रियों और शिक्षा की स्वायत्त संस्थाओं द्वारा होना चाहिए जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त रहकर

अपने उत्तरदायित्व का भलीभांति पालन कर सकें।

विद्यार्थियों के बचे हुए समय तथा शक्ति का रचनात्मक क्षेत्रों में उपयोग करना आवश्यक है। यह कार्य विद्यार्थियों तथा उनके संगठनों द्वारा जिनमें अध्यापकों को भी सम्मिलित किया जाय, भलीभांति हो सकता है।

इस प्रकार के संगठनों को यदि उत्साहित किया जाय तो भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आदर्श पारस्परिक संबंध विकसित हो सकते हैं और विद्यार्थियों में नेतृत्व तथा श्रेष्ठ चरित्र के गुणों का, जो कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, विकास हो सकता है।

[1 जनवरी 1955; जोधपुर, तीसरा सा०अ०]

56.21. आम जनता की शिक्षा

केन्द्रीय कार्य समिति शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के इस निर्णय के विरुद्ध है कि माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में जारी रखा जाय और विश्वविद्यालयी स्तर पर उसे शिक्षा का माध्यम रखा जाय।

भारत की अभिव्यक्ति भारतीय भाषाओं में—भारतीय जनसंघ का अंग्रेजी से (एक भाषा के रूप में) कोई विरोध नहीं, किन्तु उसका यह निश्चित मत है कि केवल भारतीय भाषाएं ही हमारे राष्ट्रीय जीवन और संस्कृति को अभिव्यक्त करने का उपयुक्त माध्यम हो सकती हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए आम जनता को जगाने और शिक्षित करने की आज जबकि महती आवश्यकता है, यह जरूरी है कि हम विदेशी भाषा के प्रति अपने आग्रह को समाप्त करें और जनता से उस भाषा में संपर्क किया जाना चाहिए जिसे वह समझती है। इस परिपेक्ष्य में देखने पर शिक्षा मंत्रियों का निर्णय युग की भावना के विरुद्ध और प्रतिगामी है।

राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन—यह आश्चर्य का विषय है कि जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान के 344वें अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रतीक्षा की जा रही हो तब शिक्षा मंत्रियों ने इस तरह का निर्णय किया। इससे एक प्रकार से भाषा आयोग की नियुक्ति बेकार हो गई है और देश में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के मार्ग में बाधा खड़ी हो गई है।

कार्य समिति भारत सरकार से मांग करती है कि वह भाषा आयोग की रिपोर्ट को अविलंब प्रकाशित करे और उसकी सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

[6 अक्तूबर 1956; पूना, के०का०स०]

57.08. पंजाब की भाषा समस्या

केन्द्रीय कार्य समिति को गहरा खेद है कि पंजाब में भाषा के प्रश्न पर हिन्दी रक्षा समिति तथा प्रदेश सरकार के बीच जो समझौता-वार्ता चल रही थी वह भंग हो गई है जिसके फलस्वरूप समिति की ओर से सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया है।

हिन्दी आंदोलन—कार्य समिति का यह सुविचारित मत है कि यदि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपने दायित्व का उचित रीति से निर्वाह किया होता और पंजाब की सरकार को इस विषय में एक असांप्रदायिक तथा न्यायपूर्ण नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन का निर्देश दिया होता तो आज पंजाब की बहुतांश जनता के अंतःकरण में अपनी मातृभाषा पर आसन्न संकट और किसी एक वर्ग विशेष के आधिपत्य की जो आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं, उनका निराकरण होकर भाषा-समस्या का ऐसा हल ढूंढा जा सकता था जिसमें मातृभाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के प्रत्येक व्यक्ति के मूलभूत अधिकार की रक्षा करते हुए पंजाबी और हिन्दी दोनों को ही प्रादेशिक भाषाओं के नाते शिक्षा और प्रशासन के माध्यम के रूप में पूरी तरह विकसित होने का निर्बाध अवसर मिलता।

कार्य समिति अनुभव करती है कि यदि केन्द्र सरकार जनभावनाओं को समझने और उनका आदर करने में कल्पना और व्यवहार-कुशलता का परिचय दे तो पंजाब की परिस्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। इसके विपरीत यदि पंजाब में सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति को, जिसका जनसंघ ने सदैव विरोध किया है और आगे भी करता रहेगा, जारी रखा गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे जिनकी ओर कोई भी राष्ट्रवादी उदासीन नहीं रह सकता।

[1 जून 1957; दिल्ली के०का०स०]

57.13. हिन्दी आंदोलन

हिन्दी आंदोलन पर दमनचक्र—पंजाब में हिन्दी रक्षा समिति द्वारा संचालित आंदोलन के प्रति पंजाब सरकार ने जो अलोकतांत्रिक तथा दमनकारी नीति अपनायी है उसकी भारतीय प्रतिनिधि सभा कठोर शब्दों में निंदा करती है। पुलिस द्वारा (जिनमें अवर्दीधारी सिपाही भी शामिल हैं) सत्याग्रहियों की मारपीट, पुरुष तथा महिला सत्याग्रहियों को बीस-बीस मील दूर ले जाकर रात में जंगल में छोड़ना, समाचारपत्रों पर प्रतिबंध, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, आर्य समाज मंदिर की पवित्रता को भंग कर लोगों की धार्मिक भावनाओं पर आघात करना,

नजरबंदी कानून का प्रयोग—यह ऐसे कृत्य हैं जिन्हें किसी भी सत्याग्रह आंदोलन से, और विशेषतः जबकि उसे व्यापक जन-समर्थन प्राप्त है, निबटने का उचित तथा विवेकपूर्ण तरीका नहीं माना जा सकता। इससे परिस्थिति में सुधार होने के बजाय और तनाव पैदा होता है जिसमें न केवल संबंधित प्रश्नों पर निष्पक्ष तथा तर्कपूर्ण दृष्टि से विचार करना ही असंभव हो जाता है, अपितु शांतिपूर्ण तथा वैधानिक मार्गों के प्रति जनता के विश्वास को भी आघात पहुंचता है।

प्रतिनिधि सभा को यह खेद है कि केन्द्रीय शासन, विशेषतः प्रधानमंत्री, ने इस संबंध में पंजाब की जनता के प्रति अपने दायित्व का भलीभांति निर्वाह नहीं किया है। हिन्दी रक्षा सत्याग्रह की मुस्लिम लीग के अराष्ट्रीय और राष्ट्र-विरोधी आंदोलन से तुलना करना इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री हिन्दी आंदोलन के सही अर्थ को ग्रहण करने और रक्षा समिति के झंडे के नीचे एकत्रित पंजाब की बहुतांश जनता के मन में उत्पन्न आशंकाओं तथा संदेहों को सहानुभूति से समझने में असफल रहे हैं।

केन्द्र द्वारा इस संबंध में अपने अधिकारों को पंजाब सरकार के हाथों में समर्पित कर देने की नीति का ही कदाचित यह परिणाम है कि आज वहां ऐसी हास्यास्पद तथा विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है कि सरकार एक ही साथ समझौता-वार्ता तथा दमन-चक्र का दोहरा खेल खेल रही है—जो वार्ता के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं हो सकती।

प्रतिनिधि सभा का यह विश्वास है कि यदि सद्भावना, समझदारी और धैर्य से काम लिया जाय तो पंजाब की भाषा-समस्या का ऐसा हल ढूंढा जा सकता है, जिसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करने की आशंकाओं का निराकरण कर दोनों वर्गों की उचित आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए भाषा के प्रश्न को मजहब, संप्रदाय तथा राजनीतिक अवसरवादिता के तथ्यों से पृथक करके देखना आवश्यक है।

प्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि पंजाब में सारे झगड़े की जड़ अकाली सांप्रदायिकता के साथ कांग्रेस पार्टी के अपवित्र गठबंधन के फलस्वरूप उत्पन्न 'रीजनल फार्मूला' है जिसके अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों की अवहेलना करके पंजाब को भाषा तथा संप्रदाय के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। यह विभाजन सर्वथा कृत्रिम है और इससे न केवल सिखों तथा गैरसिख हिन्दुओं के बीच की खाई ही चौड़ी हुई है, बल्कि पंजाबी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं का स्वाभाविक विकास भी अवरुद्ध हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब की प्रादेशिक एकता को कायम रखने और पंजाबी तथा हिन्दी को पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करने के लिए पंजाब के भाषायी विभाजन को समाप्त कर दिया जाय और पंजाब को एक द्विभाषी प्रदेश घोषित कर प्रशासन

तथा शिक्षा के क्षेत्र में पंजाबी तथा हिन्दी दोनों को समान स्थान प्रदान किया जाय।

[16 अगस्त 1957; बिलासपुर, भा०प्र०स०]

57.21. राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन

राष्ट्र जागरण की भाषा—राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के बाद कुछ क्षेत्रों में ऐसा प्रयास हो रहा है कि भारत संघ और प्रदेशों की राजभाषा के प्रश्न को फिर से उखाड़ा जाय। अंग्रेजी को बनाये रखने का भी प्रयत्न हो रहा है। समिति राजभाषा आयोग के इस मत से पूरी तरह सहमत है कि किसी विदेशी भाषा से हमारे राष्ट्रीय जीवन में पुनर्जागरण नहीं आ सकता। बालिग मताधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा और सबको समान अवसर देने आदि के जो मौलिक अधिकार और सरकार की नीति के जो निदेशक सिद्धांत संविधान में बनाये गये हैं उनको पूरा करते हुए सामान्य नागरिक की सेवा करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकता।

समिति के विचार से यद्यपि राजभाषा आयोग ने भारत की भाषा समस्या पर विशद रूप से विचार करने के उद्देश्य से काफी परिश्रम और सोच-विचार किया है तथापि वह कोई ठोस और स्पष्ट सिफारिश करने में असफल रहा जबकि उसके कार्य और विचार-क्षेत्र में इसकी व्यवस्था थी। दूसरी ओर उसने कई अनावश्यक एवं विवादपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जबकि उससे इस संबंध में कोई राय नहीं मांगी गई थी। अपनी सीमा के इस उल्लंघन और ठोस एवं स्पष्ट सुझाव देने में उसकी विफलता के कारण ही शायद यह तमाम विवाद उठा।

समिति के मत से भारत संघ सरकार भी विभिन्न भारतीय भाषाओं को बढ़ाने के अपने दायित्व को निभाने में असफल रही और यही कारण है कि देश अब तक इस बात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कि सरकारी तथा दूसरे काम-काज के लिए धीरे-धीरे क्षेत्रीय तथा संघीय भाषाओं का प्रयोग आरंभ किया जा सके। समिति भारत तथा प्रदेश सरकारों से अनुरोध करेगी कि वे राजभाषा और प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन एवं ज्ञान विस्तार के लिए, सक्रिय एवं व्यावहारिक पग उठायें। देश भारतीय भाषाओं को अपनाने को सामान्यतः तैयार है। अतः भाषा संबंधी व्यवस्थाओं को अनिवार्य रूप से लागू करने की कोई आवश्यकता न होगी।

प्रादेशिक भाषाएं राजभाषाओं के रूप में—समिति सरकार से यह अनुरोध भी करती है कि :

(1) विदेशों के साथ पत्राचार में संघभाषा (हिन्दी) का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाय ।

(2) केन्द्र और प्रदेश के बीच में सब पत्राचार संघभाषा में हों, और सात वर्षों तक उनके अंग्रेजी में अनूदित पाठ प्रेषित करने की व्यवस्था हो ।

(3) विभिन्न प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा को राजभाषा स्वीकार किया जाय ।

(4) विभिन्न राज्य विधानमंडलों में क्षेत्रीय भाषा में पारित विधेयकों का हिन्दी और अंग्रेजी में अधिकृत पाठ तैयार कराने की व्यवस्था प्रदेशों की सरकारें करें ।

(5) शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था की जाय ।

(6) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हिन्दी, संस्कृत, प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी के माध्यम से हों और प्रत्येक उम्मीदवार को अपना माध्यम चुनने की छूट हो ।

[24 नवम्बर 1957; हैदराबाद, के०का०स०]

57.22· पंजाब की भाषा समस्या

क्षेत्रीय फार्मूला—केन्द्रीय कार्य समिति पंजाब की तेजी से बिगड़ती हुई दशा पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। समिति का यह निश्चित मत है कि पंजाब में वर्तमान भाषायी विवाद का कारण क्षेत्रीय फार्मूला है जिसका उद्देश्य राज्य पुनर्गठन आयोग की स्पष्ट सिफारिशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हुए केवल अकाली दल को प्रसन्न करने के इरादे से पंजाब का सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा करना है। समिति अनुभव करती है कि यह केवल कांग्रेस पार्टी के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पंजाब का अब और विभाजन न तो पंजाब के व्यापक हित में होगा और न भारत के। तथाकथित पंजाबी क्षेत्र का सीमांकन एकमात्र इस उद्देश्य से किया गया है जिससे उन सब इलाकों में जिनमें सिखों का बहुमत है उनका जैसे-तैसे अकाट्य प्रभुत्व हो जाय। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय फार्मूले के अनुसार पंजाब का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन मानने से समूचे भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो गया है। यही कारण है कि भारतीय जनसंघ क्षेत्रीय फार्मूले का तभी से लगातार विरोध कर रहा है जब से यह विचार रूप में अंकुरित हुआ ।

द्विभाषी पंजाब – पंजाब का वर्तमान सत्याग्रह प्रदेश की जनता के बहुमत द्वारा उस भाषायी नीति के विरोध का सूचक है जो क्षेत्रीय फार्मूले का आधार है। राज्य

पुनर्गठन आयोग के इस सुविचारित मत से जनसंघ सहमत है कि पंजाब द्विभाषी राज्य है और हिन्दी तथा पंजाबी दोनों उसकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। भारतीय एकता और इन दोनों भाषाओं के समान विकास की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि बिना किसी भेदभाव के शिक्षा और प्रशासन दोनों में उन्हें समान स्थान मिले ।

पंजाब सरकार सत्याग्रह को कुचलने के लिए जिस दमनकारी नीति को अपना रही है, कार्य समिति उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है, फीरोजपुर जेल में लाठीचार्ज और गोलीकांड के जांच की रिपोर्ट और पंजाब उच्च न्यायालय के नजरबंदियों के मामलों पर विचार करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति के निर्णयों से भी स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब सरकार हिन्दी सत्याग्रह को कुचलने के लिए अमानवीय और लोकतंत्र-विरोधी उपाय अपना रही है। केन्द्र सरकार से कार्य समिति जोरदार शब्दों में मांग करती है कि वह इस बर्बरतापूर्ण दमन को रुकवाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे ।

पंजाब की स्थिति का तकाजा है कि केन्द्र सरकार अपनी वर्तमान उदासीनता को छोड़े और अपनी झूठी प्रतिष्ठा को त्याग कर समस्या को हल करने के लिए आगे आये ।

[24 नवम्बर 1957; हैदराबाद, के०का०स०]

58.02. भाषायी नीति

राजभाषा के प्रश्न पर पिछले कुछ दिनों से देश में जो विवाद उठ खड़ा हुआ है भारतीय जनसंघ उसे दुर्भाग्यपूर्ण समझता है। यह सर्वमान्य है कि किसी भी स्वतंत्र तथा स्वाभिमानी देश का काम-काज विदेशी भाषा में नहीं चल सकता। संविधान निर्मात्री सभा ने अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए 15 वर्ष की जो अवधि निर्धारित की, वह व्यावहारिक दृष्टिकोण से हमें इस बात का अवसर प्रदान करने के लिए है कि स्वतंत्र तथा सर्वसत्तासंपन्न भारत के नागरिक होने के नाते अपने सभी दायित्वों का निर्वाह स्व-भाषाओं के माध्यम से करने में हम समर्थ हो सकें। खेद का विषय है कि अपने इस उद्दिष्ट की उपलब्धि के लिए संपूर्ण शक्ति एवं साधनों का समुचित उपयोग करने के स्थान पर हम ऐसे प्रश्नों को पुनः खड़ा कर रहे हैं जो बहुत पहले ही तय हो चुके हैं। संविधान द्वारा निर्धारित अवधि को बढ़ाने की चर्चा अनुपयुक्त तथा असामयिक है। संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत संसद को इस बात का अधिकार दिया है कि वह जिन क्षेत्रों में आवश्यक समझे हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति एक निर्धारित अवधि तक दे दे। अतः किसी भी वर्ग को भाषा अनभिज्ञता के

आधार पर अपने भविष्य के संबंध में आशंकित होने का ओई कारण नहीं है।

भारतीय जनसंघ की सदैव यह मान्यता रही है कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं और भारत भर में उनके व्यवहार और विकास पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम—व्यावहारिक दृष्टि से आज सरकार को इस संबंध में निम्नलिखित उपायों का अवलंबन करना चाहिए :

(1) भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वहां की प्रादेशिक भाषाओं को राज्यीय भाषाओं के रूप में मान्यता देकर उनके अधिकाधिक व्यवहार की व्यवस्था हो।

(2) केन्द्र का विदेशों से समस्त पत्र-व्यवहार हिन्दी के माध्यम से हो।

(3) केन्द्र और प्रांतों के बीच का पत्रालाप हिन्दी के द्वारा हो तथा निश्चित अवधि तक उसके साथ अंग्रेजी की प्रतिलिपि भी भेजी जाय।

(4) संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं अंग्रेजी के साथ-साथ संविधान द्वारा स्वीकृत समस्त भाषाओं के माध्यम से ली जायें। सेवा के लिए चयन के उपरांत हिन्दी का ज्ञान आवश्यक किया जाय।

(5) शिक्षा का माध्यम विभिन्न भारतीय भाषाएं हों और माध्यमिक स्तर से हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य हो। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा में दी जाय जिसका चुनाव संरक्षक के ऊपर निर्भर रहे। किसी भी प्रदेश में ऐसे शिक्षालय पर जो प्रदेश में प्रचलित भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं, किसी प्रकार की रोक न हो, प्रत्युत उन्हें बिना किसी भेदभाव के समस्त सुविधाएं उपलब्ध की जायें।

(6) केन्द्रीय सरकार समस्त भारतीय भाषाओं के विद्वानों तथा शास्त्रियों के सहयोग से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के लिए एक सामान्य शब्दावली तैयार करे जो सभी भाषाओं में समान रूप से प्रयुक्त हो।

(7) विधानमंडलों द्वारा मूलतः प्रादेशिक भाषाओं में पारित समस्त विधेयकों के अधिकृत हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषांतर की व्यवस्था की जाय।

(8) संस्कृत भाषा के पठन-पाठन की व्यवस्था सभी माध्यमिक विद्यालयों में की जाय। समस्त राजकीय समारोह तथा औपचारिक अवसरों पर संस्कृत का उत्तरोत्तर प्रयोग हो।

[5 अप्रैल 1958; अम्बाला, छठा सा०अ०]

58.12. हिन्दी आंदोलन

हिन्दी आंदोलन की समाप्ति के बाद से पंजाब में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, केन्द्रीय कार्य समिति ने उस पर विचार किया। समिति बड़े दुःख के साथ यह अनुभव करती है कि सत्याग्रह यद्यपि बड़े सद्भाव के वातावरण में समाप्त किया गया और इस बात को अब छह मास हो गये, तथापि सरकार ने भाषा की समस्या को हल करने के लिए अब तक कोई संतोषजनक पग नहीं उठाया।

इस प्रश्न पर जनभावनाओं की व्यापकता एवं उग्रता, पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में हुए आंदोलनों के माध्यम से तथा हाल ही में हुए उपचुनाओं के परिणामों से भलीभांति प्रकट हो चुकी है। सरकार जनभावनाओं की सतत उपेक्षा कर रही है जिससे जनता में असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

कार्य समिति अनुभव करती है कि इस मामले में केन्द्र की विशेष जिम्मेदारी है। पंजाब में नेतृत्व-परिवर्तन और सत्तारूढ़ दल के आंतरिक ढांचे में परिवर्तन मात्र से यह समस्या हल होने वाली नहीं। समिति सरकार से अनुरोध करती है कि वह संप्रदायवादी और लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों को खुश करने की नीति त्याग दे और समूचे पंजाब में बिना किसी विलंब के निरपवाद रूप से शिक्षा एवं प्रशासन के क्षेत्र में पंजाबी और हिन्दी को समान दर्जा दें।

कार्य समिति भाषा स्वातंत्र्य समिति और हिन्दी रक्षा समिति से अनुरोध करती है कि वे जल्दबाज़ी में कोई पग न उठायें। यह उनके लिए भी परीक्षा का समय है।

भारतीय जनसंघ पंजाब की जनता से अनुरोध करता है कि वह स्थिति का धैर्य, शक्ति और दृढ़ता के साथ सामना करे और अपनी एकता पर कोई आंच न आने दे।

[19 जुलाई 1958; बम्बई, के०का०स०]

58.29. सिंधी भाषा

भारतीय जनसंघ का यह निश्चित मत है कि बड़ी भारतीय भाषाओं में से एक होने के कारण (जो अपने आपमें विशिष्ट है और जिसका साहित्य भरा पूरा एवं विविधतापूर्ण है) सिंधी को भारतीय संविधान की भाषा संबंधी अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह बड़े दुःख का विषय है कि भारत के विभाजन के बाद 15 लाख सिंधी भाषी लोग जो सिंध छोड़कर भारत के विभिन्न भागों में आ बसे, अब यह अनुभव करें कि उनके लिए देश की स्वाधीनता का अर्थ केवल यही नहीं हुआ कि पैतृक घर-द्वार छूटा बल्कि उनकी मातृभाषा भी धीरे-धीरे मिट रहा

है। इसमें संदेह नहीं कि सरकार के आश्रय और समर्थन से किसी भाषा के विकास में सीमित सहायता ही मिल सकती है, फिर भी ऐसे किसी भाषायी समूह के लिए जिसका अब कोई प्रांत या क्षेत्र नहीं रहा, सरकारी मान्यता का बड़ा महत्व है। इस प्रश्न को लेकर जो कटुता और असंतोष बढ़ा वह हमारी स्वतंत्रता के इन 11 वर्षों में प्रकट होता रहा है और इधर हाल में सभाओं, प्रस्तावों, पत्रों आदि के रूप में आंदोलन करके सरकार से मांग की जा रही है कि वह सिंधी को उसका उचित स्थान प्रदान करे।

आठवीं अनुसूची में सिंधी को जोड़े—जनसंघ को खेद है कि सरकार इस मांग के बल और औचित्य को स्वीकार करने में विफल रही है। इस समय जो जन-आंदोलन चल रहा है जनसंघ उसका समर्थन करता है और अपनी इस मांग को दोहराता है कि सरकार इस संबंध में शीघ्र ही पहल करे और संविधान में संशोधन करने का कानून संसद में पास करे जिससे संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा सूची में सिंधी को भी जोड़ा जा सके।

[28 दिसम्बर 1958; बंगलौर, सातवां सा०अ०]

60.07. शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्धारण

हाल की घटनाओं ने जिनके परिणामस्वरूप मैसूर, प्रयाग और लखनऊ के विश्वविद्यालयों को बंद करना पड़ा, एक बार पुनः राष्ट्र का ध्यान उस रोग की ओर केन्द्रित किया है जिससे देश का शिक्षा क्षेत्र ग्रस्त है। इन घटनाओं का दायित्व विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता पर डाल देना प्रश्न का अत्यधिक सामान्य विवेचन होगा। विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता तो रोग का एक लक्षण मात्र है, उसके कारणों का निदान करने के लिए तो हमें समुचित रीति से अन्यत्र देखना होगा।

दूषित शिक्षा प्रणाली—केन्द्रीय कार्य समिति का मत है कि इस बुराई का मूल कारण हमारी शिक्षा प्रणाली है जो कि बहुत अधिक पुस्तक-प्रधान है तथा उसमें नैतिक एवं राष्ट्रीय तत्वों का अभाव है। प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं बहुत ही थोड़ी तथा सामान्य जनों की पहुंच के बाहर हैं। विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थियों की भरमार होती जा रही है जो कि अपने भविष्य के संबंध में अनिश्चित हैं और इसलिए वर्तमान के प्रति लापरवाह हैं।

मूलतः खतरनाक इस स्थिति को विश्वविद्यालयों में (उनकी स्वायत्तता की कीमत पर) शासन के बढ़ते हस्तक्षेप ने और भी गंभीर बना दिया है। ऊपर से लादे गये विश्वविद्यालयों के अनेक कुलपतियों के पास सत्ताधीशों के वरद हस्त

के अतिरिक्त और कोई उस पद की योग्यता नहीं है। शिक्षा-क्षेत्र के कई उच्च पदासीन अधिकारियों के विरुद्ध नैपुण्यहीनता, नियुक्ति और विद्यार्थियों के प्रवेश में पक्षपात, तथा नैतिक भ्रष्टाचार तक के आरोप खुले आम लगाये गये हैं।

कई उपकुलपति, अपने कर्मों या अकर्मों को ढकने के लिए, साधारण से कारणों पर विश्वविद्यालयों को बंद करने एवं बदले की भावना से विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी सहारा लेते हैं।

इस रोग का दूसरा कारण अध्यापकों का जो कि अधिकांशतः स्तर और नेतृत्व के गुणों का बिना विचार किये चुने जाते हैं, गिरता हुआ स्तर है। फलतः वे युवक विद्यार्थियों के सम्मुख वह योग्य आदर्श नहीं रख पाते जिससे उनके सर्वोत्तम गुणों का पूरा विकास हो सके। अत्यंत गर्हित प्रकार की आंतरिक राजनीति के चंगुल में विश्वविद्यालयों के फंसने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। इस राजनीति का उपयोग अयोग्य अध्यापक अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए करते हैं जिससे विद्यार्थियों का स्तर और उनमें अनुशासन का भाव और भी गिरता जा रहा है।

ये तथा अन्य कारण सामान्यतः सभी युवकों तथा विशेषतः विद्यार्थियों के नैराश्य एवं असंतोष के मूल में निहित हैं। कोरे उपदेश तथा विद्यालयों को बंद करने की धमकियों से इस रोग का निराकरण नहीं हो सकता।

शिक्षा व पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण—ऐसी परिस्थिति में कार्य समिति का मत है कि :

(1) लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए विवश करने वाली गंभीर परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक न्यायिक एवं शैक्षणिक जांच आयोग नियुक्त किया जाय।

(2) विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाये रखने तथा उन्हें प्रादेशिक राजनीति के अनुचित प्रभाव से मुक्त रखने के लिए यह प्रावधान किया जाय कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समितियों में प्रमुखतः शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापकों के प्रतिनिधि ही रहेंगे। बाहर के व्यक्तियों का, जिनमें कोई शैक्षणिक योग्यता या पात्रता नहीं होती, आज का बाहुल्य समाप्त होना चाहिए।

(3) शिक्षा को राष्ट्रीय एवं नैतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए शिक्षा-क्रम और पाठ्य पुस्तकों का इस प्रकार पुनर्निर्धारण किया जाय कि जिसमें विद्यार्थियों को अपनी राष्ट्रीय परम्परा, संस्कृति एवं जीवन-मूल्यों का समुचित ज्ञान प्राप्त हो और उनके प्रति श्रद्धा जागृत हो तथा उनमें राष्ट्र के सभी क्षेत्रों के महापुरुषों के प्रति आदर का भाव पैदा हो सके। ऐसे विद्यालयों को, जो इसी उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं, विशेष रूप से प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

(4) प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा (जो कि उच्च शिक्षा का आधार है) की ओर सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को समाज में सम्मान का स्थान मिलना चाहिए तथा जिन आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों से आज वे ग्रस्त हैं, उन्हें दूर करना चाहिए।

[25 जनवरी 1960; नागपुर आठवां सा०अ०]

60.19. पंजाब की भाषा समस्या

पंजाबी सूबे की मांग—अकाली पृथकतावाद का जन्म उस समय हुआ जब अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अनुसार 1919 में सिखों के लिए पृथक मतदाता सूचियों की व्यवस्था की थी। उस समय तो 'स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ता-संपन्न सिख राज्य' का स्वप्न पूरा न हुआ, किंतु आजादी के 13 वर्ष बाद अब यह प्रबल रूप धारण कर गया है। प्रयत्न हो रहे हैं कि विभाजित पंजाब को फिर विभाजित करने को भारत सरकार को बलपूर्वक राजी किया जाय। अकाली अपने असली इरादों को भाषा की चादर में लपेटने की कोशिश कर रहे थे, किंतु अब वह उघड़ गई है। पंजाबी सूबे की उनकी जो कल्पना है वह अकाली सूबे की कल्पना से भिन्न नहीं। पंजाब की आबादी में अकालियों की संख्या 25 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन वे स्वयं को इस तरह पेश करना चाहते हैं कि मानो अकेले वे ही पंजाबी हैं और शेष 75 प्रतिशत जनता का पंजाब के भविष्य से कोई सरोकार नहीं।

भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि सांप्रदायिक आधार पर पंजाब का दुबारा विभाजन करने की अकाली जो मांग कर रहे हैं वह पंजाब विरोधी है। यह लोकतंत्र के भी विरुद्ध है क्योंकि बहुतांश गैरअकाली पंजाबी एक स्वर से इस मांग के विरुद्ध हैं। भारतीय प्रतिनिधि सभा को विश्वास है कि पहले से ही विभक्त पंजाब को और विभाजित करने की अकालियों की इस मांग के विरुद्ध राष्ट्रवादी शक्तियों के संघर्ष में, समूचा राष्ट्रवादी भारत उनका समर्थन करेगा।

पंजाबी की लिपियां—जहां तक भाषा के प्रश्न का संबंध है, अकालियों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को छिपाने के लिए उसे एक बहाना मात्र बनाया है। भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह मत है कि यह समस्या अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन अकालियों और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने अपने घृणित राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए इसे जान-बूझकर शैतान की आंत की तरह बढ़ा दिया है। पंजाबी भाषा सब पंजाबियों की परमप्रिय थाती है और सब चाहते हैं कि उसका चहुंमुखी विकास हो। जनसंघ का मत है कि निम्नलिखित पग उठाकर पंजाब की भाषा

समस्या को सुलझाया जा सकता है :

(1) चूंकि समूचा पंजाब द्विभाषी है, अतः पंजाब का पंजाबी और हिन्दी क्षेत्रों में तथाकथित विभाजन कृत्रिम है और उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(2) समूचे प्रांत के लिए भाषायी गुर (फार्मूला) अपनाया जाना चाहिए। समूचे पंजाब की जनता में एकता का भाव जगाने के लिए यह आवश्यक है। इस गुर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे समूचे पंजाब में हिन्दी और पंजाबी को समान दर्जा मिल सके। शिक्षा के माध्यम और स्थिति के अनुसार दूसरी भाषा के रूप में किस स्तर से हिन्दी या पंजाबी का पठन-पाठन आरंभ हो, इसका चयन अभिभावकों और शिक्षा-शास्त्रियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

(3) देवनागरी और गुरुमुखी दोनों को पंजाबी की सरकारी लिपि माना जाए और पंजाबी को इनमें से किसी भी लिपि में लिखने की छूट दी जाए।

[28 अगस्त 1960; हैदराबाद, भा०प्र०स०]

62.11. भाषायी नीति

संविधान का उल्लंघन—जनसंघ इस बात पर गहरी चिंता प्रकट करता है कि संविधान में भाषा के बारे में की गई व्यवस्था के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे न तो केन्द्र में लागू किया गया है और न राज्यों में।

यद्यपि कुछ प्रदेशों ने प्रांतीय भाषाओं के बारे में कानून बनाये हैं तथापि व्यवहार में अब भी प्रशासन पर अंग्रेजी छायी हुई है।

प्रथम भाषायी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया, केन्द्र सरकार ने उसे भी लागू नहीं किया। संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो दूसरा भाषायी आयोग सरकार को नियुक्त करना था, वह 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी नियुक्त नहीं किया गया। ऐसा करने के बजाय सरकार ने अपने इस इरादे की घोषणा की है कि वह संविधान में संशोधन करने का विधेयक ला रही है, जिसके अनुसार केन्द्र में अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में चलाया जायेगा। हम इस कदम का सख्त विरोध करते हैं।

यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी किसी भारतीय भाषा की सहायक भाषा नहीं हो सकती। ऐतिहासिक, भौगोलिक, भाषायी और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय भाषाएं ही एक दूसरे की सहायक भाषा हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भारत की सरकारी या राष्ट्रभाषा कभी नहीं हो सकती।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में कोई टकराव नहीं। संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक भारतीय भाषा का क्षेत्र भलीभांति स्पष्ट है और कोई एक भाषा दूसरी भाषा का स्थान नहीं छीन सकती। यदि आज विवाद उठा है और कुछ लोगों के दिमागों में संदेह जमा है तो इसका कारण सरकार की वे नीतियां हैं जिनके द्वारा विदेशी भाषा का समर्थन किया गया है। सरकार केवल यह तर्क देकर कि उनके कर्मचारी प्रांतीय भाषाओं या संघ सरकार की भाषा में काम करने के लिए प्रशिक्षित नहीं, अंग्रेजी का प्रयोग जारी नहीं रख सकती। यह केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों का दायित्व है कि अपने कर्मचारियों को भारतीय भाषा के माध्यम से काम करने को प्रशिक्षित करे।

अहिन्दीभाषियों के हित—जनसंघ मांग करता है कि :

(1) सरकारी काम-काज से अंग्रेजी को हटाकर प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से काम आरंभ किया जाय और ऐसा तत्काल किया जाय।

(2) अंतर्प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवहार में संविधान की व्यवस्थाओं का आदर किया जाय और संघ सरकार की भाषा के रूप में अंग्रेजी के व्यवहार को 1965 तक समाप्त कर दिया जाय।

(3) सरकार द्वारा ऐसी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि अहिन्दी भाषी जनता के हितों की पूरी तरह रक्षा हो सके।

समिति अपनी सब शाखाओं का आवाहन करती है कि वे सरकार के इस कदम के विरुद्ध जनमत तैयार करें और लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में इसके लिए सम्मेलन आयोजित करें।

[29 सितम्बर 1962; राजमुंद्री, के०का०स०]

62.15. विवादास्पद भाषा विधेयक

चीन के व्यापक आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट की स्थिति और युद्ध प्रयत्नों में जनता के एकाग्र सहयोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारतीय जनसंघ सरकार से अपील करता है कि वह तीव्र विवादास्पद भाषा विधेयक को संसद में लाने का विचार स्थगित कर दे। विधेयक अच्छे दिनों के लिए रुक सकता है और अभी यथास्थिति के समाप्त होने में दो वर्ष बाकी हैं। आज जबकि शासन ने उपचुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक को भी रोकना उचित समझा है, भाषा विधेयक को लाना अविवेकपूर्ण तथा असामयिक होगा क्योंकि वह एक व्यापक विषय है और उसकी सीमाएं ऐतिहासिक महत्व की हैं।

[31 अक्तूबर 1962; दिल्ली, के०का०स०]

63.06. उपनिवेशवादी भाषा विधेयक

लोकतंत्र-विरोधी विधेयक—प्रस्तावित भाषा विधेयक पर जनसंघ अपनी जबर्दस्त चिंता प्रकट करता है, क्योंकि यह औपनिवेशिक भाषायी विधेयक का छद्म नाम है और इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन की भाषा को वैधता प्रदान करना है। इस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के काम-काज में अकेले अंग्रेजी का प्रयोग उसी तरह जारी रहेगा जैसा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय में था। अंग्रेजी का एकाधिकार रहेगा और भारतीय भाषाओं को दबाया जायेगा। उन पर अंग्रेजी का राज रहेगा और उन्हें सिर्फ छुटपुट कामों के लिए ही प्रयोग में लिया जायेगा। इस प्रकार,देश की 98 प्रतिशत जनता को अनंत-काल तक लकड़हारों, भिश्तियों, खनिकों और धूल भरे खेतों में खेती करने वालों की स्थिति में रखा जायेगा। वे सरकारी तंत्र के समीप क्लर्क की हैसियत से भी नहीं फटक सकेंगे। शिक्षा और कानून, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र उन्हीं के लिए खुले रहेंगे जो अपने जीवन के 10-15 अमूल्य वर्ष, विश्व की सर्वाधिक आवारा भाषा अंग्रेजी पर अधिकार पाने के प्रयत्न करते हुए बितायेंगे।

भारतीय भाषाओं को गैरकानूनी ठहराने के सरकार के इस सतत राष्ट्र-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी प्रयत्न का जनसंघ कभी समर्थन नहीं कर सकता। प्रत्येक प्रांत में वहां की प्रांतीय भाषा और केन्द्र में संपर्क-भाषा के रूप में हिन्दी ही भारत के विकास का माध्यम बन सकती है। जो लोग केन्द्र में हिन्दी का विरोध करते हैं वे अज्ञानवश तमिलनाडु में तमिल का और बंगाल में बंगला का भी विरोध कर रहे हैं। हम राष्ट्र के सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय भाषाओं के बीच आपस में कोई विवाद नहीं। जिस विवाद की बात कही जा रही है या जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह कृत्रिम है और स्नेह के बजाय घृणा पर आधारित है। भारतीय जनता की भावात्मक एकता में यह बात भी शामिल है कि वे एक दूसरे की भाषा से स्नेह रखें और उसका आदर करें।

हम जनता और संसद में बैठे उसके प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस बात को समझें कि इस विधेयक से राष्ट्रीयता के हनन की प्रक्रिया कितने बड़े पैमाने पर आरंभ होगी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे इसका विरोध करें और देश में भारतीय भाषाओं को उनका उन्नत स्थान दिलायें।

दो प्रतिशत अंग्रेजी भक्त—सरकार यदि अपने क्रूर बहुमत के बल पर भाषा विधेयक को पारित कराने में सफल हो ही जाती है तो अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष और तेज करना होगा और उसे तब तक जारी रखना होगा, जब तक कि अंग्रेजी को हटा नहीं दिया जाता। अंग्रेजी के विरुद्ध यह संघर्ष एक अश्रुतपूर्व और सबसे बड़े एकाधिकार के विरुद्ध संघर्ष होगा—ऐसा एकाधिकार जिसको

कायम करके, 2 प्रतिशत अंग्रेजी भक्तों ने जीवन की अनेक अच्छी वस्तुएं अपने लिए सुरक्षित कर ली हैं और शेष जनता को उनसे वंचित कर दिया है।

भारतीय भाषाओं द्वारा सामाजिक समतावाद—यह लड़ाई आर्थिक भी होगी, क्योंकि अंग्रेजीभक्त एकाधिकारवादी प्रति वर्ष 30 अरब रुपये खर्च करते हैं। अंग्रेजी न जानने वालों को अकुशल श्रमिकों की भांति प्रतिदिन औसत 2-3 रुपये से लेकर टुकड़े बटोरने तक संतोष करना पड़ता है। अंग्रेजी जानने वाले 2 प्रतिशत या इससे भी कम लोग ही उच्चतर वेतन अर्जित करते हैं। अंग्रेजी के विरुद्ध युद्ध, सामाजिक समतावाद का युद्ध होगा, जो कि अंग्रेजी जानने वाले नकचढ़े अति-उच्चवर्ग वालों के खिलाफ लड़ा जायेगा। इन लोगों ने समाज के प्रतिष्ठा वाले पदों को हड़पकर औरों को उन तक पहुंचने से वंचित कर दिया है।

मातृभाषा द्वारा शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार—अंग्रेजी के खिलाफ संघर्ष उन लोगों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने का संघर्ष होगा, जिन्होंने अपने यौवन के श्रेष्ठतम वर्ष विश्व की सबसे अधिक सनकी भाषा को घोटने में नहीं गुजारे। प्रत्येक भारतीय का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे और राष्ट्रीय जीवन के उच्चतम पद तक पहुंचे। अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई होगी। कोई भी लोकतंत्र जनता की भाषा के अलावा और किसी भाषा में नहीं चल सकता। सड़कों के संकेत चिह्नों, संसद की बहस, न्यायालयों और बैंकों को भला किसी विदेशी भाषा में कैसे चलने दिया जा सकता है।

अभारतीयकरण—विदेशी भाषा, साहित्य, परंपरा, स्वभाव और व्यवहार को अपनाने पर पूरा जोर देकर तथा भारतीय साहित्य, परंपरा, स्वभाव और व्यवहार को गिराकर और इस प्रकार भारतीय व्यक्तित्व के विकास को कुंठित एवं दलित रखकर अभारतीयकरण का जो प्रयास किया जा रहा है, यह संघर्ष उस प्रयास के विरुद्ध होगा। जनसंघ राष्ट्र को आगाह करता है कि यह संघर्ष लंबा और कठिन होगा, किंतु वह जनता में यह विश्वास भी जगाना चाहता है कि अंत में उपनिवेशवाद पर राष्ट्रवाद की ही विजय होगी।

[6 अप्रैल 1963; दिल्ली, के०का०स०]

63.17. प्रांतों की राजभाषाएं

राज-व्यवहार में भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी के प्रयोग की नीति के अनुसार भारत सरकार ने केन्द्र में राजभाषा विधेयक पारित करने के उपरांत अब प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया है कि वे भी अपने विधानमंडलों द्वारा क्षेत्रीय

भाषाओं के स्थान पर 26 जनवरी 1965 के उपरांत भी अंग्रेजी को बनाये रखने तथा विधेयक और अधिनियमों आदि के अंग्रेजी रूप को ही अधिकृत मानने के विषय में विधान स्वीकृत करा लें। इस आदेश से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो केन्द्र में अंग्रेजी के प्रयोग का इस आधार पर समर्थन कर रहे थे कि इससे केवल हिन्दी का सार्वदेशिक राजभाषा के रूप में आविर्भाव रुक जायेगा तथा प्रादेशिक भाषाओं को अपने-अपने क्षेत्र में राज्यीय व्यवहार में पूर्णरूप से प्रयुक्त किया जा सकेगा। भारतीय जनसंघ प्रारंभ से ही इस तथ्य पर बल देता रहा है कि यह संघर्ष हिन्दी और अंग्रेजी के बीच नहीं, अपितु समस्त भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी का है। भारतीय भाषाओं में परस्पर प्रतिस्पर्धा का कोई क्षेत्र नहीं है। केन्द्र में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में यह व्यावहारिक कठिनाई बताई जाती थी कि अहिन्दी भाषाभाषियों को अभी तक उसका पर्याप्त ज्ञान नहीं है। किंतु प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषा के व्यवहार में ऐसी कोई कठिनाई आड़े नहीं आती। स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार का निर्देश उसके भारतीय भाषाओं के प्रति एक हेय भाव तथा अंग्रेजी प्रेम का ही द्योतक है। भारत के सभी स्वतंत्रतावादी एवं राष्ट्रीय तत्वों का यह कर्तव्य है कि वे इस प्रवृत्ति की घातक गंभीरता का अनुभव कर उसका डटकर विरोध करें। जनसंघ प्रदेश सरकारों से मांग करता है कि वे अपने काम-काज में क्षेत्रीय भाषाओं का पूर्णतः प्रयोग करते हुए 26 जनवरी 1965 तक अपने-आपको अंग्रेजी के चंगुल से पूर्णतः मुक्त कर लें तथा अंग्रेजी को आगे बनाये रखने वाला कोई विधेयक प्रस्तुत न करें।

[12 अगस्त 1963; दिल्ली, भा०प्र०स०]

65.04. भाषायी नीति

भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में चलते रहने की 15 वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो जाती है। उसके बाद केन्द्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का तथा विभिन्न प्रदेशों के राजकाज के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। यह अत्यंत दुःख का विषय है कि सरकार ने इस परिवर्तन के लिए योग्य व्यवस्था नहीं की। किंतु उसकी गलतियों और ढिलाई के कारण भारतीय राष्ट्र की स्वराज्य साधना का यह अपरिहार्य पग पीछे नहीं हटाया जा सकता। जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह भारत सरकार को अंग्रेजी के बंधन और व्यामोह से मुक्त करने के लिए आवश्यक संघर्ष करे। भारतीय जनसंघ राष्ट्र के इस संघर्ष में आगे रहेगा तथा जनसंघ के कार्यकर्ता प्रत्येक स्तर

और क्षेत्र में यह देखेंगे कि प्रशासन में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग हो।

संविधान की इस व्यवस्था को बदलकर उलटी गंगा बहाने का प्रयास कुछ तत्वों द्वारा हो रहा है। वे अंग्रेजी को रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए देश में विघटन और विच्छेद का विष-बीज भी बोना प्रारंभ किया है। उनका यह विष घातक न सिद्ध हो, इसके लिए राष्ट्रीय एकता की शक्तियों को संगठित होना चाहिए।

अंग्रेजी को भारतीय एकता का पोषक बताना निराधार है। यदि यही तर्क माना जाय तो अंग्रेजी राज्य का समर्थन भी भारत की एकता के नाम पर किया जा सकता था। राष्ट्र की एकता का आधार तो वे ही तत्व हो सकते हैं जो राष्ट्र की आत्मा को पुष्ट और अभिव्यक्त करें। पिछली दो शताब्दियों में अंग्रेजी के प्रभुत्व ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को कुंठित कर विघटन की प्रवृत्ति को ही बढ़ाया है। अतः देश की एकता के लिए ही यह आवश्यक है कि अंग्रेजी को विदा किया जाय।

केन्द्र की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग एक ऐतिहासिक प्रक्रिया मात्र है। उसी प्रकार प्रदेश स्तर पर अंग्रेजी को हटाकर प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है। भारत की ये सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं और उनका दर्जा बराबर का है। प्रशासन में उनके प्रयोग की व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होनी चाहिए। साथ ही भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में सिंधी भाषा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

संस्कृत प्रसारण—जहां तक राष्ट्रभाषा के महत्वपूर्ण स्थान का संबंध है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वह संस्कृत को ही प्राप्त है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जहां प्रशासन और राज-व्यवहार में राजाभाषा हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग हो, वहां विशेष सरकारी महोत्सवों एवं अवसरों पर संस्कृत का भी प्रयोग किया जाय। आकाशवाणी पर भी संस्कृत में प्रसारण हों।

प्रशासन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए जिस तैयारी को अभी तक पूर्ण हो जाना चाहिए था सरकार की नीति के कारण वह नहीं हुई। अतः कुछ लोगों में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि यदि यह परिवर्तन हुआ तो राजसेवा के संबंध में उनके भविष्य पर प्रतिकूल परिणाम पड़ेगा। भारतीय जनसंघ इस संबंध में उन्हें आश्वस्त करना चाहता है कि ऐसा नहीं होने दिया जायेगा किन्तु वह यह भी आशा रखता है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपने आपको इस योग्य बना लेंगे कि जिससे वे अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सकें।

[24 जनवरी 1965; विजयवाड़ा, बारहवां सा०अ०]

65.10. अंग्रेजी का विस्थापन

केन्द्रीय कार्य समिति भाषा के प्रश्न पर तमिलनाडु में हुए हिंसात्मक उपद्रवों की कठोर निंदा करती है और मांग करती है कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जाय जो इस बात का पता लगाये कि राजभाषा के प्रश्न पर जनता की कल्पित अथवा वास्तविक आशंकाओं को उभाड़कर उसे हिंसा, हत्या तथा अग्निकांड के लिए प्रेरित तथा उद्यत करने वाले कौन तत्व थे।

उपद्रवों के दौरान अरविन्द आश्रम पर आक्रमण, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर संगठित हमले, गांधी जी की मूर्तियों का तोड़ना, राज्य-ध्वज का अपमान तथा राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन के अंग्रेजी पुस्तकालय को जलाना यह बताता है कि राष्ट्र-विरोधी तथा समाज-विरोधी तत्वों के लिए, भाषा तो एक बहाना मात्र था। उनका वास्तविक उद्देश्य समाज तथा राज्य की सत्ता को चुनौती देना और अराजकता की स्थिति पैदा करना था। यदि भारत को अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करनी है तो उसे ऐसी प्रवृत्तियों और शक्तियों का दृढ़ता से दमन और निर्मूलन करना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता। तमिलनाडु के उपद्रव एक गंभीर चेतावनी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

संविधान सभा ने जब सर्वसम्मति से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को केन्द्र की राजभाषा बनाने का निर्णय किया तो वह श्रेष्ठ भावना से अनुप्राणित था कि कोई विदेशी भाषा राष्ट्र की आत्माभिव्यक्ति और उसके सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास का साधन नहीं हो सकती। संविधान के मसविदे में अंग्रेजी के प्रयोग को केवल 5 वर्ष की छूट देने का सुझाव था, किन्तु अहिन्दी भाषा-भाषियों, विशेषतः मद्रास से निर्वाचित सदस्यों के आग्रह पर उस अवधि को 15 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यदि इस कालावधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारें भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास और उत्तरोत्तर प्रयोग का योजनाबद्ध प्रयास करतीं तो 26 जनवरी 1965 का दिन हमारे राष्ट्र जीवन में एक ऐतिहासिक दिन बनकर आता जब कि हम एक विदेशी भाषा की गुलामी से सर्वथा मुक्त होकर अपनी भाषाओं को उनका उचित स्थान दे सकते थे। किन्तु सरकार की अकर्मण्यता तथा अक्षमता के फलस्वरूप देश आज भी स्वयं को अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में परिवर्तन के लिए पूर्णतया तैयार नहीं पाता। केवल केन्द्र में ही नहीं राज्यों में भी अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम है और भारतीय भाषाएं तिरस्कृत और उपेक्षित हैं। कुछ क्षेत्रों में तो 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग पहले से भी बढ़ा है। यह स्थिति सर्वथा असहनीय है और इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता।

भाषायी स्वराज्य व स्वभाषा—आवश्यक है कि भाषायी स्वराज्य में अपनी

निष्ठा का राष्ट्र पुनः उद्घोष करे और जीवन के हर क्षेत्र में स्वभाषा की प्रभुता और प्रचलन में अपने पवित्र संकल्प को दोहराये। भाषा के संबंध में संविधान में जो प्रावधान है उससे पीछे लौटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमें निरंतर आगे बढ़ना है और उन 96 प्रतिशत भारतीयों को राजकाज तथा सार्वजनिक जीवन में बराबर का भागीदार बनाना है जो अंग्रेजी न जानने के कारण दूसरे दर्जे के नागरिक बने हुए हैं और वाणी रखते हुए भी गूंगे बना दिये गये हैं।

अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं के लिए संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए संविधान में 15 वर्ष तक अंग्रेजी को जारी रखने और बाद में भी कानून बनाकर अंग्रेजी के प्रयोग की सुविधा देने की व्यवस्था की गई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत अंग्रेजी के प्रयोग की छूट है जिससे किसी अहिंदी भाषा-भाषी को असुविधा अथवा क्षति न हो। राजभाषा अधिनियम में ऐसा कोई भी संशोधन जो अंग्रेजी के स्थान पर केन्द्र तथा राज्यों में भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित और प्रचलित करने के अन्तिम लक्ष्य के विपरीत हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय कार्य समिति मांग करती है कि :

(1) राज्यों में अंग्रेजी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं को अविलम्ब प्रतिष्ठित किया जाय और राजकाज में उनका पूर्ण प्रचलन हो। राज्यों में अंग्रेजी को बनाये रखने का अब कोई औचित्य नहीं है और जनता को उसे सहन नहीं करना चाहिए।

(2) केन्द्र में ऐसे अहिंदी-भाषा-भाषियों की सुविधा के लिए जो हिन्दी नहीं जानते और गत 17 वर्षों में हिन्दी में काम करने की योग्यता प्राप्त नहीं कर सके उन्हें आगामी 10 वर्षों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की छूट रहे।

(3) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाएं हों। हिन्दी भाषियों के लिए एक अन्य भारतीय भाषा का तथा अहिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी का प्रश्नपत्र अनिवार्य हो।

(4) सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। उनका स्थान समान है और सरकार पर उनके विकास का एक जैसा दायित्व है। शासन को एक निश्चित योजना बनाकर इस दायित्व का पालन करना चाहिए जिससे सभी भारतीय भाषाएं समृद्ध होकर राष्ट्र जीवन को पुष्ट कर सकें।

[3 अप्रैल 1965; जयपुर, के०का०स०]

65.15. राजभाषा

अधूरा स्वराज्य—कांग्रेस कार्य समिति के हाल के प्रस्ताव से (जिसके आधार पर सरकार अपनी नीति अपनायेगी) देश में राष्ट्रीय-भाषायी स्वराज्य चाहने वालों की आशाओं पर तुषारापात हुआ है। खेद है कि प्रस्ताव में संविधान में दिये गये हिन्दी संबंधी आश्वासनों को कार्यरूप देने की दिशा में कोई व्यावहारिक पग सुझाया नहीं गया। अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग की बात तो कही गई है किन्तु इस बात का संकेत नहीं है कि हिन्दी राजभाषा के रूप में कब और कैसे आयेगी। अहिन्दी-भाषी प्रदेशों को यह अधिकार दे देना कि जब तक उनमें से कोई भी एक न चाहे तब तक केन्द्र में अंग्रेजी बनी रहेगी, इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस कार्य समिति केन्द्र से अंग्रेजी को हटाने और उसके स्थान पर हिन्दी को चालू करने के संबंध में प्रामाणिक नहीं है। संविधान सभा ने जब सर्वसम्मति से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को केन्द्र की राजभाषा बनाने का निर्णय किया तो वह इस श्रेष्ठ भावना से अनुप्राणित था कि कोई विदेशी भाषा राष्ट्र के सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास का साधन नहीं बन सकती। देशवासियों को यह विश्वास था कि 26 जनवरी 1965 का दिन हमारे राष्ट्र जीवन में एक ऐतिहासिक दिवस बनकर आयेगा जब हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्त होकर अपनी भाषाओं को उचित स्थान दे सकेंगे। किंतु कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव से ऐसा आभास मिलता है कि अंग्रेजी चिरकाल तक इस देश में कायम रहेगी और भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान नहीं मिल सकेगा।

26 जनवरी 1965 से पूर्व भारत सरकार के अनेक विभागों में जितनी हिन्दी आई थी और हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए जो व्यवस्था की गई थी, आज उन सबको स्थगित कर दिया गया है। यदि यही स्थिति चलती रही तो राज्य-कर्ताओं का यह कथन कि अंत में हिन्दी ही यहां की राजभाषा होगी, लोक-प्रवंचना मात्र होगा।

त्रिभाषा सूत्र—भारतीय जनसंघ इस स्थिति की तीव्र आलोचना करता है और मांग करता है कि :

(1) इस बात की सुस्पष्ट घोषणा कर दी जाय कि 26 जनवरी 1965 के पश्चात् हिन्दी ही भारत की राजभाषा है और भारत सरकार के संपूर्ण काम-काज में उसका निर्बाध प्रयोग होगा। उन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को, जिन्होंने अभी तक हिन्दी नहीं सीखी, 10 वर्ष के लिए अंग्रेजी में काम करने की छूट दी जाय। साथ ही, उनको हिन्दी का ज्ञान कराने के लिए सुनियोजित व्यवस्था की जाय।

(2) सभी भारतीय भाषाओं को तुरंत लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं का

माध्यम घोषित किया जाय। विश्वविद्यालयों में जिन-जिन भारतीय भाषाओं के माध्यम से बी०ए० तक पढ़ाई होती है, उन भाषाओं के माध्यम से लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अविलंब चालू कर दी जायें। जैसे-जैसे अन्य भाषाएं विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनती जायें, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उनका समावेश करते जाना चाहिए।

(3) शिक्षाक्रम में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त की जाय और उसे अन्य विदेशी भाषाओं के साथ एक ऐच्छिक विषय बना दिया जाय।

(4) त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था हो :

मातृभाषा
संस्कृत
हिन्दी (जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनके लिए एक आधुनिक भारतीय भाषा)।

[10 जुलाई 1965; जबलपुर, के०का०स०]

67.18. क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा शिक्षा

उच्चतम शिक्षा का माध्यम—संसदीय शिक्षा समिति और शिक्षा मंत्री सम्मेलन के, क्षेत्रीय भाषाओं को उच्चतम स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रस्ताव का, केन्द्रीय कार्य समिति स्वागत करती है। इस निर्णय का उपकुलपति सम्मेलन ने भी काफी सीमा तक समर्थन किया है।

इस समिति व इन सम्मेलनों के विचार-विमर्श के फलस्वरूप संयोग से यह स्पष्ट हो गया है कि एक सर्वसम्मत संपर्क भाषा की आवश्यकता है और इनकी इस बात पर भी सहमति है कि ऐसी सम्पर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है। कार्य समिति को विश्वास है कि यह निर्णय नयी पीढ़ी को विदेशी भाषा के बोझ से मुक्ति दिलायेगा और उनकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए भी उपयुक्त वातावरण बनेगा, जो अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण अब तक अवरुद्ध था।

इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि यह निर्णय देश की एकता के लिए संकट उत्पन्न करेगा और अंतर्प्रान्तीय संचारण का मार्ग भी अवरुद्ध करेगा। इन आशंकाओं के मूल में यह धारणा है कि अंग्रेजी देश की एकता का सूत्र है। लेकिन यह धारणा बिल्कुल भ्रामक है। अंग्रेजी के आने के सदियों पहले भी

भारत एक था और अंग्रेजी का वर्तमान प्रभुत्व समाप्त होने के बाद भी एक रहेगा। अंग्रेजी अगर आज संचारण का सूत्र है तो वह देश की केवल 2 प्रतिशत आबादी के लिए है।

अंग्रेजी के स्थान पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं के बनने से हमारी एकता का सूत्र कमजोर होने के बजाय और मजबूत होगा क्योंकि प्रायः सभी राष्ट्रीय भाषाओं का शब्द-भंडार मुख्यतः संस्कृत पर आश्रित होने के कारण उनका उद्गम स्थल एक ही है।

कार्य समिति इस बात पर संतोष प्रकट करती है कि भाषा के नाम पर पिछले 2 वर्षों की तनातनी के बावजूद, सभी राजनीतिक दल क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न पर एक राय प्रकट करने में सफल हुए हैं। अतः जिन्हें देश की एकता प्रिय है, उन्हें इस संकल्प को पूरा कराने के लिए प्रामाणिकतापूर्वक पुरजोर प्रयास करना चाहिए।

[19 सितम्बर 1967; बड़ौदा, के०का०स०]

67.23. राजभाषा

चिरकाल के लिए अंग्रेजी—हाल में ही बने भाषा कानून को जनता के ऊपर थोपकर भारत सरकार ने देश की कुसेवा की है। इस कानून से विभिन्न भाषा-भाषी समूहों में अनावश्यक तनाव पैदा हुए हैं और कहीं-कहीं तो हिंसा तथा अराजकता की कार्यवाहियां भी हुई हैं। दूसरे, इस बात को अनदेखा करके कि अंग्रेजी को चिरकालीन बनाये रखने का भारतीय भाषाओं के स्वाभाविक विकास पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, राजभाषा कानून ने प्रमुख राजनीतिक दलों के इस सर्वसम्मत निर्णय को कार्यान्वित करने में भी बाधा पैदा की है कि प्रादेशिक भाषाओं को उच्चतम शिक्षा तक का माध्यम बनाया जाय और सभी राज्यों में प्रशासन जनता की भाषाओं में चले।

1967 के अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भारतीय जनसंघ ने राजभाषा के प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण को पूर्णतया स्पष्ट किया था। उसकी नीति के चार मुख्य आधार हैं :

(1) प्रादेशिक भाषाओं को अपने-अपने राज्यों में अविलंब राज-काज की भाषा बनाना।

(2) रेलवे, डाकतार जैसे केन्द्रीय सरकार के विभागों में, जिनका जनता के साथ सीधा संबंध आता है, हिंदी के साथ प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग।

(3) केन्द्र की राजभाषा हिन्दी हो, किंतु इससे हिन्दी न जानने वालों को कोई

असुविधा नही होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को संक्रमण-काल में अंग्रेजी में काम करने की छूट होनी चाहिए।

(4) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिएं।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि राजभाषा के प्रश्न पर भारत सरकार का रवैया बड़ा लचर रहा है। संविधान ने सरकार पर यह दायित्व डाला था कि वह 15 वर्ष के भीतर अंग्रेजी का स्थान हिन्दी द्वारा लिये जाने की पर्याप्त तैयारी करे। भारत सरकार इस दायित्व का निर्वाह करने में विफल रही। इस विफलता के फलस्वरूप ही कुछ अहिन्दी-भाषा-भाषी वर्गों में यह आशंका पैदा हुई कि भाषा के मामले में अचानक परिवर्तन होगा और उससे उनके हितों को हानि पहुंचेगी। इस वर्ग की प्रामाणिक आशंकाओं और उन तत्वों की, जिनके अंग्रेजी को बनाये रखने में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक निहित स्वार्थ विकसित हो गये हैं, करतूतों के कारण मद्रास में फरवरी 1965 में गंभीर उपद्रव हुए। तभी से भाषा के प्रश्न पर भारत सरकार दिशा तथा अनुपात का सभी विचार खो बैठी है। बाद में किये गये उसके सभी निर्णय समय-समय पर पड़ने वाले दबावों के आधार पर हुए केवल कामचलाऊ निर्णय ही हैं। हाल में पारित राजभाषा कानून सरकार के भ्रान्त चिंतन का एक चुभता हुआ नमूना है। सभी समूहों के मतैक्य को प्रतिबिम्बित करने के नाम पर उसने प्रत्येक समूह के उग्र विरोध को ही आमंत्रित किया है। यह कानून किसी समस्या को हल नहीं करता, उल्टे यह अनेक नई समस्याएं उत्पन्न करता है। जहां तक केन्द्रीय प्रशासन में हिन्दी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग की छूट देने का प्रश्न है, यह कानून 1963 में पारित राजभाषा कानून में की गई व्यवस्था से आगे नहीं जाता। अतः हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों की दृष्टि से वर्तमान कानून सर्वथा अनावश्यक है। संविधान केन्द्रीय विषयों पर कानून बनाने का पूर्णाधिकार संसद को देता है। यह कानून संविधान की इस व्यवस्था का भी उल्लंघन करता है और संसद की सर्वप्रभुता को सीमित करता है और बड़े ही विकृत ढंग से किसी भी एक छोटे राज्य को संसद के निर्णय को 'वीटो' करने का अधिकार देता है। स्पष्ट है कि राजभाषा (संशोधन) कानून अविवेक-पूर्ण, अनावश्यक और असंवैधानिक है।

भाषा का थोपना नहीं—हिन्दी को स्वेच्छापूर्ण सहमति से ही आगे बढ़ना है। साथ ही, अंग्रेजी को भी किसी वर्ग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं थोपा जा सकता। हमें विश्वास है कि यदि केन्द्रीय सरकार शिक्षा के माध्यम संबंधी अपने निर्णय को, जिसकी पुष्टि शिक्षा मंत्रियों और उपकुलपतियों के सम्मेलनों ने की है, ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करती है तो राजभाषा के प्रश्न पर चलने वाला विवाद धीरे-धीरे शांत हो जायेगा। जब प्रादेशिक भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र में

प्रशासन के माध्यम के रूप में उचित स्थान ग्रहण करेंगी और हिंदी केन्द्र की एक-मेव भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी, भारतीय जनता देश के लोकतांत्रिक शासन में भागीदार बनने की वास्तविक अनुभूति प्राप्त कर सकेगी। राष्ट्र उस दिन की आतुरता से बाट जोह रहा है।

इसी बीच में भारतीय जनसंघ केन्द्रीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित व्यवस्था का सुझाव देता है :

(1) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्मीदवारों को प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से बैठने का प्रबंध करने के लिए अविलंब कार्यवाही की जाय।

(2) केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का ज्ञान अनिवार्य नहीं होना चाहिए। नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए चयन के बाद प्रशिक्षण की अवधि में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो।

(3) नियुक्त होने वाले व्यक्तियों में से, जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, उन्हें प्रशिक्षण काल में एक अन्य भारतीय भाषा की कामचलाऊ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

[26 दिसम्बर 1967; कालीकट, चौदहवां सा०अ०]

68.20. अध्यापकों की हड़ताल

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों तथा राज्य सरकार के बीच हुए समझौता वार्ता की विफलता पर केन्द्रीय कार्य समिति गहरी चिंता प्रकट करती है। प्रायः 10 हजार माध्यमिक अध्यापक इस समय जेल में बंद हैं जिससे सारे प्रदेश में माध्य-मिक शिक्षा का कार्य ठप्प पड़ा है। परीक्षाएं निकट होने के कारण स्थिति की गंभीरता और भी बढ़ गई है।

कार्य समिति का यह निश्चित मत है कि गत 20 वर्षों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तथा उसमें लगे हुए अध्यापकों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई गई है। न तो अध्यापकों के वेतन दर ही उपयुक्त हैं और न उन्हें महंगाई के अनुरूप भत्ता ही मिलता है। 'समान कार्य के लिए एक-सा वेतन' का सर्वमान्य सिद्धांत अध्यापकों के संबंध में लागू नहीं किया गया है। यहां तक कि सरकार अध्यापकों के वेतन सीधे राजकोष से वितरित कराने का प्रबंध भी नहीं करा सकी है।

कोठारी आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति—केन्द्रीय कार्य समिति की मांग

है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति को संभालने और राज्य सरकार तथा माध्यमिक शिक्षकों के बीच उत्पन्न गतिरोध को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। उपयुक्त समझौते के लिए योग्य वातावरण निर्माण करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपायों की योजना आवश्यक है :

(1) सभी गिरफ्तार अध्यापकों को अविलंब रिहा कर दिया जाय और यह आश्वासन दिया जाय कि हड़ताल में भाग लेने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) संविद सरकार ने महंगाई भत्ते में समानता का सिद्धांत स्वीकार कर जो वृद्धि की थी उसे निर्णय की तिथि से लागू किया जाय और बकाया भत्ते के भुगतान की व्यवस्था हो। भविष्य में भत्ते की समानता कायम रखी जाय।

(3) अध्यापकों को राजकोष से सीधे वेतन देने के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक पग उठाये जायें।

(4) कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों के वेतन दरों के संबंध में जो सिफारिशें की गई हैं, उन्हें सरकार सिद्धांततः स्वीकार करे और उनके कार्यान्वयन के लिए क्रमिक कार्यक्रम बनाये।

[16 दिसम्बर 1968; दिल्ली, के०का०स०]

अध्याय 2

विधि

स्वतंत्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र की प्रमुख कसौटी माने गये हैं। अपने जन्मकाल से ही भारतीय जनसंघ इन जीवन-मूल्यों के लिए प्रखर प्रयास करता रहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की मनमानी नियुक्ति के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा हाल ही में इस्तीफा देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रश्न आज ज्वलंत बन गया है। किंतु आज से 2 वर्ष पूर्व जब कि 1971 की लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए ही थे, जनसंघ ने चेतावनी दी थी : "प्रधानमंत्री ने चुनाव के पश्चात् अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो कुछ कहा है, उससे जनता की इन कुशंकाओं की पुष्टि ही हुई है कि सत्तारूढ़ दल न्यायपालिका के स्वतंत्र दर्जे को घटाना और उसकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहता है" (71.01)। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए उसका आग्रह है कि "सर्वोच्च व उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त जजों को किसी भी वेतनभोगी सरकारी पद को स्वीकार करने की अनुमति न दी जाय" (54.17)। मैजिस्ट्रेटों के स्तर पर उसने न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक् किये जाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि "न्याय को शासन से पृथक् किये बिना निष्पक्ष रीति से न्यायदान नहीं किया जा सकता" (54.17)।

कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकार विचार और विवाद के द्वारा चलती है जिनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मुक्त आवागमन अनिवार्य हैं। गत 25 वर्षों में इस प्रकार के अनेक प्रसंग आये हैं जबकि सत्तारूढ़ दल ने इस प्रकार की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाकर अपनी असहिष्णु मनोवृत्ति का परिचय दिया है। ऐसी पाबंदी का भारतीय जनसंघ ने सदैव जोरदार विरोध किया है। उसका विश्वास है कि "मुक्त आवागमन व विचार अभिव्यक्ति की आजादी और अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं लोकतंत्र की मौलिक आवश्यकताएं हैं जिसका कि मूल आधार समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता है" (56.19)। बिना अभियोग चलाये व्यक्ति को बंदी बनाने की कल्पना का जनसंघ विरोधी है। उसका विचार है : "नजरबंदी कानून का अस्तित्व व्यक्ति-स्वातंत्र्य के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। भ्रष्ट अधिकारियों को इसके द्वारा स्वच्छन्दता प्राप्त होती है तथा अधिनायकवादी सत्तारूढ़ दल को अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों पर वैयक्तिक प्रतिशोध लेने का मनचाहा अवसर मिलता है" (54.06)।

विभिन्न जातियां तथा पंथ होते हुए भी जनसंघ की कल्पना के अनुसार समाज में सभी व्यक्ति समान हैं। इसलिए हिंदू कोड विधेयक को वह भेदभावपूर्ण और 'संविधान के विरुद्ध' मानता है। भारतीय संविधान में बड़े स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया गया है कि "सरकार भारत के समूचे प्रदेश एवं उसके समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनायेगी" (55.17)।

1967 के आम चुनाव के पश्चात् जब कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार भंग हो गया और एक ऐसी स्थिति देश में उभरी जिसमें कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार ने अनेक राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ व्यवहार करना था तब 'राज्यपाल की भूमिका' महत्वपूर्ण हो गई और उसकी पर्याप्त सार्वजनिक आलोचना भी हुई। जनसंघ ने अनभव किया कि राज्यपाल के

"पद की गरिमा को गिरा दिया गया है और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों के संरक्षक व हिमायती के रूप में उससे आचरण कराया जा रहा है" तथा "राज्यपालों के स्वविवेक के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए तथा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते उनके अधिकारोपयोग के संबंध में भी असंदिग्ध निर्देश-रेखाएं निश्चित की जाएं" (70.03)।

चुनावों के दौरान साधारणत: भारतीय जनता ने उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका प्रगट की है किंतु चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा वास्तविक प्रतिनिधित्व के प्रतिबिम्बशील बनाने के लिए, चुनाव संबंधी आवश्यक सुधार के लिए पग उठाने में सरकार बहुत पीछे रही है। भारतीय जनसंघ का विश्वास है कि "जनतंत्र में जनसाधरण का विश्वास बनाये रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि चुनाव पूर्णतया स्वतंत्र और निष्पक्ष हों तथा उनमें किसी प्रकार की धांधली न हो सके" (62.06)। सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव-प्रचार के पक्ष में सरकारी मशीनरी व सत्ता के दुरुपयोग का अन्त करने के लिए अनेक पग भी उसने सुझाये हैं। उसकी यह भी मांग है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाय ताकि नवयुवकों में भागीदारी की भावना का जागरण हो (72.09)। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का एक स्वायत्त-शासी निगम बनाने के लिए जनसंघ लगातार मांग करता रहा है ताकि व्यापक प्रचार के ये महत्वपूर्ण साधन न केवल सरकारी पंजे से मुक्त हों अपितु सभी राजनीतिक दलों को निष्पक्ष रूप से अपनी नीतियों के प्रसारण करने की भी सुविधा मिल सके "जिससे वे जनता को चुनावों के संबंध में प्रशिक्षित कर सकें" (56.24)।

चुनाव आयोग के कार्य-कलाप से जनसंघ संतुष्ट नहीं है और उसकी मांग है कि उसके एक सदस्यीय रूप की परम्परा का अन्त कर दिया जाय क्योंकि "संविधान के अनुसार चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था होनी चाहिए न कि एक-सदस्य वाली जैसा कि अब तक होता रहा है" (71.01)।

चुनावों के बढ़ते हुए तथा असहनीय खर्चों की ओर भारतीय जनसंघ ने जनता का ध्यान लगातार आकर्षित किया है कि किस प्रकार इसके परिणामस्वरूप मामूली साधनों वाले प्रत्याशी तथा दलों को चुनावों में भाग लेना कठिनतर होता जा रहा है। उसने चेतावनी दी है कि "यदि इसे (धन के बढ़ते हुए उपयोग को) नियंत्रित नहीं किया गया तो चुनाव अधिकाधिक अनुचित तथा असमान होते जायेंगे" तथा आग्रह किया है कि "चुनाव-व्यय का भार प्रत्याशी व दलों के ऊपर से हटाकर उत्तरोत्तर राज्य पर डाला जाय" (71.03)।

सर्वप्रथम जनसंघ ने ही जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि किस प्रकार हमारे चुनावों की वर्तमान 'बहुमत-प्रणाली' दोषपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसे दल को भी बहुतांश सीटें मिल जाती हैं जिसको कि अल्पांश मत प्राप्त हुए हैं। उसने चुनावों के लिए 'सूची-प्रणाली' की मांग की है जिसके अन्तर्गत किसी दल को प्राप्त सीटें उसको प्राप्त मतों के अनुपात में होती हैं। जनसंघ वर्तमान चुनाव प्रणाली में इस प्रकार के परिवर्तन की मांग करता है "जिससे आज की पद्धति में निहित जुए और अनिश्चितता का अंश समाप्त हो जाय और विधानमंडल जनमत के प्रमुख धारा-प्रवाहों को सही रूप में प्रतिबिंबित कर सकें" (72.09)।

Smt. Dr. G. V. Saxena "Kiran"
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

52.01. चुनाव आरोपों की निष्पक्ष जांच

केन्द्रीय कार्य समिति इस बात पर गहरी चिंता प्रकट करती है कि देश के विभिन्न भागों से ऐसी अनेक शिकायतें आई हैं कि चुनावों में काफी अनियमितताएं हुई हैं, विशेषत: मतपेटियों के साथ छेड़छाड़ की गई। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि मतपेटियों को उनकी मुहर तोड़े बिना खोला जा सकता है। ऐसे प्रदर्शन चुनाव अधिकारियों के भी समक्ष किये गये हैं। इस तरह के आरोपों का नतीजा यह होगा कि लोकतंत्र की पद्धति पर से जनता का विश्वास डिग जायेगा जिसका हमारे देश के भविष्य पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अत: समिति सरकार से मांग करती है कि लोकतंत्रीय मार्ग की श्रेष्ठता एवं सरकार की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में तत्काल एक जांच आयोग बैठाया जाय जो चुनाव-आरोपों के बारे में जांच करे।

समिति का यह सुझाव भी है कि चुनाव-कानून में ऐसा संशोधन किया जाय कि जिससे मतदान पूरा होते ही मतगणना तुरंत शुरू की जा सके और इस प्रकार की खुली अनियमितताओं के लिए कोई गुंजाइश न रहे।

[10 फरवरी 1952; दिल्ली, के०का०स०]

52.21. चुनाव कानून में संशोधन

केन्द्रीय कार्य समिति को यह आदेश दिया जाता है कि वह साधारण रूप से चुनाव संबंधी नियमों तथा विशेषकर मतगणना पद्धति में संशोधन के विषय में भारत सरकार से पत्रव्यवहार करे ताकि मतदान के पश्चात तुरंत ही मतगणना की जाय और प्रत्याशियों से संबंधित एजेंटों को प्रत्येक मतदान बूथ व केन्द्र पर चुनाव फल दिया जाय।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

54.03. कांग्रेस सरकार की तानाशाही

भारतीय जनसंघ के इस सार्वदेशिक अधिवेशन के लिए सरकारी तथा अर्ध-सरकारी मैदानों का उपयोग करने की अनुमति न देने के लिए बम्बई सरकार ने भारतीय जनसंघ पर, जिसे एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य किया जा चुका है, सर्वथा मिथ्या, थोथे, तथ्यहीन तथा शरारतपूर्ण आरोप लगाते हुए जिस घोर अप्रजातांत्रिक प्रवृत्ति का परिचय दिया है, यह अधिवेशन उसकी तीव्र भर्त्सना करता है।

सरकार का यह पक्षपातपूर्ण कार्य हमारे संविधान की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है और भारत में जनतंत्र के स्वस्थ विकास में बाधक होगा।

अतः यह अधिवेशन देश के सभी नागरिकों का आवाहन करता है कि वे कांग्रेस सरकार की इस तानाशाही के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करें।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

54.06. नजरबंदी कानून

अखिल भारतीय जनसंघ का यह अधिवेशन भारत सरकार द्वारा नजरबंदी कानून के कार्यकाल को दिसंबर 1954 तक बढ़ाये जाने की नीति का तीव्र विरोध करता है, विशेषकर जबकि इस कानून का विभिन्न सरकारों द्वारा कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके उदाहरण जनसंघ प्रस्तुत करता रहा है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने पंजाब व दिल्ली सरकारों द्वारा नजरबंद किये हुए अधिकांश बंदियों को सर्वथा मुक्त करके इस दुरुपयोग को भली प्रकार प्रकट कर दिया है। जनता यह कदापि नहीं भूल सकती कि इस अधिनियम का किस सीमा तक दुरुपयोग किया जा सकता है। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का दुःखद निधन नजरबंदी की ही अवस्था में हुआ और वह भी ऐसी परिस्थिति में जो कि आज तक प्रकट नहीं हो पाई। परिणामतः एक तीव्र क्षोभ एवं असंतोष का भाव जनमत में शेष रह गया है।

जनसंघ की मांग है कि भारतीय संविधान के मूल भावों का आदर किया जाय और स्वाभाविक न्याय की निश्चित विधि का पालन किये बिना भारत में कोई भी अपनी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाय। केवल विदेशी अथवा देशद्रोही ही इस नियम के अपवाद हो सकते हैं और वह भी तब जबकि राष्ट्र में संकटापन्न स्थिति हो। नजरबंदी कानून का अस्तित्व व्यक्ति-स्वातंत्र्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। भ्रष्ट अधिकारियों को इसके द्वारा स्वच्छंदता प्राप्त होती है तथा

अधिनायकवादी सत्तारूढ़ दल को अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों से वैयक्तिक प्रतिशोध लेने का मनचाहा अवसर मिलता है।

अतः जनसंघ सरकार से अनुरोध करता है कि सभी नजरबंदी कानून, वे चाहे जिन विभिन्न नामों से जाने जाते हों, रद्द किये जायें।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

54.17. न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण

अखिल भारतीय जनसंघ का यह अधिवेशन अनुभव करता है कि मैजिस्ट्रेटों के हाथ में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका दोनों के अधिकारों को एक साथ दिये रखना देश की स्वाभाविक उन्नति के लिए बाधक है। देश को स्वतंत्र हुए 6 वर्ष हुए परंतु सत्तारूढ़ दल के द्वारा इन दोनों को पृथक् करने का कोई उद्योग नहीं किया गया है यद्यपि इसकी मांग विदेशी सरकार से सन् 1886 में ही की गई थी।

अवकाश प्राप्त जज—भारतीय जनसंघ विश्वास करता है कि न्याय को शासन से पृथक किये बिना निष्पक्ष रीति से न्यायदान नहीं किया जा सकता। अतः जनसंघ मांग करता है कि :

(1) न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाओं को अविलंब पृथक् किया जाय।
(2) सभी न्यायाधिकारियों को केवल सर्वोच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में रखा जाय।
(3) ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति को समाप्त किया जाय।
(4) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त जजों को किसी भी वेतन-भोगी सरकारी पद को स्वीकार करने की अनुमति न दी जाय।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

55.04. नजरबंदी कानून

निवारक निरोध अधिनियम की अवधि को आगामी और 3 वर्षों के लिए बढ़ाना (जिसमें आगामी आम चुनाव का समय भी आ जाता है) जाब्ता फौजदारी संशोधन विधेयक द्वारा अधिकारियों की मानहानि को 'कौगनेजेबिल' अपराध घोषित करना, जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य एवं भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यों की आलोचना करने की जनता तथा समाचारपत्रों की स्वतंत्रता अवरुद्ध होती है, और इसी प्रकार के अन्य अनेक कानूनों के द्वारा जनता

तथा समाचारपत्रों के मूलभूत अधिकारों को कुंठित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों पर ही प्रहार करना है।

निवारक निरोध अधिनियम सर्वप्रथम भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उपस्थित किया गया था। वह भारत की नवार्जित स्वतंत्रता के बाद का संक्रमण काल था जिसमें चोरबाजारियों तथा समाज एवं राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेषाधिकारों की आवश्यकता अनुभव की गई थी। उस समय यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि यह कानून केवल कुछ समय के लिए ही लगाया गया है। किंतु अत्यंत दुःख की बात है कि सत्तारूढ़ दल ने इस कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों का उपयोग अत्यंत अन्यायपूर्ण ढंग से अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध करके इस कानून के उद्देश्यों को ही विफल कर दिया। यह बात कई उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नजरबन्दी कानून के शिकार व्यक्तियों के संबंध में दिये गये निर्णयों से सिद्ध हो चुकी है।

जनसंघ इन कानूनों के मूल में निहित अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों की निंदा करता है और मांग करता है कि जब तक प्रस्तावित विधि आयोग अपना कार्य समाप्त कर अपने सुझाव प्रस्तुत नहीं करता, तब तक इस प्रकार के समस्त अलोकतांत्रिक कानूनों को स्थगित रखा जाय। भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र होने का दावा करता है। सामान्य स्थिति में सरकार को इस प्रकार के संकटकालीन कानूनों का आश्रय नहीं लेना चाहिए।

अतः हम समस्त देशवासियों का और विशेषतः देश के राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक तत्वों का आवाहन करते हैं कि वे भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत मूलभूत अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं को, जिन्हें सत्तारूढ़ दल संसद में अपने अत्यधिक बहुमत का लाभ उठाकर अधिनायकवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कानून की सहायता से कुचल रहा है, सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ें।

[1 जनवरी 1955; जोधपुर, तीसरा सा०अ०]

55.17. हिंदू कोड बिल

केन्द्रीय कार्य समिति भारत सरकार के इस रवैये की तीव्र निंदा करती है कि सरकार जन भावनाओं की उपेक्षा करके और मतदाताओं की अनुमति लिये बिना, हिंदू कोड को विभिन्न स्वरूपों, परिधानों और खंडों में निर्मित विधेयकों के रूप में पारित कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आगामी आम चुनावों की

निकटता को देखते हुए यह समिति सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस प्रकार मनमाने ढंग से काम न करे। उसे इस संबंध में तभी कोई कार्यवाही करनी चाहिए जब मतदाता की राय पहले जान ली जाय। जनता की इच्छाओं के विपरीत, केवल मात्र विधानमंडलीय बहुमत के आधार पर सामाजिक सुधार करना खतरनाक हो सकता है।

समिति अपना यह निश्चित एवं सुविचारित मत व्यक्त कर देना चाहती है कि जिन कुछ सुधारों को लागू करने का विचार किया जा रहा है वे हिन्दू समाज, हिन्दू धर्म और संस्कृति के बुनियादी सिद्धांतों एवं भारतीय संविधान में प्रतिपादित मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। संविधान में बड़े स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया गया है कि सरकार भारत के समूचे प्रदेश एवं उसके समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनायेगी। केवल एक वर्ग के साथ भेदभाव करके उसके संबंध में ऐसा कानून बनाना भारत के संविधान के विरुद्ध है।

[15 अप्रैल 1955; गोकांक, के०का०स०]

55.32. हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक जिस प्रकार संसद में उपस्थित किया गया था वह तो आपत्ति के योग्य था ही परंतु जिस संशोधित रूप में अब संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह हिन्दू समाज के लिए और भी अधिक विनाशकारी है। जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति का यह सुनिश्चित मत है कि यदि इस विधेयक को कानून का रूप दे दिया गया तो यह न केवल हिन्दू परिवार के पुरातन आदर्शों और भावनाओं के विरुद्ध होगा, अपितु हिन्दू परिवार की शांति और उसके सदस्यों के आपसी प्रेम एवं स्नेह के भाव को भी समाप्त कर देगा। अतः साधारण रूप से, कार्य समिति संपूर्ण विधेयक के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करते हुए विधेयक की निम्नलिखित धाराओं के विरुद्ध तीव्र आपत्ति प्रकट करती है :

(1) मिताक्षर पद्धति के अंतर्गत संयुक्त हिन्दू परिवारों पर इसे (अनधिकृत रूप से) लागू करना, मूल विधेयक के उद्देश्यों से ही दूर हट जाना होगा।

(2) धारा 3(जे) का प्रतिबंध जिसके अनुसार पिता का पता होने पर अवैध संतान के संबंध को पिता से स्वीकार करना तथा उत्तराधिकार के विषय में वैध संतान के बराबर उसे मान्यता दिया जाना अत्यंत आपत्ति-जनक है। इससे भले और चरित्रवान पुरुषों को भी बदनाम करने का

आसान शस्त्र, संदिग्ध चरित्र की स्त्रियों को प्राप्त हो जायेगा। साथ ही यह हिन्दू विवाह अधिनियम में स्वीकृत विवाह के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।

(3) यद्यपि धारा 5 ऊपर से ऐसी प्रतीत होती है कि उसमें मिताक्षर के सहस्वामित्व का सिद्धांत बनाये रखा गया है परंतु परोक्ष रूप से उसका प्रभाव उलटे उसे समाप्त करने का ही होगा। पिता के साथ रहने वाले पुत्र को अलग रहने वाले पुत्र की अपेक्षा, अलाभकर स्थिति प्रदान करके सहस्वामित्व वाली जायदाद के बटवारे को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

यह धारा अस्पष्ट और अनिश्चित है और विधेयक की सर्वाधिक आपत्तिजनक धारा है।

(4) मां को उत्तराधिकारियों की प्रथम श्रेणी में रखना तथा बच्चों और मृत पुत्र की विधवा के समान मानना हानिकारक होगा।

(5) विधेयक में स्त्री उत्तराधिकारी को पुरुष उत्तराधिकारी की अपेक्षा कई स्थानों पर बहुत लाभप्रद स्थान दिया गया है और कई स्थिति में उसे एक से अधिक हिस्से दिये गये हैं—जैसे कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के नाते मां को प्रत्येक पुत्र की जायदाद में से भाग मिलेगा।

अतः कार्य समिति ऐसा अनुभव करती है कि जैसा विधेयक आज है, उस रूप में उसमें बहुत सी नई समस्याएं उत्पन्न होंगी तथा गड़बड़ी और मुकद्दमेबाजी बढ़ेंगी जो हमारे समाज के आधार को ही हिला देंगी।

[23 अक्तूबर 1955; दिल्ली, के०का०स०]

56.19. नागरिक स्वतंत्रता का हनन

मुक्त आवागमन व विचार अभिव्यक्ति की आजादी और अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं भी लोकतंत्र की मौलिक आवश्यकताएं हैं जिसका कि मूल आधार समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में जिन मौलिक अधिकारों की गारंटी की गई है उनमें इनको सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय कार्य समिति को बड़ा दुःख है कि सत्ताधारी दल अपना एकाधिकार बनाये रखने के उद्देश्य से संविधान की भावना और लोकतंत्र के सिद्धांतों की उपेक्षा करके भारतीय जनता की इस बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को कुंठित कर रहा है। पंजाब सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्रेस कानून पास किया

जाना, विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर काले कानून बनाना, दंड विधान संहिता की व्यवस्थाओं के अधीन प्रतिपक्ष के नेताओं को योजनाबद्ध तंग किया जाना, प्रिंसिपल देवप्रसाद घोष पर पाबंदी लगाना—इस प्रकार निरोधक नजरबंदी कानून और सेंसरशिप का प्रतिपक्षी दलों और उनके नेताओं के विरुद्ध लगातार दुरुपयोग, ऐसे प्रतिगामी पग और उपाय हैं जिनका उपयोग प्रतिपक्षी की आवाज को कुचलने और जनता की नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है।

समिति भारतीय जनता की नागरिक स्वतंत्रता पर इन प्रहारों की जोरदार शब्दों में निंदा करती है और स्वतंत्रता प्रिय सब लोकतंत्रवादी लोगों से अनुरोध करती है कि वे इन लोकतंत्र-विरोधी और प्रतिगामी कदमों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें। जनता के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता का दमन करते हुए जो फासिस्ट प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं उनसे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करनी है।

[6 अक्तूबर 1956; पूना, के०का०स०]

56.24. स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बुनियादी तौर पर आज सबसे पहली आवश्यकता यह है कि चुनाव स्वतंत्र और ईमानदारी के साथ हों और इनमें भाग लेने के लिए प्रत्येक पार्टी को समान अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त हों। पर ऐसी व्यवस्था में जहां सरकार और शासक दल पर्याय बन जाते हैं, वहां यह संभव नहीं।

दुर्भाग्य से आज भारत में शासक दल, सरकार का समानार्थक बनता जा रहा है। परिणाम यह है कि न केवल प्रशासन में गिरावट आई है, बल्कि अन्य पार्टियों की राजनीतिक आजादी को भी कुचला जा रहा है। देश में अगले आम चुनाव के लिए जो प्रबंध किये जा रहे हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।

चुनाव क्षेत्रों में फेरबदल—चुनाव-क्षेत्रों को जिस प्रकार से निर्धारित किया गया वह इस प्रतिकूल प्रभाव का एक ज्वलंत उदाहरण है। जिन राज्यों पर राज्य पुनर्गठन का कोई असर नहीं पड़ा, वहां भी चुनाव-क्षेत्रों को इस तरह उलटा-पलटा जा रहा है जिससे प्रतिपक्षी दलों की हानि हो और शासक दल को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। चुनाव-क्षेत्रों को घटाने-बढ़ाने या हटाने की भी कोशिश की गई। उनका पुनर्निर्धारण चुनाव से ठीक पूर्व किया गया और कुछ राज्यों में तो इसकी आज तक सार्वजनिक घोषणा ही नहीं की गई। दूसरे, शासक दल के सदस्यों

को चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का बहुत पहले ही पता चल गया जिससे प्रतिपक्षी दलों के मुकाबले उनको लाभ हुआ।

चुनाव-प्रसारण—राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को रेडियो प्रसारण का अवसर देने के संबंध में जो नीति अपनाई गई उससे भी प्रतिपक्षी दलों को समान एवं उचित अवसर देने से इनकार करने की भावना का पता चलता है। पार्टियों को अपने चुनाव घोषणापत्र प्रसारित करने के लिए जो दस मिनट का समय दिया गया, वह अपर्याप्त तो है ही, यह भी शर्त लगाई गई कि इसे पार्टी का मान्य प्रतिनिधि नहीं बल्कि रेडियो का कोई एनाउंसर प्रसारित करेगा, जैसे कि यह कोई रियायत हो जो बड़ी कृपा करके एवं नितांत अनमने ढंग से दी जा रही हो।

कार्य समिति का यह निश्चित मत है कि सब राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी नीतियां प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी का पूरा उपयोग करने की छूट दी जानी चाहिए जिससे वे जनता को चुनावों के संबंध में प्रशिक्षित कर सकें। जनसंघ यह भी मांग करता है कि कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी को चुनाव के दौरान आकाशवाणी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना चुनाव-प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि मंत्रियों के उन भाषणों को आकाशवाणी से प्रसारित न किया जाय जिनका किसी न किसी रूप में चुनाव से संबंध हो।

[30 दिसम्बर 1956; दिल्ली, पांचवां सा०अ०]

59.09. मतदाताओं को चेचक का टीका

भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि चुनाव आयोग ने मतदान के समय धोखाधड़ी को रोकने के लिए मतदाताओं को चेचक के टीके लगाने का जो सुझाव दिया है वह अव्यावहारिक होने के साथ-साथ अविचारित भी है। चेचक के टीके लगाने के सुझाव का बहुत से व्यक्ति डाक्टरी आधार पर विरोध करेंगे और अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे। टीके लगवाने पर जोर देने का नतीजा यह होगा कि बहुत से मतदाता अपना वोट डालने नहीं जायेंगे। अतः प्रतिनिधि सभा मांग करती है कि सरकार को इस सुझाव को स्वीकृत नहीं करना चाहिए।

[8 जुलाई 1959; पूना, भा०प्र०स०]

60.22. चुनाव-क्षेत्रों में फेरबदल

केन्द्रीय कार्य समिति ने द्विसदस्यीय चुनाव-क्षेत्र समाप्त करने के सरकारी

निर्णय पर विचार किया। द्विसदस्यीय और एक-सदस्यीय चुनाव-क्षेत्रों के गुण-दोष पर विचार किये बिना कार्य समिति का मत है कि 1962 के शुरू में होने वाले आम चुनावों से पूर्व चुनाव-क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करना, चाहे उसका उद्देश्य द्विसदस्यीय चुनाव-क्षेत्रों को एक-सदस्यीय चुनाव-क्षेत्रों में बदलना हो या 1961 की जनगणना के आधार पर चुनाव-क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन करना हो, अनुचित है। इससे तो केवल सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को ही अवसर मिलेगा कि वह अन्य पार्टियों के हितों को हानि पहुंचाने के लिए चुनाव-क्षेत्रों में घटा-बढ़ी करे। अतः कार्य समिति का निश्चित मत है कि सरकार को यथाशीघ्र और बड़े स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर देनी चाहिए कि आगामी आम चुनावों तक निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी आधार पर कोई फेरबदल नहीं की जायेगी।

[28 अगस्त 1960; हैदराबाद, भा०प्र०स०]

61.21. राजनीतिक दलों को मान्यता

केन्द्रीय कार्य समिति चुनाव आयोग द्वारा आम निर्वाचनों के ठीक पूर्व पहले से निश्चित आधार को अमान्य करके राजनीतिक दलों की मान्यता में किये गये परिवर्तनों को अनुचित समझती है। साथ ही दलों की अखिल भारतीय आधार पर मान्यता समाप्त कर, केवल प्रांतीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करने की नीति को भी राष्ट्रीय एकता की कल्पना की दृष्टि से गलत समझती है। समिति का आग्रह है कि आयोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे।

[12 नवम्बर 1961; वाराणसी, भा०प्र०स०]

62.06. चुनाव से पूर्व मंत्रिमंडल का त्यागपत्र

गत आम चुनावों में प्रांतीय सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों ने जिस प्रकार अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी मशीनरी का सत्ताधारी दल के चुनाव अभियान के लिए तथा विशेषतया स्वतः के चुनाव के लिए उपयोग किया है वह अत्यंत निंदनीय है। जनतंत्र में जनसाधारण का विश्वास बनाये रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि चुनाव पूर्णतया स्वतंत्र और निष्पक्ष हों तथा उनमें किसी प्रकार की धांधली न हो सके। अतः यह सभा भारत सरकार से बल-पूर्वक मांग करती है कि भारत के संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि सभी प्रांतीय सरकारें तथा केन्द्र की सरकार आम चुनाव से तीन महीने पूर्व

त्यागपत्र दे दें। यह सभा सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करती है कि वे इस मांग को बलपूर्वक उठाने में पूर्ण सहयोग दें।

[24 मई 1962; कोटा, भा०प्र०स०]

67.02. राज्यपाल का रवैया

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जनमत द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस पार्टी को पुनः शासनारूढ़ करने के लिए जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है उससे न केवल जनादेश की अवहेलना ही हुई है अपितु उसने प्रदेश में राजनैतिक भ्रष्टाचार के एक नवीन अध्याय का आरंभ कर दिया है। 68 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले सभी विरोधी दल जब संयुक्त विधायक दल के रूप में संगठित होकर सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थे, उस समय 32 प्रतिशत मत और विधानसभा में 423 स्थानों में से केवल 198 स्थान प्राप्त करने वाली कांग्रेस पार्टी को सत्तारूढ़ करके लोकतंत्र का उपहास किया गया है। केन्द्रीय कार्य समिति का निश्चित मत है कि जब आम चुनाव में सत्तारूढ़ दल पूर्ण बहुमत पाने में विफल रहा तो राज्यपाल का यह कर्तव्य था कि लोकमत का आदर करते हुए विरोधी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते। यदि विरोधी दल अपने को असमर्थ समझकर सरकार बनाने का निमंत्रण अस्वीकार कर देता तो उसी स्थिति में उन्हें कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देना न्यायोचित था।

अपनी अल्पसंख्या को बहुसंख्या में बदलने के हेतु कांग्रेस ने निर्दलीय सदस्यों को अपनी ओर मिलाने के लिए जो भ्रष्ट उपाय अपनाये, उससे लोकतंत्र को गहरा आघात लगा है और सार्वजनिक जीवन अधिक दूषित हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने चुनाव में अपनी भारी पराजय से न तो कुछ सीखा है और न कुछ भूला है। आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की जनता अनुचित, अवैध और अनैतिक तरीकों से थोपे गये कांग्रेस शासन से छुटकारा पाने का संघर्ष जारी रखे और तब तक चैन न ले जब तक सच्चे अर्थों में एक लोकप्रिय शासन कायम नहीं हो जाता।

[14 मार्च 1967; दिल्ली, के०का०स०]

67.03. काश्मीर में चुनाव कलंक

भारत की जनता ने चौथे आम चुनाव के समय अपनी लोकतंत्रीय भावना एवं

परिपक्वता का शानदार परिचय दिया, लेकिन जम्मू-काश्मीर सरकार ने आदि से लेकर अंत तक चुनाव का संचालन इस तरह से किया कि वह मतदाता को जान-बूझ कर धोखा देने से भी घटिया तरीका सिद्ध हुआ और इससे भारतीय लोकतंत्र का पवित्र नाम बदनाम हुआ। इस धोखे का आरंभ मतदान की तारीख मनमाने ढंग से निश्चित करने से हुआ। राष्ट्र और प्रदेश स्तर पर विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों ने यद्यपि बार-बार अनुरोध किया कि जम्मू-काश्मीर राज्य में, जिसका अधिकांश भाग जनवरी, फरवरी और मार्च में हिमाच्छादित रहता है, चुनाव अप्रैल मास में किसी समय कराये जायें और यद्यपि चुनाव आयुक्त ने जम्मू-काश्मीर में प्रतिपक्ष दलों को आश्वस्त किया कि इस अनुरोध पर अनुकूल विचार होगा, तथापि चुनाव की तिथि 21 फरवरी ही निर्धारित की गई जिसका परिणाम यह हुआ कि मतदाताओं का एक बड़ा भाग मतदान के अधिकार से वंचित हो गया। बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं के लिए यह सर्वथा असंभव हो गया कि फरवरी मास में अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए मतदान केन्द्रों तक जायें।

भीषण चुनाव भ्रष्टाचार—लोकतंत्र की हत्या का दूसरा कदम, नामांकन-पत्र दाखिल करने के समय उठाया गया जबकि 116 प्रतिपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन-पत्र प्रवंचना के साथ अकारण रद्द कर दिये गये और इस प्रकार विधान-सभा के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के 22 उम्मीदवारों के लिए और लोकसभा के निमित्त एक कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए निर्विरोध निर्वाचन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। और भी कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्रबल उम्मीदवारों के नामांकन-पत्र रद्द कर दिये गये और इस प्रकार चुनाव मैदान को कुछ महत्त्वहीन निर्दलियों या कुछ नकली उम्मीदवारों के लिए खुला छोड़ दिया गया। मुख्य कारण यह बताया गया कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन-पत्र रद्द किये गये उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण नहीं की। इस घोर मिथ्या आरोप को सिद्ध करने के लिए मतपत्रों की जांच वाले दिन ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन-पत्रों से शपथ-पत्र को निकाल दिया गया। ऐसा करके प्रदेश की सरकार ने दुनियाभर में इस भ्रांति को बड़ी सफलता के साथ फैलाया कि जम्मू-काश्मीर राज्य के लोग भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को भी तैयार नहीं। इस तरह पाकिस्तानी प्रचार जो काम पिछले 20 वर्षों में नहीं कर सका उसे सत्ता पर स्थायी रूप से हावी रहने के लिए और विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से मतदाताओं के साथ विश्वासघात करके सादिक सरकार ने बात की बात में कर दिखाया।

जम्मू-काश्मीर सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं हुई। भारी संख्या में नामांकन पत्रों के रद्द किये जाने के कांड की जांच के लिए चुनाव आयुक्त को श्रीनगर भेजा

गया। उन्होंने सरकार को नेकचलनी का प्रमाण-पत्र दिया और इस प्रकार उसे और बढ़ावा दिया कि वह चुनाव में बदले की भावना से भ्रष्टाचार का तमाशा जारी रखे। मतदान के ठीक पूर्व मतदान केन्द्रों को मनमाने ढंग से बदल दिया गया, प्रतिपक्षी दलों के मतदान प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्रों में बैठने से रोक दिया गया, दोहरे मतपत्र तैयार कराये गये और जिन मतदान केन्द्रों में 5 प्रतिशत मतदाता भी मत डालने नहीं गये, वहां 100 प्रतिशत मतदान दिखाया गया। इस शोचनीय और शर्मनाक कहानी को पूरा करने के लिए मतपेटियों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई और उन कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने के लिए, जो समस्त उपर्युक्त अनियमितताओं के बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वी से काफी पीछे थे, मतगणना के समय सब नियमों और व्यवस्थाओं को हवा में उड़ा दिया गया।

परिणामस्वरूप जम्मू-काश्मीर राज्य में आम चुनाव एक जबर्दस्त धोखा बन गये। इससे दुनियाभर में भारतीय लोकतंत्र का धवल यश कलंकित हुआ और राज्य की जनता अपनी पसंद की सरकार पाने के बुनियादी लोकतंत्रीय अधिकार से वंचित हो गई। इन चुनावों से पूर्व श्री सादिक सरकार के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर जनता का जो थोड़ा बहुत विश्वास था वह भी जाता रहा। राज्य विधानमंडल के 13 सदस्यों ने सादिक सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया और बताया कि इस चुनाव से पहले से ही जनता मांग कर रही थी कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाय।

चुनाव कानूनों में एकरूपता—इन परिस्थितियों में कार्य समिति का निश्चित मत है कि राज्य में हुए तथाकथित चुनावों को लोकतांत्रिक कहना और कांग्रेस पार्टी को, जिसने लोकतंत्र की हत्या करके बहुमत प्राप्त किया है, जनता पर अपनी सरकार थोपने की अनुमति देना गलत होगा। राज्य की जनता के साथ (जिसे अपनी पसंद की सरकार बनाने के अधिकार से वंचित किया गया) न्याय करने की मांग पूरा न करने के अतिरिक्त जम्मू-काश्मीर में इस तरह चुनाव कराकर संसार में भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह कलंकित किया गया, उसे धोना भी आवश्यक है। अतः कार्य समिति भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध करती है कि :

(1) सादिक सरकार को तत्काल बर्खास्त करके उस राज्य का शासन प्रबंध वे अपने हाथ में लें।

(2) राज्य में जिस तरह चुनाव कराया गया उसकी जांच के लिए उच्च अधिकार संपन्न एक आयोग नियुक्त करें और जनता एवं लोकतंत्र के विरुद्ध, सादिक सरकार के इस जघन्य अपराध में राज्य सरकार के जिन अधिकारियों ने योग दिया या जिन्होंने प्रोत्साहन दिया उनको दंड दें।

(3) राज्य के चुनाव कानून को शेष भारत के चुनाव कानून के अनुरूप बनायें।

(4) प्रदेश प्रशासन का इस प्रकार शुद्धिकरण हो जाने पर नये चुनावों के लिए आदेश दें।

कार्य समिति जम्मू-काश्मीर की जनता को विश्वास दिलाती है कि वह लोकतंत्रीय अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रही है, उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। कार्य समिति देश की सब लोकतंत्रीय एवं राष्ट्रवादी शक्तियों से प्रबल अनुरोध करती है कि वे जम्मू-काश्मीर राज्य की जनता को इस मामले में न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़े हों।

[14 मार्च 1967; दिल्ली, के०का०स०]

70.03. राज्यपाल का रवैया

केन्द्रीय कार्य समिति उत्तर प्रदेश और बिहार में घटी हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता अनुभव करती है। इन घटनाओं से यह बात और अधिक स्पष्ट हो गई है कि केन्द्र का सत्तारूढ़ दल, संवैधानिक शुचिता, लोकतंत्र के सामान्य नियमों और राजनीतिक नैतिकता को कितना तुच्छ और अग्राह्य समझता है। स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल की संविधान और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा केवल ऊपरी है और नई दिल्ली की अपनी लड़खड़ाती सरकार को बचाने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए न कोई मर्यादा है और न किसी प्रकार का संकोच। प्रदेशों में गैरकांग्रेसी सरकारों के आने के पश्चात के गत 3 वर्षों में, केन्द्र और प्रदेशों के बीच की समस्याओं के संबंध में अपनाया गया केन्द्रीय सरकार का रवैया अच्छा नहीं रहा। राज्य सरकारों को गिराने की नीयत से प्रधानमंत्री के दौरा करने, वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विधानसभा सदस्यों को धमकाने, बरगलाने और खरीदने के लिए दौड़-धूप करते रहने तथा दल के इस अभियान में केन्द्र द्वारा संपूर्ण शासनतंत्र का दुरुपयोग करने से केन्द्र और राज्यों के बीच की राजनीति रसातल तक पहुंच गई है।

कार्य समिति केन्द्रीय सरकार के नेताओं के उपरोक्त रवैये की घोर भर्त्सना करती है तथा इस बात पर विशेष रूप से खेद अनुभव करती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हाल के ओछे राजनीतिक संघर्ष में राज्यपालों के पद की प्रतिष्ठा का हनन किया गया है। जिस समय राज्यपालों द्वारा, उत्तर प्रदेश में नई कांग्रेस के गुट को तथा बिहार में श्री दारोगा राय को सरकारें बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, उस समय उन दोनों में से किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं था।

दोनों प्रदेशों का घटनाक्रम स्पष्ट बताता है कि राज्यपालों ने सरकार बना सकने के विभिन्न पक्षों के दावों का निष्पक्ष आंकलन करके निर्णय नहीं किया, अपितु केन्द्रीय सरकार की इस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य किया था कि यद्यपि उसके सहयोगी गुटों का प्रारंभ में बहुमत नहीं भी होगा तो भी एक बार सरकार बना लेने के पश्चात् वह जोड़-तोड़ कर तथा दल-बदल को प्रोत्साहन देकर येन-केन प्रकारेण अपना बहुमत बनाने की स्थिति में आ सकेंगे।

बिहार और उत्तर प्रदेश की घटनाओं के तुरंत पश्चात हरियाणा की घटना हुई, जिसमें राज्यपाल ने केवल प्रदेश सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकार किये जाने के पश्चात् भी विधानसभा का सत्रावसान कर दिया।

राज्यपाल का स्वविवेक—इन घटनाओं से जनसंघ की इस मांग को अविलंब स्वीकार किये जाने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है कि राज्यपालों के स्वविवेक के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए तथा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते उनके अधिकारोपयोग के संबंध में भी असंदिग्ध निर्देश रेखाएं निश्चित की जाएं। इस विषय को इस समय अस्पष्ट बनाए रखने में केन्द्रीय सरकार का तात्कालिक राजनीतिक हित हो सकता है क्योंकि इससे निस्संदेह केन्द्रीय नेताओं के हाथ में अपने अनुकूल और प्रतिकूल सरकारों के लिए अलग-अलग मापदंड काम में लाने की भारी गुंजाइश रहती है। किंतु वर्तमान राजनीतिक स्थिति में इस अस्पष्टता के कारण राज्यपाल के पद की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिर रही है।

राज्यपाल के पद का आशय केन्द्र और राज्यों के बीच संवैधानिक कड़ी का है न कि केन्द्र के सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में कार्य करने का। राज्यपाल संविधान और राष्ट्रीय अखंडता का रक्षक है किंतु उसके पद की गरिमा को गिरा दिया गया है और उससे सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों के संरक्षक व हिमायती के रूप में आचरण कराया जा रहा है।

अंतर्राज्यीय परिषद—कार्य समिति राष्ट्रपति से अनुरोध करती है कि वह इन घटनाओं की ओर ध्यान दें तथा वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए अपने प्रभाव का सदुपयोग करें। जनसंघ की सुनिश्चित मांग है कि राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अपने अधिकार का उपयोग कर इस विषय में तथा तत्संबंधी सभी विषयों पर परामर्श देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद् नियुक्त करें। ऐसी परिषद् का नियुक्त किया जाना इस समय नितांत आवश्यक है।

[7 मार्च 1970; अहमदाबाद, के०का०स०]

71.01. लोकसभा का मध्यावधि चुनाव

जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। श्रीमती गांधी के दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। भारतीय जनसंघ जनता के इस निर्णय को स्वीकार करता है और अपने इस संकल्प की घोषणा करता है कि वह नई लोकसभा में ऐसे प्रखर विरोधी दल के रूप में कार्य करेगा जिसकी राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा जनकल्याण में असंदिग्ध व अविचल निष्ठा है। गरीबी के विरुद्ध अपने युद्ध को आगे बढ़ाने का निश्चय जनसंघ दोहराता है, जिसकी घोषणा चुनाव घोषणा-पत्र में की गई है। वह बल देगा कि रोजगार का अधिकार मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया जाय, न्यूनतम मजूरी 150 रु० प्रति मास निश्चित की जाय, विषमता घटाई जाय और मूल्यवृद्धि को रोका जाय, जिससे मेहनतकश जनता की वास्तविक आय की रक्षा हो सके।

चुनाव आरोप—सत्तारूढ़ दल ने जो भारी विजय प्राप्त की है, उससे सभी को, जिसमें प्रधानमंत्री का अपना शिविर भी शामिल है, आश्चर्य हुआ है। इन चुनाव परिणामों के लिए चार बातें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं :

(*i*) श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की पूजा का प्रचंड सरकारी प्रचार, जिससे अन्य सभी मुद्दे चुनाव संबंधी विवाद के लिए अप्रासंगिक हो गए।

(*ii*) सरकारी तंत्र तथा साधनों का अभूतपूर्व खुला दुरुपयोग।

(*iii*) प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं की तुष्टि, जिससे कुछ वर्गों का सामूहिक समर्थन प्राप्त हो सके।

(*iv*) सत्तारूढ़ दल द्वारा लाइसेंस के अधिकार आदि के भारी दुरुपयोग से प्राप्त असीम धन की शक्ति।

केन्द्रीय कार्य समिति को, देश के विभिन्न भागों में व्यापक पैमाने पर हुई हिंसा के भी विवरण मिले हैं, जिसमें पुलिस का या तो हाथ था या उसकी मिलीभगत थी। हमें खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि भारतीय चुनाव यद्यपि स्वरूप में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हैं किंतु वास्तव में वे अधिकाधिक नियंत्रित और पक्षपातपूर्ण होते जा रहे हैं।

कुछ क्षेत्रों में लगाये गये यह आरोप और भी गंभीर हैं कि देश के कतिपय भागों में चुनावों में अप्रामाणिकता हुई है। समिति मांग करती है कि इन आरोपों की अविलंब जांच हो और सभी प्रकार के संदेहों का निवारण किया जाय।

इस चुनाव में रेडियो तथा टेलीविजन का दुरुपयोग सभी सीमाओं को लांघ गया। इन्हें राजनीतिक दुरुपयोग से बचाने का एक यही मार्ग है कि इन्हें एक स्वायत्त निगम को सौंप दिया जाय।

चुनाव आयोग की भूमिका—मध्यावधि चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका

संतोषजनक नहीं रही है। प्रधानमंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग ने गत वर्ष मतदाता सूचियों के पुनरावलोकन के जो आदेश जल्दबाजी में दिये थे उनके फल-स्वरूप इस बार की सूचियां इतनी विकृत हो गईं, जितनी इस देश ने कभी नहीं देखी थीं। लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित कर दिये गये। कांग्रेस के चुनाव चिह्न संबंधी मामले में चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया उससे आयोग के निष्पक्ष स्वरूप के संबंध में आम विश्वास को गहरा धक्का लगा। प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी साधनों के दुरुपयोग को रोकने में आयोग की असहायता ने इस उच्च संस्था के प्रति जनता में प्रचलित अविश्वास की भावना को बल ही दिया। विरोधी दलों के विरोध के बावजूद मतगणना की पद्धति में परिवर्तन करने का मनमाना फैसला और सत्तारूढ़ दल द्वारा विभिन्न दलों के रेडियो संबंधी प्रसारणों पर निषेधाधिकार के उपयोग के बारे में आयोग की मौन स्वीकृति उसकी खेदपूर्ण भूमिका के अन्य उदाहरण हैं।

चुनाव आयोग में जनविश्वास की पुनर्स्थापना नई लोकसभा के प्रथम कार्यों में से एक होना चाहिए। संविधान के अनुसार चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था होनी चाहिए न कि एक सदस्य वाली, जैसा कि अब तक होता रहा है। कम से कम यह तो होना चाहिए कि इस बारे में संविधान निर्माताओं की मंशा को पूरा किया जाय और तीन सदस्यों का चुनाव आयोग गठित किया जाय।

कांग्रेस (इंदिरा गांधी) की सरकार अब कसौटी पर है। बेरोजगारी, बढ़ती हुई विषमता, मूल्यवृद्धि, आर्थिक विकास में गतिरोध तथा अराजकता की समस्याओं का अविलंब और प्रभावशाली ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल को जो भारी बहुमत मिला है उसके बाद अब विफलताओं के लिए और अधिक बहानेबाजी नहीं चल सकती। स्पष्टतः सत्तारूढ़ दल को विफलता की पूर्व कल्पना हो रही है। एक वर्ष बाद देश के अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के आचरण का इन चुनावों पर परिणाम अवश्यंभावी है। यही कारण है कि कांग्रेस (इंदिरा गांधी) द्वारा शासित अनेक राज्य, विधान-सभाओं के चुनाव इसी समय कराना चाहते हैं। कार्य समिति सभी राज्य शाखाओं को सतर्क करती है कि अपने संघटन को ऐसे अप्रत्याशित मुकाबले के लिए तैयार रखें।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा—इस बात का भी खतरा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के दल को जो निरंकुश सत्ता प्राप्त हुई है, उससे वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों के प्रति और भी अधिक अवहेलना का रवैया अपनायें। प्रधानमंत्री ने चुनाव के पश्चात अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो कुछ कहा है उससे जनता की इन कुशंकाओं की पुष्टि ही हुई है कि सत्तारूढ़ दल न्यायपालिका के स्वतंत्र दर्जे को घटाना और उसकी

प्रतिष्ठा को गिराना चाहता है। सभी लोकतंत्रवादियों को, फिर वे संसद के भीतर हों अथवा बाहर, इन प्रवृत्तियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और इस प्रकार के सभी प्रयत्नों का मुकाबला करना होगा।

[15 मार्च 1971; दिल्ली, के०का०स०]

71.03. लोकसभा का मध्यावधि चुनाव

गत मार्च में हुए लोकसभा के चुनावों के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनीति अचानक ही 1967 के पूर्व की स्थिति में पहुंच गई है, जब केवल एक दल का प्रभुत्व था। लोकसभा में प्रतिपक्ष की संयुक्त शक्ति, जो चतुर्थ चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दल की शक्ति के बराबर थी, इस चुनाव में एक-तिहाई से भी कम रह गई। यद्यपि इस स्थिति का यह लाभ दिखाई देता है कि इससे स्थायित्व आया है और अनिश्चितता समाप्त हुई है, किंतु प्रतिपक्ष की शक्ति में कमी निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतांत्रिक सरकार के लिए हितकर नहीं मानी जा सकती। इस परिस्थिति में जिन विरोधी दलों की लोकतंत्र में निष्ठा है उन पर एक विशेष दायित्व आ गया है। भारतीय जनसंघ प्रतिपक्ष में एक प्रमुख लोकतंत्रवादी दल है और हम इस दायित्व के प्रति सचेत हैं। हमारा निश्चय है कि संख्या-बल में अपनी कमी को हम अपने कार्य में अधिक उत्साह तथा क्षमता का समावेश करके पूरा करेंगे।

कांग्रेस की चालें—शासनतंत्र का भारी दुरुपयोग, असीम तथा रहस्यमय वित्तीय साधन, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद के आधार पर सामूहिक मत प्राप्त करने का निर्लज्ज प्रयत्न, चुनाव में व्यापक अनियमितताएं तथा प्रतिमा-निर्माण के अमरीकी तौर-तरीकों का उपयोग—निस्संदेह गत चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के दल की विजय के ये कुछ प्रमुख कारण थे। किंतु इन सबके बावजूद यह तथ्य स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस कुल मतदान का केवल 43 प्रतिशत वोट पा सकी।

चुनाव प्रणाली—इस प्रकार लोकप्रियता की दृष्टि से नई कांग्रेस की सफलता उतनी असाधारण नहीं है जितनी वह दिखाई देती है। सत्तारूढ़ दल लोकसभा में जो अत्यधिक स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है उसके लिए हमारे द्वारा अपनाई गई चुनाव की वर्तमान पद्धति कुछ कम मात्रा में उत्तरदायी नहीं है। इस चुनाव पद्धति के समर्थक इसमें निहित मतों तथा स्थानों के अनुपात का इस आधार पर औचित्य सिद्ध करते हैं कि इससे राजनीति द्विदलीय बनती है। भारत के प्रत्यक्ष अनुभव ने इस दावे को झुठलाया है। पांच संसदीय चुनावों के पश्चात भी ध्रुवीकरण उतना ही दूर है जितना पहले था। समय आ गया है जब हम चुनाव पद्धति का एक नयी तथा मूलगामी दृष्टि से विचार करें और उसमें ऐसे सुधार करें,

जिससे वह जनता की इच्छाओं को अधिक ईमानदारी से प्रतिबिंबित कर सके। गत चुनाव के अवसर पर प्रमुख दलों के विरोध के बावजूद मतगणना की प्रणाली में जो संशोधन किये गये उन्हें रद्द किया जाय और पहले की तरह मतगणना मतदान-केन्द्रों के अनुसार हो। यह भी आवश्यक है कि मोहर लगाने के बजाय मतपत्र में छेद करने की प्रणाली आरंभ की जाय।

चुनाव के खर्च—चुनावों में धन का बढ़ता हुआ उपयोग भी चिंता का विषय है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो चुनाव अधिकाधिक अनुचित तथा असमान होते जायेंगे। जनसंघ का मत है कि इस दृष्टि से चुनाव-व्यय का भार प्रत्याशी व दलों के ऊपर से हटाकर उत्तरोत्तर राज्य पर डाला जाय।

चुनाव आरोपों की निष्पक्ष जांच—गत मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी साधनों का दुरुपयोग सभी सीमाएं लांघ गया। चुनावों की निष्पक्षता के बारे में बहुत गंभीर आरोप लगाये गये हैं। चंडीगढ़ में लाखों अतिरिक्त मतपत्रों की प्राप्ति से इन आरोपों को और भी बल मिला है। जनसंघ मांग करता है कि जनता में व्याप्त आशंकाओं के निवारण और सभी आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किया जाय।

नवार्जित शक्ति के बल पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नये उत्साह से सरकारों को पलटने का खेल पुनः प्रारंभ कर दिया है। इस खेल में उसका मुख्य हथियार 'दल-बदल' है। कोई आश्चर्य नहीं कि 'दल-बदल की भीषण व्याधि' के विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के मंचों से गुबार तथा उद्गार के अम्बार के बावजूद, उसने आज तक इस रोग को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनसंघ की मांग है कि दल-बदल को अवैध घोषित करने के लिए शीघ्र ही कानून बनाया जाय। यदि इसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है, तो सरकार को इस आशय का कानून बनाने में भी संकोच नहीं होना चाहिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि जब नई कांग्रेस के दल-बदल के हथकंडे पंजाब में वांछित परिणाम नहीं दे सके, तो दल का क्रोध राज्यपाल श्री पावटे के विरुद्ध निकला, जिन्होंने मुख्यमंत्री की विसर्जन की सलाह मानकर (प्रधानमंत्री की इसी प्रकार की सलाह स्वीकार करने वाले राष्ट्रपति गिरि की तुलना में) कोई अधिक बुरा काम नहीं किया। सचाई तो यह है कि श्री बादल के मामले में यह संदेह का विषय था कि उन्होंने बहुमत का विश्वास खोया है या नहीं, जबकि श्रीमती गांधी के अल्पमत स्वरूप के बारे में किसी को भी संदेह नहीं था। पंजाब के प्रसंग ने राज्यपालों के स्वविवेक के अधिकारों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश व मर्यादा निर्धारित करने की आवश्यकता को एक बार पुनः स्पष्ट कर दिया है।

लोकसभा के चुनाव के अवसर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ऊंची आशाओं का जो ज्वार जगाया था अब उसके स्थान पर गहरी निराशा का भाटा आरंभ हो गया है।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जनसंघ की महत्वपूर्ण विजय ने लोगों की आंखें खुल जाने का एक प्रमाण पेश किया है। इसके साथ-साथ गत 4 वर्ष में जनसंघ ने राजधानी में जो सराहनीय कार्य किया है उसके प्रति भी जनता का प्रशंसाभाव प्रकट हुआ है।

सत्तारूढ़ दल के बारे में जनता में जो निराशा की भावना फैली है उसे समूचे देश में संगठित करने की आवश्यकता है। आगामी वर्ष के आरंभ में एक छोटा आम चुनाव होने जा रहा है। अपने घटते हुए प्रभाव के बारे में जानकारी होने के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस इन चुनावों को और जल्दी कराने का विचार कर रही है। प्रतिनिधि सभा सभी शाखाओं का आवाहन करती है कि अपने चुनाव-तंत्र को चुस्त और गतिशील रखें। जनसंघ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगा। विशेष परिस्थितियों में प्रदेश शाखाओं को स्थानीय स्तर पर तालमेल करने की अनुमति दी जा सकेगी। किंतु हमारे सारे प्रयत्नों का लक्ष्य जनसंघ को सत्तारूढ़ दल के एक शक्तिशाली तथा लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में खड़ा करने का होना चाहिए।

[2 जुलाई 1971; उदयपुर, सत्रहवां सा०अ०]

72.05. सन् 1972 के प्रांतीय चुनाव

भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटने, विरोधी दलों को समाप्त करने और शासन-तंत्र के निर्लज्ज दुरुपयोग तथा धनबल के आधार पर चुनावों को एक निरर्थक तमाशा बनाने के सुनिश्चित प्रयत्न को गंभीर चिंता की दृष्टि से देखती है।

भारतीय जनसंघ का मत है कि हाल में ही जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल के साथ संघर्ष नहीं हुआ बल्कि गैरकांग्रेसी दलों को, अलग-अलग रूप से, सरकार के साथ लड़ना पड़ा। जिन कठिनाइयों के बीच जनसंघ तथा अन्य दलों को संघर्ष करना पड़ा, उन्हें देखते हुए कांग्रेस की विजय को सर्वथा आश्चर्यजनक नहीं माना जा सकता।

भारतीय जनसंघ ने इन चुनावों को राज्य स्तर के प्रश्नों पर लड़ने का निर्णय किया था। किंतु बांगलादेश की विजय की पृष्ठभूमि में श्रीमती गांधी की प्रतिमा को योजनाबद्ध रीति तथा प्रबल रूप से पेश करके सरकारी पार्टी वास्तविक प्रश्नों के संबंध में जनता को भ्रम में डालने और इस प्रकार विधानसभा के चुनावों को पृथक् करने के एकमेव औचित्य को ही व्यर्थ करने में सफल हो गई।

धनशक्ति का अभूतपूर्व दुरुपयोग—फिर भी बांगलादेश के निर्माण का लाभ उठाने का नग्न प्रयत्न, सरकारी कांग्रेस को इतनी विजय दिलाने का कारण नहीं

बनता जितनी कि विजय उसे मिली है। इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तथा धनशक्ति का उपयोग उतने पैमाने पर किया गया जितना आज तक कभी नहीं हुआ। सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच की विभाजक रेखा लगभग समाप्त कर दी गई थी। कुछ राज्यों में दिल्ली की भांति, पुलिस तथा गुप्तचर विभाग को सक्रिय रूप से चुनाव अभियान में शामिल किया गया। इन कारणों से चुनावों को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। कुछ अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर हिंसा, भय तथा आतंक की वजह से मतदाताओं के लिए स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करना असंभव हो गया।

दिल्ली में जनसंघ को श्रीमती इंदिरा गांधी से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री तथा उनके इशारों पर चलने वाले भारी सरकारी साधनों से लड़ना पड़ा। यदि इसके बावजूद जनसंघ न केवल अपने जनसमर्थन में वृद्धि करने में सफल हुआ है, बल्कि उन सभी महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों को अपने पास रखने में कामयाब हुआ है जिनमें प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी, तो यह राजधानी में जनसंघ द्वारा किये गये कार्यों की सराहना तथा उसके प्रतिनिधियों द्वारा अर्जित आदर का ही प्रतीक है।

चुनाव खर्च राज्य के ऊपर—1951 के बाद से चुनाव निरंतर महंगे होते जा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में चुनाव में पूंजी का प्रयोग कई गुणा बढ़ गया है। गत विधानसभा चुनावों में कुल मिलाकर जो धन खर्च किया गया वह अब तक के चुनावों में व्यय हुई धनराशि से कहीं अधिक होगा। चुनाव-व्यय पर मर्यादा लगाने का कानून एक मजाक बन गया है। चुनाव कानून संशोधन के लिए बनी संसदीय समिति ने ठीक सिफारिश की है कि "उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल द्वारा जो उचित चुनाव व्यय किया जाता है उसे उत्तरोत्तर राज्य के ऊपर डाला जाना चाहिए।" इसके साथ ही चुनाव में बढ़ती हुई हिंसा तथा शासनतंत्र के दुरुपयोग ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें चुनाव न तो निष्पक्ष हो सकते हैं और न स्वतंत्र।

भारतीय जनसंघ अनुभव करता है कि यद्यपि भारत में 5 महानिर्वाचन हो चुके हैं और आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि चुनाव अधिकाधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं, इस बात का अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है कि इस दुरावस्था को रोका जाय। चुनाव आयोग ने समय-समय पर चुनाव कानून में यहां-वहां थोड़ा-बहुत हेर-फेर करने का प्रयत्न किया है, किंतु अनेक बार यह प्रयास रोग को ठीक करने के बजाय उसे और अधिक बढ़ाने में ही कारणीभूत हुआ है। सचाई यह है कि अब तक चुनावों में मूलगामी सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

चुनाव प्रणाली में सुधार—वस्तुतः वर्तमान चुनाव प्रणाली के संबंध में ही

पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत किसी दल को विधानसभा में प्राप्त स्थानों का, उस दल को मिले जनसमर्थन से बहुधा कोई संबंध नहीं होता। केन्द्रीय कार्य समिति तीव्रता से अनुभव करती है कि चुनाव प्रणाली व चुनाव कानून में सुधार के मामले में अब और अधिक देर नहीं की जानी चाहिए। सभी लोकतंत्रवादियों को, फिर वे किसी भी दल से संबंधित हों, इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे तौर-तरीके ढूंढ़ने चाहिए जिससे वर्तमान चुनावतंत्र जनता की इच्छा को प्रामाणिकतापूर्वक प्रतिबिंबित कर सकें। जनसंघ संकल्प करता है कि वह चुनाव में भ्रष्टाचार तथा धांधलियों के विरुद्ध व चुनाव पद्धति में सुधार के लिए सतत् संघर्ष करेगा। केन्द्रीय कार्य समिति दल के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अधिकार देती है कि अन्य दलों के नेताओं के साथ वे संपर्क स्थापित करें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक पग उठायें।

[20 मार्च 1972; दिल्ली, के०का०स०]

72.09. चुनाव पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन

चुनाव आरोप—भारतीय जनसंघ हाल में हुए विधानसभा के चुनावों के परिणामों के लिए मुख्यतः चार बातों को कारणीभूत समझता है—प्रथम, सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा बड़ी चतुराई से बांगलादेश की विजय का दल के लिए लाभ उठाना; दूसरे, सरकारी मशीनरी, विशेषतः सरकारी प्रचारतन्त्र का खुला दुरुपयोग किया जाना; तीसरे, सरकारी शक्ति के निर्लज्ज उपयोग और अनुग्रह के द्वारा संग्रहीत असीम साधनों में अन्य दलों की अपेक्षा सत्ता कांग्रेस का कहीं अधिक भारी पड़ना तथा अन्त में वर्तमान निर्वाचन पद्धति की विडंबनाएं।

निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है। इस चुनाव में देश के विभिन्न भागों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मतदान केन्द्रों पर बलपूर्वक कब्जा किया गया, बाह्य व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों पर इच्छानुसार मोहर लगाई गई, मतदाताओं को किसी विशेष प्रत्याशी और दल के पक्ष में मतदान करने के लिए बलपूर्वक मजबूर किया गया अथवा स्वेच्छापूर्वक किसी दल या प्रत्याशी के पक्ष में मत देने से रोका गया तथा मतपेटियों के साथ छेड़छाड़ की गई। इन सब बातों के साथ जब यह तथ्य जुड़ जाता है कि इस बार सरकारी मशीनरी और धन की शक्ति का पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खुला दुरुपयोग किया गया है तो स्वभावतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इस वर्ष विधानसभाओं के चुनाव न तो स्वतंत्र हुए और न ही निष्पक्ष।

भारतीय प्रतिनिधि सभा इसे महत्वपूर्ण मानती है कि इन सब अनियमितताओं के बावजूद सत्तारूढ़ दल को प्राप्त भारी सुविधाओं और कथित इंदिरा लहर के होते हुए भी इस असमान लड़ाई में सत्तारूढ़ कांग्रेस कुल मतदान का स्पष्ट बहुतांश प्राप्त करने में विफल रही है। यह वर्तमान चुनाव पद्धति की ही कृपा है कि केवल 48 प्रतिशत मतों के बल पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 71 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये हैं।

जहां तक जनसंघ का संबंध है, चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। प्राप्त स्थानों की दृष्टि से हम पीछे हटे हैं। हमने दिल्ली में बहुमत खोया है, तथा मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में हमारी शक्ति घटी है; आंध्र, मैसूर तथा पंजाब की विधानसभाओं में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं बचा है। जम्मू-काश्मीर राज्य में स्थिति पूर्वानुसार रही है। हिमांचल प्रदेश के परिणाम भी असंतोषजनक नहीं हैं। गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे प्रदेश हैं जिनमें हमने प्रगति की है।

किंतु मतसंख्या की दृष्टि से, जो दल के प्रभाव का अधिक सच्चा मापदंड होता है, चुनाव परिणाम समाधानकारक हैं। चुनाव में प्राप्त स्थानों और मतों, दोनों दृष्टियों से जनसंघ अन्य सभी विरोधी दलों की (कम्युनिस्ट दल सत्ता का साथी बन गया है इस कारण उसे विरोधी दल नहीं माना जा सकता) तुलना में सर्वप्रथम रहा है। इसके अलावा 1967 की अपेक्षा भी हमारी मतसंख्या में वृद्धि हुई है।

जिन राज्यों में इस वर्ष चुनाव हुए हैं, उन्हीं राज्यों में 1967 में जनसंघ को 82.68 लाख मत मिले थे जो कुल मतदान का 8.50 प्रतिशत था। इस वर्ष हमें 95.89 लाख अर्थात् 8.57 प्रतिशत मत मिले हैं। यह सत्य है कि पिछली बार की अपेक्षा इस वर्ष हमने 93 अधिक प्रत्याशी खड़े किये थे। फिर भी जहां 1967 में हमें प्रति उम्मीदवार 7259 मत प्राप्त हुए थे। इस वर्ष प्रति उम्मीदवार हमारी औसत मतसंख्या 7783 रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1967 में प्राप्त समर्थन मुख्यतः देशव्यापी कांग्रेस-विरोधी लहर का परिणाम था, इस चुनाव में प्राप्त मतों में यह साधारण-सी वृद्धि भी अपना महत्व रखती है।

जनसंघ तीव्रता से अनुभव करता है कि यदि सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और चुनावों में धन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अविलंब पग नहीं उठाये गये तो इस बात का वास्तविक खतरा है कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का कोई गुट लोकतंत्रीय प्रक्रिया द्वारा स्वयं को सत्ता में चिरस्थाई बना लेगा और इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को अधिनायकवादी ढांचे में परिणत कर देगा।

चुनाव पद्धति—इसके अतिरिक्त वर्तमान निर्वाचन पद्धति के स्थान पर एक अधिक युक्तिसंगत पद्धति अपनाने की आवश्यकता है जिससे आज की पद्धति में निहित जुए और अनिश्चितता का अंश समाप्त हो जाय और विधानमंडल जनमत के प्रमुख धाराप्रवाहों को सही रूप में प्रतिबिम्बित कर सकें। स्मरण रहे कि निर्वाचन कानून में संशोधन के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि चुनाव के लिए सूची-पद्धति को अपनाने की उपादेयता पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त हो। जनसंघ मांग करता है कि यह सिफारिश अविलंब कार्यान्वित की जाय।

चुनाव सुधार—भारतीय प्रतिनिधि सभा, निर्वाचन पद्धति में संशोधन के लिए एक देशव्यापी आंदोलन करने का निश्चय करती है। आंदोलन का लक्ष्य निम्नलिखित मांगों को पूरा करना होगा :

(1) चन्दा कमेटी की सिफारिश के अनुसार आकाशवाणी को (टेलिवीजन सहित) एक स्वायत्त निगम बनाया जाय।

(2) मंत्रियों को चुनाव में सरकारी गाड़ियों, हवाई जहाजों तथा हेलीकोप्टरों आदि के उपयोग से रोका जाए। इन सुविधाओं की उपलब्धि उन्हीं शर्तों पर हो जिन शर्तों पर ये उपकरण अन्य मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के नेताओं को दिये जायें।

(3) चुनाव के पूर्व की तीन मास की अवधि में अपनी इच्छित निधि में से सरकार द्वारा अनुदान देने पर कानूनी मनाही होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रवृत्ति को 'दुष्ट आचरण' कहा है।

(4) सिद्धांततः चुनाव व्यय सरकारी व्यय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जब तक प्रत्यक्ष करों के संबंधों में नियुक्त वांचू समिति की सिफारिशों के अनुसार मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव अनुदान देने की योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक दलों और उम्मीदवारों द्वारा होने वाले चुनाव व्यय का भार उत्तरोत्तर सरकार उठाना प्रारंभ करे।

(5) चुनाव में अधिकतम व्यय की सीमा में दल के व्यय का भी समावेश हो। इन नियमों को और युक्तिसंगत रूप देकर कड़ाई से व्यवहार में लाया जाना चाहिए। इस समय का कानून सर्वथा निरर्थक और उम्मीदवार के लिए बेकार परेशानी का कारण है।

(6) मतों की गणना चुनाव केन्द्रों के अनुसार की जाय। वर्तमान पद्धति अनुपयुक्त है तथा बहुत से प्रदेशों में घटित निर्वाचन केन्द्रों पर कब्जा और नियंत्रण करने की घटनाओं पर पर्दा डालती है। विशेष उल्लेखनीय है

कि चौथे आम चुनाव की रिपोर्ट में स्वयं चुनाव आयोग ने मतपत्रों को मिलाकर गणना करने की वर्तमान पद्धति के विरुद्ध प्रभावी तर्क प्रस्तुत किये थे।

(7) देशभर में मतदान एक दिन में कराया जाय।

(8) संविधान की मंशा के अनुरूप, चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए।

(9) मताधिकार के लिए आयु की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की जाय और लोकसभा व विधानसभाओं के प्रत्याशी बनने के लिए आवश्यक आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष की जाय।

(10) दल-बदल को प्रतिबंधित करने के लिए अविलम्ब कानून बनाया जाय।

(11) कानून के अनुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के लिए सवारी का उपयोग भ्रष्ट आचरण है। फिर भी इसका व्यापक पैमाने पर आश्रय लिया जाता है, जिससे चुनाव का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। जनसंघ मांग करता है कि मतदान के दिन हर प्रकार की सवारी सड़क से हटा दी जाय और सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त केवल उन गाड़ियों को चलने की अनुमति हो जो अस्पताल, पुलिस अथवा प्रशासन आदि के आवश्यक कामों से संबंधित हों।

(12) निशान लगाने के स्थान पर मतपत्र में छेद करने की व्यवस्था की जाय। प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए जारी किये गये मतपत्रों तथा प्रयुक्त मतपत्रों की क्रम-संख्या प्रकाशित की जाय, तथा अप्रयुक्त मतपत्र मतदान के पश्चात पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में रद्द किये जायें। मतपत्रों के हिसाब की एक प्रति पोलिंग एजेंटों को देना प्रिजाइडिंग अफसर के लिए अनिवार्य किया जाय।

(13) काउंटर फाइल पर मतदाता के हस्ताक्षर लेने की इस वर्ष चालू की गई पद्धति रद्द की जाय; इससे जाली वोट डालने की समस्या हल नहीं होती, केवल मतदाता के मन में यह संदेह पैदा होता है कि अब उसका मतदान गोपनीय नहीं रहा।

(14) सभी महानगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त परिचय-पत्र दिया जाय।

(15) चलते-फिरते निर्वाचन केन्द्र अधिक संख्या में रखे जायें।

जनसंघ ने अन्य राजनीतिक दलों से भी कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मांग के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार करें। यह खेद का विषय है कि लोकतंत्र की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी, अभी तक की उनकी प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं है। जनसंघ अब भी संयुक्त प्रयत्न का स्वागत करेगा किंतु वह अपनी ओर से इस मामले को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।

[7 मई 1972, भागलपुर, भा०प्र०स०]

अध्याय 3

समाज कल्याण आदि

अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लगातार पिछड़ेपन, उनके प्रति सामाजिक अन्याय और छुआछूत की समस्या के बारे में जनसंघ सदैव घनीभूत पीड़ा का अनुभव करता रहा है। अपने आरंभ काल से ही उसने "पिछड़े वर्ग की समस्याओं के वास्तविक निराकरण का व्रत" लिया है और वह "छूआछात व अस्पृश्यता को मानवीय अभिशाप मानता है" (69.11)। उसके अनुसार "सदियों से उपेक्षित, शिक्षा तथा विकास के अवसरों की दृष्टि से पिछड़े और आर्थिक क्षेत्र में अभावग्रस्त वर्गों को, विशेष सुविधाओं के आधार पर तेजी से आगे बढ़ाते हुए समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति करने के लिए सक्षम" (68.16) बनाया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए इन वर्षों में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से जनसंघ को असंतोष रहा है। "सरकारी सेवाओं में उनके लिए जितने स्थान सुरक्षित किये गये हैं, अभी तक उन पर भी ईमानदारी से नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं" और जनसंघ चाहता है कि सरकार "नियम की अवहेलना करने वाले नियुक्ति-अधिकारियों के विरुद्ध कठोर रुख" (68.16) अपनाये।

भारतीय जनसंघ का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह रहा है कि उनके ठोस आर्थिक विकास के लिए "औद्योगीकरण पर योजना में व्यय किये जाने वाले धन का एक निश्चित प्रतिशत, इन पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय तथा सरकार एक ऐसे तंत्र का निर्माण करे जिसके द्वारा सरकारी ऋण एवं अनुदान इन वर्गों तक पहुंच भी सकें और ये अपने जीवनयापन के लिए सरकार के मुखापेक्षी न रहकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें" (68.16)।

जनसंघ का विश्वास है कि महिलाओं का स्थान समाज में सर्वोच्च सम्मान का और आदर का होना चाहिए। उन्हें चूल्हा और चक्की तक ही सीमित रखने के वह विरुद्ध है। अपने जन्म-काल के ही समय उसने अपने कार्यकर्ताओं को "महिलाओं में यह भाव जगाने के लिए कि अपने देश का शासन चलाने में वे अब समान रूप से साझीदार हैं" (52.04) अभियान आरंभ करने के लिए आवाहन किया था।

52.04. पिछड़े वर्गों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम

केन्द्रीय कार्य समिति अनुभव करती है कि भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को देशभर में जनसंघ की शाखाएं संगठित करने, उनके माध्यम से अपने समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम आरंभ करने और लोकतंत्र के आधार पर एक सुदृढ़ एवं स्थायी राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करना चाहिए।

शासन कार्य में महिलाओं की साझेदारी—समाज के उन वर्गों में जिनको सहायता की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उनके पास साधनों, सुविधाओं, शिक्षा, नेतृत्व अथवा संगठन का अभाव है, यह रचनात्मक कार्य आरंभ किया जाय। विशेषकर इन वर्गों में काम प्रारंभ किया जाना चाहिए :

(1) हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच इस उद्देश्य से कि सामाजिक अथवा अन्य दृष्टियों से दूसरों से पृथकता की जो भावना उनमें है वह पूरी तरह समाप्त हो जाय और वे पूर्ण समानता के आधार पर समाज की जीवनधारा के साथ एकाकार हो जायें। यह परिवर्तन ऐसा है जो कि प्रबल सामाजिक प्रयत्न के अभाव में केवल किसी कानून द्वारा संभव नहीं है।

(2) श्रमिकों के मध्य, इस उद्देश्य से कि वे कर्तव्य एवं दायित्व की भावना से श्रम करते हुए अधिक पैदा करने का महत्व समझें। उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठे, जीवन एवं श्रम की स्थिति और अच्छी हो, उचित वेतन मिले, तथा उद्योगों के लाभ में उचित अंश मिले। बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापे और जीवन का बीमा हो। एक ऐसे सांस्कृतिक वातावरण का सृजन हो जिससे उनके जीवन में भी आनंद का संचार हो और उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रह पैदा हो।

(3) छात्रों में भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन-पद्धति के प्रति गर्व व आत्मसंयम, सामाजिक सेवा, भारत की एकता भी भावना जगाने एवं (इस मिथ्या विचार को मिटाने के लिए कि धार्मिक भेद के कारण राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक सार और स्वरूप में भेद होना चाहिए और इस प्रकार) धर्म पर आधारित सब तरह के भेदभाव को मिटाने, तथाकथित 'अल्पसंख्यकों' को एक समान सामाजिक एवं सांस्कृतिक

समग्रता में (जिसे भारत कहा जाता है) एकाकार करने के उद्देश्य से काम किया जाय जो छात्रों को वर्तमान विदेशी शिक्षा पद्धति मात्र से उपलब्ध नहीं हो सकता।

(4) महिलाओं में, यह भाव जगाने के लिए कि अपने देश का शासन चलाने में वे अब समान रूप से साझीदार हैं। वे अपने अतिरिक्त समय में सहज कुटीर उद्योग आरंभ करके अपने परिवार की आय भी बढ़ावें और इस प्रकार देश की संकुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि करें। उनमें सामाजिक गतिविधियों का विकास करने का भी प्रयत्न होना चाहिए।

(5) विस्थापितों के बीच, उनके कष्टों को दूर करने और उनके पुनर्वास में हर संभव तरीके से सहायक होने के लिए, साथ ही उनके आवास की व्यवस्था करने, व्यवसाय अथवा सहकारिता आरंभ करने, पाकिस्तान में छूटी संपत्ति का मुआवजा दिलाने के लिए, उनके बच्चों और वयस्कों के लिए शिक्षा तथा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के निमित्त सरकार से सहायता दिलाने के उद्देश्य से काम शुरू किया जाय।

(6) किसानों में ऐसा उत्साह जगाया जाय कि वे आधुनिक उपकरणों और विधियों का प्रयोग करके आवश्यकतानुसार कठोर श्रम करके अधिक पैदावार करने का महत्व समझें और अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा कर सकें। उनके लिए जीवन की अच्छी एवं सुखप्रद सुविधाओं की व्यवस्था, अतिरिक्त समय में लाभप्रद रोजगार का प्रबन्ध और उनके लिए सांस्कृतिक गतिविधियों एवं मनोरंजन के लिए स्वस्थ साधनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उनमें काम आरंभ किया जाय जिससे उनके भी जीवन में सुख का संचार हो सके।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त समिति निर्देश देती है कि स्वदेशी आंदोलन को पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रयत्न किये जायें जिससे हमारे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले। साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली एवं सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक आदर्तों का भी राष्ट्रीयकरण करने के प्रयत्न किये जायें।

[10 फरवरी 1952; दिल्ली, के०का०स०]

52.16. व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम

देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पृथकतावादी तथा विदेशाभिमुख प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए 'प्रखर राष्ट्रीयता' के आधार पर राष्ट्र-निर्माण के रचनात्मक कार्य को हाथ में लिया जाय। इसके

लिए देशव्यापी संगठन-तंत्र की आवश्यकता है। यह अधिवेशन भारतीय प्रतिनिधि सभा और केन्द्रीय कार्य समिति को निर्देश देता है कि :

(1) देश के सभी भागों में व यथासंभव सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंघ के संविधान के अनुसार मण्डल समितियों तथा स्थानीय समितियों की स्थापना की जाय और नियमानुसार जनसंघ के शेष समस्त घटकों को अस्तित्व में लाया जाय जिससे देशभर का राष्ट्रवादी लोकमत दृढ़ रूप से संगठित किया जा सके।

(2) प्रादेशिक और जनपदीय सम्मेलनों द्वारा साधारण जनता तक अपना संदेश पहुंचायें।

(3) **पिछड़े वर्गों का उत्थान**—निम्नलिखित दिशाओं में विशेष रूप से उद्योग करें :

(*i*) जातिभेद पर आधारित ऊंच-नीच और सामाजिक व आर्थिक भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न करना, विशेषकर पिछड़े हुए वर्गों को शेष समाज में पूर्ण समानता का व्यवहार दिलाकर उनके बारे में पृथकता की भावना को सदा के लिए समाप्त कर देना।

(*ii*) श्रमिकों में देश के तथा उनके अपने लाभ के लिए अधिक उत्पादन करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना और उनके अधिकारों की रक्षा और अभावों की पूर्ति के लिए उन्हें संगठित करने का जनसंघ के आदर्शों के अनुसार प्रयत्न करना।

(*iii*) किसानों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना तथा भारतीय संस्कृति के अनुरूप और आर्थिक ठोस आधारों पर ग्रामीण समाज को साक्षर तथा प्रगतिशील बनाना।

(*iv*) महिलाओं में जनसंघ के आदर्शों का प्रचार करना तथा उन्हें राष्ट्र-निर्माण के यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

(*v*) कालेजों तथा स्कूलों के विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा जागृत कर उन्हें संयम और सेवाभाव के संस्कार देकर राष्ट्र-के उपयोगी घटक बनाना।

(*vi*) पाकिस्तान से निर्वासित बन्धुओं के कष्टनिवारण और पुनर्वास के लिए उद्योग करना।

(4) **लोक-निर्माण व जागरण का व्यापक कार्यक्रम**—अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यापक लोक-निर्माण व जागरण कार्यक्रम की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास करना :

(*i*) ग्रामों और छोटे-छोटे कस्बों में वहां के निवासियों के सहयोग से सामूहिक उद्योग द्वारा सार्वजनिक उपयोगी मार्गों, कुओं, जलाशयों

आदि स्थानों की मरम्मत तथा नवनिर्माण करना।

(*ii*) समाज शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर लोगों में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के साथ-साथ साक्षरता और सामाजिक भाव का जागरण करना।

(*iii*) मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार करते हुए उनका समाज शिक्षा केन्द्रों के रूप में उपयोग करना।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला, सा०अ०]

52.22. विस्थापितों का पुनर्वास

अविलंबनीय क्षतिपूर्ति—पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दुओं के पुनर्वास का कार्य अभी अधिकतर उसी अंश में पूर्ण हुआ है जिस अंश में उन लोगों ने अपने उद्योगों से स्वावलंबी बनने में सफलता पाई है। सरकार द्वारा किये गये व्यय का एक बहुत बड़ा भाग, उसके कर्मचारियों और बिचौलियों में ही बंट जाता है और पात्रों तक नहीं पहुंच पाता। कुछ मिलता भी है तो उनको जिनकी कि कर्मचारियों तक पहुंच है। अतः जनसंघ का मत है कि अपने कर्मचारियों के माध्यम से मकान बनाने और व्यवसाय दिलवाने आदि के उद्योग न करके, सरकार को भूमि, व्यवसायों के अवसर, उपकरण तथा धन आदि सीधा विस्थापितों को देकर उन्हें अपने पांवों पर खड़े होने का अवसर देना चाहिए। इसके साथ ही उनकी पाकिस्तान में छूटी हुई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति के रूप में जो कुछ भी उन्हें दिया जाना है वह उन्हें अविलम्ब मिल जाना चाहिए।

पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों के लिए तो इतना भी नहीं किया गया और उनमें से अधिकतर जो कि अब आये हैं और आगे आने वाले हैं आर्थिक दृष्टि से पहले ही बहुत दुर्बल हैं। अतः सरकार को चाहिए कि क्षतिपूर्ति के कार्य को पहले के समान विलम्बित न कर अल्पावधि में संपन्न करे। पुनर्वास के विषय को लेकर हाल ही में दिल्ली के विस्थापित सम्मेलन ने तथा बंगाल की निष्क्रान्त समिति ने जो प्रस्ताव किये हैं उनका जनसंघ समर्थन करता है।

जनसंघ भारत सरकार से मांग करता है कि विस्थापितों की छोड़ी हुई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति पाकिस्तान से शीघ्र कराये। पाकिस्तान सरकार जिस प्रकार अपने मिथ्यावाद और हमारी उदारता का लाभ उठाती रही है उससे विस्थापितों के लिए अत्यन्त हानि हुई है। यदि भारत सरकार पाकिस्तान से कड़ा व्यवहार कर उक्त सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति ले सके तो विस्थापितों की समस्या की चिंता भारत को नहीं पाकिस्तान को सताने लगेगी। जनसंघ भारत सरकार से बलपूर्वक आग्रह करता है

कि पाकिस्तान के प्रति वह अपनी दुर्बल नीति को बदले और शठता के प्रति कठोर एवं सबल नीति का अवलंबन करे।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

53.14. काश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास

अब्दुल्ला द्वारा बाधाएं—जम्मू-काश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत प्रदेश के बहुत से विस्थापित अब भी कष्ट सहते हुए भारत में इधर-उधर भटक रहे हैं। इन विस्थापितों को राज्य में (विशेषतः काश्मीर घाटी में) बसाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शेख अब्दुल्ला रहा है, जिसका कारण अब सहज ही समझ में आ सकता है। लेकिन, न्याय और मानवता दोनों दृष्टियों से यह आवश्यक है कि इन दुःखी लोगों को राज्य के उन्हीं भागों में बसाया जाय जहां की जलवायु उनके छोड़े गये घरों जैसी है। जो लोग काश्मीर प्रदेश में बस गये हैं उनको उस भूमि का स्वामित्व प्रदान कर दिया जाय जिस पर वे बसे हैं। जमीन जायदाद तथा अन्य दावों के संबंध में उनके साथ अन्य देश के विस्थापितों जैसा ही व्यवहार किया जाय और उनके दावों को पूरा करने तथा बैंकों के खाते में जमा उनकी रकम को उन्हें शीघ्र लौटाने की व्यवस्था की जाय।

[15 अगस्त 1953; इलाहाबाद, भा०प्र०स०]

54.07. प्रेस की स्वतंत्रता का हनन

सरकार की आलोचना पर पाबंदी—भारतीय जनसंघ, प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेस सरकार द्वारा सतत अपनाये जाने वाले अधिनायकवादी रवैये की घोर निंदा व भर्त्सना करता है। पहले भारत के संविधान में संशोधन किया गया तथा प्रेस को उस स्वतंत्रता से भी वंचित कर दिया गया जिसका वह ब्रिटिश राज में उपभोग करता था। तत्पश्चात प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अध्यादेश लागू किया गया जिसका उद्देश्य वर्तमान सरकार की आलोचना को रोकना था, और अब संसद में कहा गया है कि इस आपत्तिजनक अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया जायेगा। संसद में अत्यधिक बहुमत होते हुए भी सरकार ने इस प्रस्ताव को उसके सम्मुख रखने में झिझक से काम लिया है। उसको राष्ट्रपति के अध्यादेश के चोर दरवाजे से लागू करने का यत्न समस्त लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करना है। इतना ही नहीं, संसद में गृहमंत्री ने यह घोषणा की है कि फौजदारी

कानून को इस तरह संशोधित किया जायेगा कि जिसमें सरकारी अधिकारियों की (जिनमें मंत्री भी शामिल हैं) आलोचना करना एक दण्डनीय अपराध होगा। यह घोषणा अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता की मौत की घंटी का काम देगी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए प्रशासन को भविष्य के लिए खुली मनमानी प्रदान कर देगी।

भारतीय जनसंघ सरकार को चेतावनी देता है कि प्रस्तावित संशोधन लागू करना लोकतंत्रीय मार्ग द्वारा शासन में शांतिपूर्वक परिवर्तन करने का द्वार बंद करके देश में हिंसात्मक क्रांति को आमंत्रित करने के समान होगा। साथ ही जनसंघ देश का तथा विशेषत: प्रेस का, इस खतरनाक सरकारी नीति की वर्तमान दिशा में सन्निहित संकटों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तथा अपील करता है कि समय रहते हुए उसे वे रोकें।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

54.11. विस्थापितों का पुनर्वास

अत्यल्प क्षतिपूर्ति—भारतीय जनसंघ का निश्चित मत है कि अभी हाल में सरकार द्वारा घोषित पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए पुरुषार्थियों के दावों की क्षतिपूर्ति योजना पुष्ट दावों की तुलना में बहुत छोटी है और उनके पुनर्वास के लिए अपर्याप्त है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के दावों के संबंध में तो अभी तक जांच भी नहीं की गई है।

शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति—विस्थापितों की निम्नलिखित मांगों के साथ जनसंघ पूर्णतया सहमत है :

(*i*) शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति।

(*ii*) 2000 रु० तक दिये गये अग्रिम ऋण को पुनर्वास के लिए दी गई रकम माना जाय।

(*iii*) जिन पुरुषार्थियों के दावों की पुष्टि की जा चुकी है, उनसे ऋण तथा किराये की वसूली स्थगित रखी जाय।

दोषपूर्ण क्षतिपूर्ति योजना—इनके अतिरिक्त भारतीय जनसंघ निम्नलिखित अतिरिक्त सुझावों को अविलंब कार्यान्वित किये जाने की मांग करता है :

(1) कुल मिलाकर 3 लाख 95 हजार दावेदार हैं। वर्तमान योजना केवल 55 हजार दावेदारों का समावेश करती है। शेष दावेदारों को क्षतिपूर्ति देने के संबंध में शीघ्र ही एक विस्तृत योजना घोषित की जाय।

(2) अब तक जिन दावेदारों को क्षतिपूर्ति दी गई है उनकी संख्या नगण्य है। यदि क्षतिपूर्ति देने की गति इतनी ही धीमी रही तो समस्त दावेदारों को क्षतिपूर्ति देने में बहुत समय लगेगा और पुनर्वास का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा।

(3) जनसंघ अनुभव करता है कि संपूर्ण प्रश्न को अत्यावश्यक समझकर जाल्ते की खानापूरियों को विलंबकारी न बनने दिया जाय। 55 हजार दावेदारों की क्षतिपूर्ति के लिए पहले किसी कसौटी को निश्चित करने की बड़ी आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनसंघ को भय है कि क्षतिपूर्ति की समूची योजना का सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग किया जायेगा।

(4) योजना में इस बात का भी स्पष्ट निर्देश नहीं किया गया है कि दावेदारों को क्षतिपूर्ति किसी निश्चित स्थान पर दी जायेगी। यदि दावेदारों को क्षतिपूर्ति उनके जिला केन्द्रों पर ही दी जाय तो उनके हित में सर्वोत्तम होगा।

(5) सरकार द्वारा निर्मित मकानों का स्थायी स्वामित्व-अधिकार दावेदारों को स्थानांतरित कर दिया जाय। अधिकांश दावेदारों को अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए नकद रकम की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान योजना मकान को बेचने का अधिकार नहीं देती।

(6) निष्क्रांत संपत्ति की उचित देखभाल तथा मरम्मत न किये जाने के फलस्वरूप गत 6 वर्षों में उसकी कीमत बुरी तरह गिर गई है। अत: जनसंघ सरकार से मांग करता है कि निष्क्रांत संपत्ति की मरम्मत के लिए वह अविलंब पग उठाये, जिससे उसका मूल्य और न गिर जाय।

(7) उन विस्थापितों को भी, जिन्होंने अब तक अपने दावे दायर नहीं किये, ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा निमंत्रित किया जाना चाहिए।

[25 जनवरी 1954; दूसरा सा०अ०]

55.07. विस्थापितों का पुनर्वास

विभाजन के फलस्वरूप, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या 7 वर्षों से देश के सम्मुख है। इस बीच अनेक विस्थापितों ने कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने पुरुषार्थ से अपने पुनर्वास की व्यवस्था की है। उसके लिए वे संपूर्ण राष्ट्र की बधाई के पात्र हैं।

सरकार का यह दावा कि उसने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए 90 प्रतिशत से अधिक विस्थापितों को बसा दिया है, केवल अतिशयोक्ति ही नहीं अपितु इन पुरुषार्थियों की वीरता, धैर्य, लगन और निश्चय (जिनके साथ उन्होंने अपने पैरों

पर खड़े होकर अपनी व्यवस्था की है) उनके प्रति अज्ञान एवं अवमानना का भी द्योतक है।

क्षतिपूर्ति विधेयक व निष्क्रांत संपत्ति विधेयक—किंतु पुरुषार्थियों के इन सभी प्रयत्नों से उनकी समस्याएं हल नहीं होतीं। अनेक तो उनके बूते के बाहर की हैं। उन्हें तो प्रशासन के सहानुभूतिपूर्ण सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है। भारत सरकार इनके पुनर्वास एवं पाकिस्तान में छोड़ी हुई इनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति के प्रति अपने दायित्व को टाल नहीं सकती। सरकार द्वारा हाल ही में पारित विस्थापित क्षतिपूर्ति विधेयक और निष्क्रांत संपत्ति (संशोधन) विधेयक दोनों ही विस्थापितों के लिए अहितकर तथा उनकी आशाओं के सर्वथा प्रतिकूल हैं।

क्षतिपूर्ति में सरकारी अंश—जनसंघ का मत है कि पुरुषार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित पग उठाये जायें :

(1) उनकी क्षति के लिए शत प्रतिशत पूर्ति के अधिकार को माना जाय।

(2) जिस क्षतिपूर्ति को सरकार ने देने का वचन दिया है वह एक निश्चित अवधि के अंदर दे दी जाय। जिस गति से आज काम किया जा रहा है वह बहुत ही धीमी है। सूची बनने के बाद होने वाली विधवाओं के नाम भी उस सूची में बढ़ा दिये जायें जिन्हें सबसे पहले क्षतिपूर्ति देने का निश्चय हुआ है।

(3) जो विस्थापित सरकार द्वारा बनाये हुए मकानों में निवास कर रहे हैं उन्हें वे मकान बिना कुछ मुनाफा कमाये दे दिये जायें। मकानों को नीलाम कर अधिकाधिक मुनाफा कमाने की वर्तमान नीति विस्थापितों के हित एवं सरकार के घोषित इरादों के विपरीत है। जो धन किराये के रूप में सरकार को प्राप्त हुआ है उसे मकान के मूल्य में सम्मिलित किया जाय।

(4) इन मकानों से विस्थापितों को बेदखल न किया जाय, क्योंकि इस प्रकार वे फिर एक बार विस्थापित हो जायेंगे।

(5) किसी भी कारण से जो लोग अपने दावे पेश नहीं कर सके हैं उन्हें दावे प्रस्तुत करने का फिर अवसर दिया जाय।

(6) देहाती दावों को केवल इसलिए समाप्त न किया जाय कि दावेदारों को कुछ एकड़ जमीन दे दी गई है।

(7) विद्यार्थियों एवं अनाथों के लिए सहायता कुछ वर्ष और जारी रखी जाय।

(8) सरकार द्वारा दावे स्वीकार हो जाने पर भी जब विस्थापितों को उनका धन नहीं दिया गया तो पुनर्वास ऋण पर सूद नहीं लिया जाना चाहिए।

जब सरकार दावों के धन का अंश-मात्र ही दे रही है तो ऋण की वसूली भी उसी प्रमाण में की जानी चाहिए।

(9) क्षतिपूर्ति-राशि की वृद्धि के लिए निष्क्रांत संपत्ति का पुनः सर्वेक्षण किया जाय। निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम के वे प्रावधान, जिनसे इस संपत्ति में कमी हुई है, रद्द किये जायें।

(10) जिन व्यक्तियों को एक हजार रुपये तक पुनर्वास ऋण दिया गया है उन्हें ऋण-मुक्त किया जाय।

(11) बक्शी टेकचंद कमेटी की सिफारिशों के अनुसार क्षतिपूर्ति निधि में सरकार का अंश बढ़ाया जाय।

(12) इस निधि को बढ़ाने के लिए देशव्यापी पूंजी-कर लगाया जाय।

(13) (*i*) पूर्वी बंगाल से आये हुए विस्थापितों को उनके व्यवसाय के अनुसार बसाने के लिए एक सुनिश्चित योजना से प्रयत्न हो।

(*ii*) जो लोग जहां-जहां बस गये हैं उस भूमि के ऊपर उनका अधिकार माना जाय एवं उसे नियमित किया जाय।

(*iii*) जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं उन्हें ऋण एवं पुनर्वास अनुदान उदारतापूर्वक दिये जायें।

(*iv*) पूर्वी बंगाल में उनकी क्षति के लिए पूर्ति के प्रश्न पर भी सरकार विचार करे।

(14) (*i*) जम्मू-काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को रजिस्टर किया जाय। जिनकी संपत्ति पीछे रह गई है उनके दावे लिये जायें और उनकी क्षतिपूर्ति का प्रबंध किया जाय।

(*ii*) सीमांत पर बसाये गये व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रादि दिये जायें।

(*iii*) जिन विस्थापितों के लिए 'बस्ती' बना देने का वचन दिया गया है उनके लिए उचित जगह पर बस्ती बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाय।

[1 जनवरी 1955; जोधपुर, तीसरा सा०अ०]

58.04. विस्थापितों का पुनर्वास

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्या अब एक जटिल स्थिति पर पहुंच गई है।

निष्क्रमण-पत्रों पर रोक—पाकिस्तानी सेना द्वारा अवैध व्यापार विरोधी

कार्यों के बहाने जो भय और त्रास का युग उपस्थित किया गया है उससे पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं का उत्पीड़न एक नई स्थिति पर पहुंच गया है और वहां के अभागे हिन्दू जो इस समय भी मुस्लिम राज्य द्वारा चालू विभिन्न भेदभाव की नीतियों के कारण कराह रहे थे अब वहां जीवननिर्वाह करना असह्य और असंभव पाने के कारण वहां से चले आने के इच्छुक हैं। परंतु भारत सरकार ने, लगभग असंभव शर्तों पर दिये जाने वाले निष्क्रमण-पत्रों के कारण उनका आना ही बंद जैसा कर दिया है। यद्यपि सरकार इससे इनकार करती है और घोषणा करती है कि हिन्दुओं का वहां से आना अब लगभग बंद हो गया है, यह केवल प्रवंचना मात्र है। अल्पसंख्यकों के निष्क्रमण के अधिकार का छिन जाना विभाजन के समय दिये गये आश्वासनों के न केवल विपरीत है वरन् 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के भी विरुद्ध है। अतः पूर्वी बंगाल के हिन्दू अल्पसंख्यकों के साथ यह भारी विश्वासघात है।

उपेक्षित विस्थापित—पूर्वी बंगाल के हिन्दू भारी संख्या में वहां से आ चुके हैं। उनकी संख्या सरकार के अनुसार 30 लाख के ऊपर है और उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर लिया है। पश्चिमी बंगाल में और अधिक भूमि न रहने का बहाना लेकर सरकार द्वारा उनमें से अधिकांश को प्रदेश से बाहर भेजने का निश्चित प्रयास किया जा रहा है। वह भी आसाम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और मणिपुर के पड़ौस के प्रदेशों में नहीं बल्कि भारत के दण्डकारण्य नामक दूरस्थ भाग को जो निर्जन, अविकसित और मरूस्थल है (जिसके विकास के लिए लगभग एक सौ करोड़ का व्यय कूता जाता है)। इन शरणार्थियों पर दबाव डालकर वहां जाने के लिए सहमत होने के निमित्त उन्हें विवश किया जा रहा है।

यह स्थिति दुःखद है। जनसंघ मांग करता है कि :

(1) पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के निष्क्रमण को रोकने की नीति को सरकार को तुरंत बंद करना चाहिए और पूर्वी बंगाल के सभी हिन्दुओं को जो वहां की वर्तमान स्थितियों के कारण वहां से आना चाहते हैं, आने देना चाहिए।

(2) इन विस्थापितों को जहां भी संभव हो सरकार द्वारा पहले तो पश्चिमी बंगाल में बसाया जाय और उसके बाद आसाम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और मणिपुर के उन सुविधाजनक स्थानों में उन्हें बसाया जाय जहां इस समय भी बंगाली भाषी लोग बड़ी संख्या में हैं और सबसे अंत में दण्डकारण्य तथा अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में। साथ ही दण्डकारण्य के संबंध में जनता के सम्मुख निश्चित योजना रखी जाय और जनता के प्रतिनिधियों और शरणार्थी नेताओं को वह स्थान दिखलाया जाय

जिससे वे यह निश्चय कर सकें कि यह योजना कहां तक व्यावहारिक है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इस योजना के संबंध में मूलतः कोई विरोध नहीं है किंतु सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व तैयारी और प्राथमिक प्रबंध के उसे जनता पर लादने का वर्तमान विचार छोड़ देना चाहिए।

सरकारी रवैये में संवेदनशीलता का अभाव है। यह अभागे विस्थापितों का स्वार्थी दलों द्वारा अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग किये जाने का अवसर देता है और उनको कभी-कभी अवांछित मार्गों की ओर ले जाता है। जनसंघ विस्थापित समस्या के इस अनैतिक और अवांछित दुरुपयोग के विरुद्ध है। इस समस्या की ओर उसकी दृष्टि और हल करने का विचार मानवीय है जिससे पुनर्वास का कार्य संतोषजनक ढंग से हो सके।

पुनर्वास में विस्थापितों का सहयोग—दण्डकारण्य योजना को जनसंघ पहले से ही अमान्य नहीं करता है वरन् चाहता है कि योजना प्रमुख जन-सेवकों और विस्थापितों के सहयोग से कार्यान्वित की जाय जिससे उसकी वास्तविक सफलता हो। इस उद्देश्य से जनसंघ अपने कुछ संसद सदस्यों और आंध्र, मध्यप्रदेश और पश्चिमी बंगाल के सदस्यों की एक समिति स्थापित करता है जो केन्द्रीय सरकार, संबंधित प्रदेश सरकारों, योजना प्रशासकों और स्वयं शरणार्थियों से संबंध रखेगी। इसका केन्द्रीय कार्यालय कलकत्ता में रहेगा जिससे सभी संबंधित लोग अपनी सुविधानुसार समिति से संबंध रख सकें।

जनसंघ इस बात पर असंतोष प्रगट करता है कि पश्चिमी पंजाब, सिंध व सीमा प्रांत के विस्थापितों का पुनर्वास पूर्ण होना तो दूर रहा, सरकार की हाल की विस्थापित विरोधी नीतियों से उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं।

जनसंघ मांग करता है कि :

(1) विस्थापित क्षतिपूर्ति की नकद राशि को 1000 रु० तक सीमित न करके पूर्ववत् रखा जाय।

(2) निकासी जायदादों की वापिसी तुरंत रोकी जाय।

(3) बाढ़ के समय पुनर्वास मंत्री के आश्वासन पर जो स्थान पंजाब में शरणार्थियों ने घेर लिये थे, उन्हें दूसरा उचित स्थान दिये बिना वहां से हटाया न जाय।

(4) शरणार्थी दुकानों व मकानों का मूल्य बिना लाभ उठाये और बिना ब्याज लिये 30 किश्तों में वसूल किया जाय।

(5) वसूल किये गये किराये को कीमत में सम्मिलित किया जाय।

[5 अप्रैल 1958; अम्बाला, छठा सा०अ०]

58.13. पूर्वी बंगाल के विस्थापित

विस्थापित शिविरों की समाप्ति—केन्द्रीय कार्य समिति सरकार द्वारा विस्थापितों के प्रति अपनाई गई ताजा नीति की निंदा करती है। इस नीति के बारे में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उससे पता चलता है कि सरकार विस्थापित शिविरों को शीघ्र ही बंद कर देगी, इन शिविरों में रहने वाले अधिकांश विस्थापितों को बंगाल से बाहर दूर स्थानों पर पहुंचा दिया जायेगा और जो बाहर जाने से इनकार करेंगे उनको कुछ नकद राशि देकर स्थिति का अपने ढंग से सामना करने के लिए उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया जायेगा। इस तरह की नीति से बंगाल में बेरोजगारी की समस्या और जटिल हो जायेगी। ऐसा करना नितांत अनुत्तरदायित्वपूर्ण और अमानवीय होगा और यह उस आश्वासन के भी विरुद्ध होगा, जो सरकार द्वारा बंगाल में विस्थापितों के सत्याग्रह के समय दिया गया था कि किसी भी विस्थापित को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंगाल से बाहर नहीं भेजा जायेगा।

विस्थापितों पर गोली—जहां तक पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों के बेतिया शिविर (जिला चंपारन, बिहार) का संबंध है जनसंघ इस बात की निंदा करता है कि अधिकारियों के अबुद्धिमत्तापूर्ण और कुशलताहीन व्यवहार के कारण वहां ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई कि अंत में गोली चली, जिससे बहुत से बेसहारा विस्थापित घायल हुए और देशभर में जनमत को भारी आघात पहुंचा। यह संतोष का विषय है कि इस दुर्घटना पर जनता की उग्र प्रतिक्रिया के कारण अधिकारियों ने वस्तुवादी रवैया अपनाना स्वीकार किया और कार्य समिति को हर्ष है कि बेतिया में विस्थापितों की स्थिति में अब काफी सुधार आ गया है। समिति को आशा है कि उनको फिर से बसाने की आवश्यक शर्तों को भी शीघ्र ही पूरा किया जायेगा।

गोलीकांड की दुखद घटना के संबंध में कार्य समिति मांग करती है कि एक उपयुक्त न्यायिक जांच समिति बैठाई जाय जो मामले की गहराई में जाय जिससे इस कांड के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उचित दंड दिया जा सके।

[19 जुलाई 1958; बंबई, के०का०स०]

65.05. गोदावरी नदी पर पुल

एक शताब्दि से पहले धवलेश्वरम पर गोदावरी नदी का बांध बांधा गया था। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के बांध के अनुभव के कारण आम राय यह है कि एक नया बांध तैयार करने में देर नहीं की जानी चाहिए। यदि इस विषय में देरी करने

से कोई अवांछनीय घटना हो गई और प्रदेश की जनता को हानि उठानी पड़ी तो यह भारी दोषपूर्ण लापरवाही होगी।

राजमहेन्द्री के पास गोदावरी के ऊपर सड़क का रास्ता न होने से देश की मुख्य सड़क पर भारी अड़चन बनी हुई है। यद्यपि एक ऐसे रेलगाड़ी के पुल की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है कि जो सड़क और रेलगाड़ी दोनों के उपयोग का हो, परंतु फिर भी केवल रेल के पुल के लिए टेंडर मांगे गये हैं। सड़क और रेल वाले एक पुल का बनाया जाना राष्ट्रीय आवश्यकता है। अतः गोदावरी के ऊपर बांध तैयार किये जाने के विषय के साथ मिलाये बिना इस विषय पर स्वतंत्र रीति से निश्चय किया जाना चाहिए, क्योंकि बांध की बात तो अभी केवल प्रस्ताव की स्थिति में ही है।

इन सब बातों पर विचार करते हुए, विजयवाड़ा के अपने इस वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भारतीय जनसंघ, राज्य और केन्द्रीय सरकार से साग्रह अनुरोध करता है कि केवल रेल के पुल के बनाने की बजाय पहले के विचार के अनुसार सड़क और रेल दोनों का एक मिला-जुला पुल बनाया जाय जिसके लिए केन्द्र और प्रदेश, दोनों ही आवश्यक राशि दें।

[24 जनवरी 1965; विजयवाड़ा, बारहवां सा०अ०]

68.16. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की स्थिति

ममता व समता का आधार—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आशा की गई थी कि सदियों से उपेक्षित, शिक्षा तथा विकास के अवसरों की दृष्टि से पिछड़े हुए और आर्थिक क्षेत्र में अभावग्रस्त वर्गों को, विशेष सुविधाओं के सहारे तेजी से आगे बढ़ाकर समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति करने के लिए, सक्षम बनाया जायेगा। ऊंच-नीच के भेद समाप्त होकर, संपूर्ण समाज में पारिवारिक ममता तथा समता प्रतिष्ठित होगी। परंतु खेद का विषय है कि गत 20 वर्षों में इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी।

समाज सुधार की जो जनभावना स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्र में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, स्वतंत्रता के बाद उसमें भी कमी आ गई। आज देश के अनेक भागों से अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की शोचनीय स्थिति के जो समाचार आ रहे हैं, प्रतिनिधि सभा उस पर चिंता व्यक्त करती है। प्रतिनिधि सभा का निश्चित मत है कि जन्म, जाति और व्यवसाय के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा की कल्पना होना तथा उस आधार पर भेदभाव पनपना सामाजिक एकता के लिए बाधक है। भारत की भूमि पर निवास करने वाला तथा उसके प्रति ममता रखने

वाला विशाल मानव समुदाय एक परिवार है। परस्पर आत्मीयता एवं समानता का भाव जन-एकता को पुष्ट करता है। अतएव आवश्यक है कि ऊंच-नीच और छुआछूत को मिटाने के लिए प्रभावी ढंग से शैक्षिक, सुधारवादी एवं आंदोलनात्मक पग उठाये जायें।

पिछड़े वर्गों के लिए कुटीर उद्योग—सामाजिक समता का प्रश्न, पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। देश की 3 पंचवर्षीय योजनाओं में इस दृष्टि से कोई परिणामकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार ने 'हरिजन कल्याण' तथा 'जनजातियों के विकास' की घोषणाएं तो बहुत कीं, परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने का परिणामकारी प्रयास नहीं हुआ। इसके लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं मात्र पर्याप्त नहीं हैं। जब तक देश के नियोजन में इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिए, उनके कुटीर उद्योगों का आधुनिकीकरण करके उन्हें संरक्षण एवं प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, गरीब और अमीर के बीच आर्थिक खाई का कम होना कठिन है। गत 3 योजनाओं में उद्योगों के विकास पर जो धनराशि व्यय की गई है, उसका अत्यंत अल्पांश ही इन पिछड़े हुए वर्गों के लिए प्राप्त हो सका है। उद्योगों की सहायता के लिए ऋण अथवा अनुदान देने के जो नियम प्रचलित हैं, उनके आधार पर ये वर्ग, जिनके पास न कोई सम्पत्ति है और न पूंजी, लाभ उठाने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की जनसंख्या के आधार पर, औद्योगीकरण पर योजना में व्यय किये जाने वाले धन का एक निश्चित प्रतिशत, इन पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय तथा सरकार एक ऐसे तंत्र का निर्माण करे जिसके द्वारा सरकारी ऋण एवं अनुदान इन वर्गों तक पहुंच भी सकें और ये अपने जीवनयापन के लिए सरकार के मुखापेक्षी न रहकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो निश्चय ही समाज के आर्थिक जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आयेगा और आर्थिक विषमता की खाई पटना प्रारंभ हो सकेगी। प्रतिनिधि सभा सरकार से मांग करती है कि चौथी योजना में इस दृष्टि से आवश्यक संशोधन किया जाय।

पिछड़े वर्गों की नियुक्तियां—सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लिए जितने स्थान सुरक्षित किये गये हैं, अभी तक उन पर भी ईमान-दारी से नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। हरिजन प्रार्थी होते हुए भी, अनेक बहाने बनाकर उनके लिए सुरक्षित स्थानों पर भी उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में आज भी इन जातियों का प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है। प्रगति की गति भी अत्यंत धीमी है। जब तक केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सरकारें इस ओर ध्यान देकर, नियम की अवहेलना करने वाले नियुक्ति-अधिकारियों के विरुद्ध कठोर रुख नहीं अपनाती, तब तक इस दिशा में वांछित सुधार नहीं हो सकता।

निश्चित अवधि में पिछड़ेपन की समाप्ति—भारतीय जनसंघ पिछड़ी हुई जातियों को एक निश्चित अवधि में, समाज के समान स्तर पर लाने के लिए योजनानुसार कार्यक्रम बनाने के पक्ष में है। गत 20 वर्षों के अनुभव ने समाज में इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि यह लक्ष्य 'एक निश्चित अवधि' में प्राप्त नहीं हो सकेगा और पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण कहीं स्थायी रूप न धारण कर ले। संविधान की निर्मिति के समय यह अनुमान लगाया गया था कि 10 वर्ष की अवधि के बाद इस प्रकार के आरक्षण समाप्त किये जा सकेंगे, परंतु आज 20 वर्ष बाद भी ये जातियां समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष नहीं आ सकी हैं और इसलिए आरक्षण बनाये रखने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के प्रति अपनाई गई वर्तमान नीति की विफलता के कारणों की जांच की जाय और जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन की ऐसी प्रक्रियाओं को प्रारंभ किया जाय जिससे समाज के दुर्बल वर्ग शीघ्रातिशीघ्र अन्य वर्गों के समकक्ष आ सकें।

[7 सितम्बर 1968; इंदौर, भा०प्र०स०]

69.11. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कार्यक्रम

छूतछात का अभिशाप—जनसंघ ने अपने जन्म-काल से ही पिछड़े वर्ग की समस्याओं के वास्तविक निराकरण का व्रत लिया था। उसने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि पिछड़ी जातियों को एक निश्चित अवधि में समाज के समान स्तर पर लाने के लिए योजनानुसार एक कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा। भारतीय जनसंघ छूतछात व अस्पृश्यता को मानवीय अभिशाप मानता है। एक मानव दूसरे मानव से जन्म, वंश या व्यवसाय के कारण घृणा या भेदभाव करे, यह बात बिलकुल गलत तथा अन्यायपूर्ण है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से भारतीय जनसंघ ने अपनी भारतीय प्रतिनिधि सभा के इंदौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जिसका एक अंश इस प्रकार है :

"स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आशा की गई थी कि सदियों से उपेक्षित, शिक्षा तथा विकास के अन्य अवसरों की दृष्टि से पिछड़े हुए और आर्थिक क्षेत्र में अभावग्रस्त वर्गों को, विशेष सुविधाओं के सहारे तेजी से आगे बढ़ाकर समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति करने के लिए, सक्षम बनाया जायेगा। ऊंच-नीच के भेद समाप्त होकर, संपूर्ण समाज में

पारिवारिक ममता तथा समता प्रतिष्ठित होगी। परंतु खेद का विषय है कि गत 20 वर्षों में इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी।

समाज सुधार की जो जनभावना स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्र में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, स्वतंत्रता के बाद उसमें भी कमी आ गई। आज देश के अनेक भागों से अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की शोचनीय स्थिति के जो समाचार आ रहे हैं, प्रतिनिधि सभा उस पर चिंता व्यक्त करती है। प्रतिनिधि सभा का निश्चित मत है कि जन्म, जाति और व्यवसाय के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा की कल्पना होना तथा उस आधार पर भेदभाव पनपना सामाजिक एकता के लिए बाधक है। भारत की भूमि पर निवास करने वाला तथा उसके प्रति ममता रखने वाला विशाल मानव समुदाय एक परिवार है। परस्पर आत्मीयता एवं समानता का भाव जन-एकता को पुष्ट करता है। अतएव आवश्यकता है कि ऊंच-नीच और छुआछूत को मिटाने के लिए प्रभावी ढंग से शैक्षिक, सुधारवादी एवं आंदोलनात्मक पग उठाये जायें।"

क्रांतिकारी अभियान—इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि भविष्य के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया जाय जिससे देश के कोने-कोने में फैले लाखों कार्यकर्ताओं को उचित दिशा मिल सके और एक क्रांतिकारी अभियान का श्रीगणेश हो सके।

हमें ऊंच-नीच के भेदभावों को समाप्त करना है। हृदय परिवर्तन के द्वारा अपनत्व उत्पन्न करना है और विश्वास का भाव जगाना है। इसके लिए आवश्यकता है कि परिगणित बंधुओं के कष्टों, उनके दुःखों और उनकी पीड़ाओं को अनुभव करें। उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनका हाथ बटायें, केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से ही नहीं वरन् नैतिक और मानवीय दृष्टि से भी। इसके लिए हमें संक्षेप में निम्नांकित कार्यक्रम अपनाना होगा :

(1) **शैक्षिक सुविधाएं**—परिगणित बंधुओं के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश कराने में सहायता की जाय। छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिल पातीं इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से मिलकर सुविधा दिलाई जाय। जहां कहीं बच्चों को पुस्तकों का कष्ट हो वहां पुस्तकों का प्रबंध किया जाय। छात्रालयों में अन्य छात्रों के साथ-साथ रहने की व्यवस्था कराई जाय।

(2) **सामाजिक समानता**—विवाह आदि सब प्रकार के सामाजिक संस्कारों और उत्सवों में उन्हें बुलाया जाय व स्वयं सम्मिलित हुआ जाय। राष्ट्रीय त्यौहार इस प्रकार मनाये जायें कि उनमें परिगणित जातीय बंधु अच्छी संख्या में आ सकें, सम्मिलित कार्यक्रम हों व सहभोज हों। बाल्मीकि जयन्ती, रविदास जयंती, अंबेडकर जयंती आदि पर्व सामूहिक रूप से मनाये जायें और इनका आयोजन इस प्रकार हो

कि अनुसूचित जातीय लोग अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो सकें। स्थान-स्थान पर पिछड़े वर्गीय सम्मेलन आयोजित किये जायें। ये सम्मेलन विशेष रूप से दलित कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित होने चाहिए।

(3) **अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध अभियान**—जिला स्तर पर अपने वकील कार्यकर्ताओं का एक-एक पैनल बना देना उचित होगा जो जिले के किसी भी गांव या नगर में इन बंधुओं के प्रति हुई ज्यादतियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में मुफ्त सहायता करेगा।

परिगणित जातियों के व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार की घटनाएं जहां भी हों वहां पर तुरंत ही पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को परिस्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

(4) **आर्थिक सुविधाएं**

(*i*) स्थान-स्थान पर परिगणित जातियों के लोगों की सहकारी समितियों के निर्माण में सहायता की जाय।

(*ii*) ऋण सहकारी समिति बनाकर उनको ऋण की सुविधाएं दिलाई जायें जिससे वे सूदखोरों के दुष्चक्र से निकल सकें।

(*iii*) आवास के लिए भूमि की व्यवस्था की सुविधाएं प्रदान कराने के प्रयास किये जायें।

(*iv*) खेतिहर मजदूरों की समस्याओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाय।

(5) **रोजगार के अवसर**—पढ़े-लिखे नवयुवकों को रोजगार दिलाने में सहायता की जाय। प्रायः किसी विभाग में उनके आरक्षण का प्रतिशत पूरा नहीं होता। स्थानीय सभी विभागों के अधिकारियों को विवश किया जाय कि वे प्रतिशत पूरा करें। इसके लिए यदि व्यवस्था हो सके तो जनसंघ के रोजगार के कार्यालय स्थापित किये जायें, जिससे नवयुवकों को रोजगार दिलाने का कार्य समुचित रूप से किया जा सके।

(6) **निर्योग्यताओं का निवारण**—समाज में से अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जनसंघ के कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करके यह पता लगायें कि परिगणित बंधु किन निर्योग्यताओं तथा कठिनाइयों से पीड़ित हैं और उनके निवारण के लिए रचनात्मक तथा आंदोलनात्मक दोनों तरह के कार्यक्रम अपनायें। आगामी वर्ष जब हम अपने वार्षिक अधिवेशन के लिए एकत्र हों तब हम यह कह सकें कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए हमने कई ठोस कार्य किये हैं।

[26 अप्रैल 1969; बम्बई, पन्द्रहवां सा०अ०]

72.10. सिंध के विस्थापित

अमानवीय सरकारी व्यवहार—भारतीय जनसंघ सिंध क्षेत्र से आये विस्थापितों के प्रति भारत सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये पर गहरा रोष, दुःख एवं चिंता व्यक्त करता है। चौहटन तहसील में इस समय 79,000 विस्थापित खुले मैदानों में, बिना आश्रय के, भेड़-बकरियों की तरह पड़े हैं। उन्हें आवास, पेयजल, चिकित्सा आदि की सुविधाएं दी जानी तो दूर रहीं, सरकारी अधिकारी उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करके भारत छोड़ जाने के लिए विवश कर रहे हैं। इन विस्थापितों की इस दुर्दशा का कारण केवल यह है कि भारत-पाक युद्ध के समय इन्होंने बंगलादेश में नरसंहार करने वालों का साथ देने से इनकार किया और बंगलादेश आंदोलन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। स्पष्ट है कि यदि भारत सरकार उन्हें बलात पाकिस्तान लौटायेगी तो वहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया जायेगा।

चौबीस वर्षीय दासता से मुक्ति—यह भी उल्लेखनीय है कि विभाजन के समय इन विस्थापितों का क्षेत्र थारपारकर जिला, हिन्दू बहुमत के कारण पाकिस्तान की बजाय भारत का भाग बनना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हुआ। तब से ये लोग अब तक पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही के अधीन अपमान और दासता का जीवन बिताते रहे हैं। आज उन्हें उस गुलामी से मुक्ति का अवसर मिलने के पश्चात फिर मौत के मुँह में धकेलना क्रूरता के कम नहीं है।

थारपारकर की वापसी नहीं—भारतीय जनसंघ सरकार से मांग करता है कि :

(1) थारपारकर जिला की विजित भूमि पाकिस्तान को न लौटाते हुए उसमें इन विस्थापितों को बसाया जाय।

(2) इन सब विस्थापितों को भारत की नागरिकता के अधिकार दिये जायें और पाकिस्तानी मुद्रा के विनिमय में भारतीय मुद्रा देकर और अन्य सुविधाओं के द्वारा उन्हें कुछ कारोबार चलाने के अवसर प्रदान किये जायें।

(3) किसी भी सूरत में इन विस्थापितों को बलपूर्वक पाकिस्तान न भेजा जाय।

भारतीय जनसंघ निम्न सदस्यों की एक समिति नियुक्त करता है जो इन विस्थापितों के प्रश्न पर जनमत को जाग्रत करके सरकार को उनकी जीवनरक्षा

करने के लिए विवश करें :

(1) श्री भैरोंसिंह शेखावत (संयोजक)
(2) श्री लाल आडवाणी (संसद सदस्य)
(3) श्री ओमप्रकाश त्यागी (संसद सदस्य)
(4) श्री भानुकुमार शास्त्री (सदस्य विधानसभा)
(5) श्री लेखराज बचानी (सदस्य विधानसभा)

[7 मई 1972; भागलपुर, भा०प्र०स०]

अध्याय 4

जनसंघ

ऐसी तीन विशेषताएं हैं जिनके आधार पर माना जाता है कि जनसंघ का भविष्य उज्ज्वल है और वह एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा एक अजर-अमर जीवन-दर्शन से युक्त इस प्राचीन देश का भाग्य संवरेगा और उसे सम्मान का स्थान प्राप्त होगा।

प्रथम : जनसंघ भारतीय है। उसकी प्रेरणा और जीवन-शक्ति का स्रोत प्रखर राष्ट्रभक्ति तथा वह प्राचीन भारतीय संस्कृति है "जिसने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष समाज के आदर्श की स्थापना संसार में की और जो प्रगतिशील किन्तु भारतीयतामूलक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की समर्थक है" (53.10)।

द्वितीय : विचार तथा कार्य दोनों ही में जनसंघ वास्तविकतावादी है। जैसा कि दीनदयालजी ने कहा है :

> "हम अतीत के गौरव से अनुप्राणित हैं, परन्तु उसको भारत के राष्ट्र-जीवन का सर्वोच्च बिन्दु नहीं मानते; हम वर्तमान के प्रति यथार्थवादी हैं किन्तु उससे बंधे नहीं हैं; हमारी आंखों में भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं, किन्तु हम निद्रालु नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने वाले जागरूक कर्मयोगी हैं। अनादि अतीत, अस्थिर वर्तमान तथा चिरन्तन भविष्य की कालजयी सनातन संस्कृति के हम पुजारी हैं।"

जनसंघ के कार्यकर्ताओं की इस प्रकार की अन्तर्वृत्ति ही उसकी वास्तविक शक्ति है। जनसंघ की आस्था है कि भारत की वर्तमान समस्याएं किसी इधर-उधर के 'वाद' से बंधी हुई नीतियों से नहीं सुलझेंगी अपितु सीधे 'यथार्थवाद' से ही सफलता मिलेगी। चूंकि जनसंघ किसी विशेष 'वाद' या 'मत' से बंधा हुआ नहीं है इसलिए अन्य दलों की तुलना में निश्चित ही उसकी लाभदायक स्थिति रही है।

तृतीय : जनसंघ ऐसे कार्यकर्ताओं का दल है जो कि निस्स्वार्थी, लगनशील व अनुशासन-बद्ध हैं और अपने लक्ष्य के लिए जिनके जीवन में गहरी निष्ठा है। उसे ऐसे कार्यकर्ताओं का दल अक्सर कहा जाता है जिनकी लगन और अनुशासन दूसरे दलों के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी दल का भविष्य और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन लोगों का चरित्र और व्यवहार कैसा है, जिनसे वह दल बना है।

इन्हीं विशेषताओं ने जनसंघ को वह दृढ़ता और जीवन-शक्ति प्रदान की है जिनके आधार पर वह उन भीषण आघातों को सह सका जो कि उसके इस आरंभिक काल में ही, डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डा० रघुवीर तथा श्री दीनदयाल उपाध्याय के आकस्मिक दिवंगत होने के कारण उसे सहने पड़े हैं।

51.01. चुनाव समझौते

अन्य राजनैतिक दलों, जैसे हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद, इत्यादि से समझौते के विषय में भारतीय जनसंघ के इस आद्य सार्वदेशिक अधिवेशन में विचार हुआ और निम्नलिखित निर्णय हुआ :

यह निश्चय किया गया कि भारतीय जनसंघ केवल प्रांतीय आधार पर अन्य राजनैतिक दलों से चुनाव समझौते (राजनैतिक समझौते नहीं) योग्य उम्मीदवारों के आधार पर प्रथम तो विरोध घटाने के निमित्त दूसरे जहां संभव हो, सहयोग को लक्ष्य करते हुए, करे।

[20 अक्तूबर 1951; दिल्ली, आद्य सा०अ०]

51.02. जनसंघ का ध्वज

भारतीय जनसंघ के इस आद्य सार्वदेशिक अधिवेशन में यह निश्चय हुआ कि संस्था का ध्वज केसरी रंग में 2 : 3 के अनुपात में (ऊंचाई में 2 व चौड़ाई में 3) के आकार का हो और मध्य में दीपक का निशान हो। आगे निश्चित हुआ कि निम्नलिखित वाक्य संस्था का प्रेरक वाक्य स्वीकृत किया जाय :

"तमसो मा ज्योतिर्गमय"

[20 अक्तूबर 1951; दिल्ली, आद्य सा०अ०]

52.03. जनसंघ का संविधान

भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि एक उपसमिति नियुक्त की जाती है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे। उपसमिति भारतीय जनसंघ का ब्यौरेवार संविधान तैयार करेगी। उसे यह निर्देश भी दिया जाता है कि वे उसके प्रारूप को एक मास के भीतर तैयार कर लें। सदस्यों के नाम हैं :

(1) डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी —अध्यक्ष
(2) लाला बलराज भल्ला —(जलंधर)
(3) प्रो० महावीर —महासचिव
(4) पं० मौलिचन्द्र शर्मा —महासचिव
(5) श्री चिरंजीलाल मिश्र —(राजस्थान)
(6) श्री दीनदयाल उपाध्याय —(उत्तर प्रदेश)
(7) श्री जाल गिमी —(नागपुर)

यह भी निर्णय किया गया कि जब तक संविधान तैयार एवं स्वीकार किया जाता है तब तक सदस्य बनाने का अभियान पूरा किया जाय।

[10 फरवरी 1952; दिल्ली, के०का०स०]

52.17. जनसंघ का संविधान

भारतीय जनसंघ का यह सार्वदेशिक अधिवेशन केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा निर्मित जनसंघ के संविधान को निम्नलिखित उपबंधों के साथ स्वीकार करता है :

(1) महामंत्री एक के स्थान पर दो नियुक्त किये जायें।
(2) केन्द्रीय कार्य समिति को अधिकार दिया जाता है कि वह आगामी वर्ष में इस संविधान के अनुसार कार्य के अनुभव के आधार पर जो यथोचित संशोधन उचित समझे, कर ले।
(3) आगामी वर्ष सार्वदेशिक अधिवेशन के समय प्रस्तावित संशोधनों सहित इस संविधान को पुनः उपस्थित किया जाय।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

53.05. डा० मुखर्जी को श्रद्धांजलि

जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा अपने संस्थापक प्रथम अध्यक्ष डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर जेल में दिनांक 23 जून 1953 को आकस्मिक मृत्यु होने पर गहरा शोक व क्षोभ व्यक्त करती है। जनसंघ के निर्माण तथा उसके विकास में डा० मुखर्जी का महान योगदान था। अपनी प्रखर देशभक्ति, अविचल ध्येयनिष्ठा, महान दूरदर्शिता तथा अनुपम संगठन-कुशलता से उन्होंने $1\frac{1}{2}$ वर्ष के अल्पकाल में ही अनुपम सफलता पाई। उनके निधन से देश की और विशेषतः जनसंघ की महान क्षति हुई है।

डा० मुखर्जी भारत के उन सपूतों में से थे जिनके जीवन का कण-कण देश के लिए समर्पित हुआ। राष्ट्र जीवन के प्रत्येक अंग पर उनके प्रभावी व्यक्तित्व की अमिट छाप है। यद्यपि उनमें जनजीवन को आंदोलित करने की अद्भुत शक्ति थी और उन्होंने समय-समय पर अन्याय के विरुद्ध मोर्चे संगठित करने में सफलता भी पाई किंतु उनका दृष्टिकोण सदैव ही रचनात्मक रहा। उनके निधन से देश अपनी अमूल्य निधि खो बैठा है। उनके उठ जाने से अखंड भारत का अनन्य पुजारी, विस्थापितों का एकमेव संबल, नागरिक स्वाधीनता का जाग्रत प्रहरी, लोकतंत्र का अग्रदूत, तथा भारतीयता का महान उपासक चला गया है।

काश्मीर के लोहावरण में अपने प्रियजनों और सहयोगियों से दूर जिन रहस्यमय परिस्थितियों में उनका आकस्मिक निधन हुआ उससे सभी देशवासी क्षुब्ध हैं। नजरबंदी की दशा में उनका निधन स्वतंत्र भारत की वर्तमान सरकार के माथे पर अमिट कलंक है। स्पष्टतः जम्मू क्षेत्र में अब्दुल्ला सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी तथा श्रीनगर में नजरबंदी भारत सरकार के षड्यंत्र से हुई। यदि वास्तव में उनकी गिरफ्तारी परमिट को तोड़ने के कारण की गई थी, तो उन्हें श्रीनगर में नजरबंद न करके भारत की सीमा में वापिस भेजना चाहिए था। भारत सरकार का यह कर्तव्य था कि वह अपने नागरिक को अब्दुल्ला सरकार द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाये जाने पर उनकी मुक्ति के लिए अविलंब प्रयत्न करती। किंतु इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से दुरभिसंधि का संदेह होता है कि वह उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा किन्हीं अज्ञात तथा रहस्यमय कारणों से काश्मीर राज्य में बंदी बनाये रखना चाहती थी।

नजरबन्दी की अवस्था में डा० मुखर्जी को ऊपरी सुविधाएं चाहें जिस प्रकार की दी गई हों किंतु उनके स्वास्थ्य की ओर स्पष्टतः दुर्लक्ष्य किया गया। उनको ऐसे स्थान पर रखा गया जहां चिकित्सा संबंधी व्यवस्था तथा नर्सिंग का समुचित प्रबंध नहीं था। उनके लिए डाक का प्रबंध सर्वथा असंतोषजनक था। मृत्यु के पूर्व कई दिन से उनको अपनी पुत्री तथा माता के पत्र मिलने बंद हो गये थे। उनको प्रातः-सायं भ्रमण करने की स्वीकृति उनके अंतिम बीमार होने से पूर्व नहीं दी गई। उनके साथियों को उनके साथ अस्पताल में जाने नहीं दिया गया। डाक्टर मुखर्जी के स्वयं बताने पर कि उनके पारिवारिक चिकित्सक की सम्मति में स्ट्रैप्टोमाईसीन उनके अनुकूल नहीं, फिर भी वह उनको दी गई, और उनके पारिवारिक चिकित्सक से राय नहीं ली गई। यह भी कहा जाता है कि अस्पताल में भी पूरा चिकित्सा का प्रबंध नहीं था। वह भी जेल से 12 मील के अंतर पर था। वहां से रुग्णावस्था में भी उनको एक गाड़ी में बैठी हुई स्थिति में ले जाया गया। ऐसे समाचार हैं कि डाक्टर व अस्पताल तक उनकी बीमारी का समाचार पहुंचाने के लिए लंजे के भीतर टेलीफोन भी नहीं था। काश्मीर सरकार का पूरा वक्तव्य

गलतियों और मिथ्या बातों से भरा पड़ा है। यहां तक कि मृत्यु के समय पर भी मतभेद है।

उपर्युक्त कारणों से डा० मुखर्जी की मृत्यु के संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग देश के कोने-कोने से होने पर भी भारत तथा काश्मीर सरकारों ने, ऐसी उचित मांग को स्वीकार करने के बजाय इस संबंध में जो असमाधानकारक वक्तव्य दिये हैं उनसे जनमत में व्याप्त संदेहों की पुष्टि ही होती है और यह प्रतीत होता है कि सरकार सत्य का सामना करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह निश्चित मत है कि डाक्टर मुखर्जी की गिरफ्तारी, नजरबंदी और उक्त परिस्थितियों में उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार प्रमुखतः भारत सरकार ही है और इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह जनता के समक्ष सप्रमाण अपनी निर्दोषिता सिद्ध करे।

[15 अगस्त 1953; इलाहाबाद, भा०प्र०स०]

53.10. जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय

देश में लोकतंत्र को सुचारु रूप से चलाने के हित में भारतीय जनसंघ इस सुझाव का स्वागत करता है कि जनसंघ, हिन्दू महासभा, राम राज्य परिषद तथा अन्य राष्ट्रवादी दल मिलकर एक हो जायें। देश को एक ऐसे सुसंगठित और मजबूत राजनीतिक मंच प्रदान करने की दृष्टि से यह आवश्यक है, ताकि युगों प्राचीन उस भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्र के निर्माण में वह सहायक हो सके जिसने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष समाज के आदर्श की स्थापना संसार में की और जो प्रगतिशील किंतु भारतीयतामूलक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की समर्थक है।

[15 अगस्त 1953; इलाहाबाद, भा०प्र०स०]

53.18. जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय

केन्द्रीय कार्य समिति ने उस प्रस्ताव पर सखेद विचार किया जो कि जनसंघ, हिन्दू महासभा और रामराज्य परिषद को मिलकर एक हो जाने संबंधी विषय पर हिन्दू महासभा की कार्य समिति द्वारा पारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह सुझाव हिन्दू महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मलचन्द्र चटर्जी की ओर से आया था और जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा ने इलाहाबाद में

अगस्त मास में हुए अपने अधिवेशन में उसका स्वागत करते हुए अपने अध्यक्ष को अधिकार दिया था कि विलय के उद्देश्य से शेष दोनों दलों से वे बातचीत करें।

इसके तत्काल बाद हिन्दू महासभा की कार्य समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और उसके द्वारा पारित प्रस्ताव से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अध्यक्ष ने तीनों संगठनों के विलयन की जो बात सुझायी थी उसे मान्य नहीं है; बल्कि वह 'घनिष्ठ सहयोग और मिल-जुलकर काम करना' चाहती है जिसका कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है। फिर इस उद्देश्य को भी प्राप्त करने के लिए औपचारिक वार्तालाप आरंभ करने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जनसंघ और हिन्दू महासभा के नेताओं के बीच हुई थोड़ी-बहुत निजी एवं अनौपचारिक बातचीत के समय भी यही पता चला कि महासभा की कार्य समिति में बहुमत उन तत्त्वों का है जो श्री चटर्जी के सुझाव के विरुद्ध हैं।

हिन्दू, सांप्रदायिक नहीं—ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अंतिम फूट को छिपाने का प्रयत्न करते हुए, उन्होंने पंडित मौलिचन्द्र शर्मा के एक बयान के गलत एवं अनधिकारिक प्रारूप को आधार बनाकर अपना प्रस्ताव पारित किया है। श्री शर्मा के भाषण के उस गलत एवं अनधिकृत प्रारूप का खंडन और स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जा चुका है। यह महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट की सचाई का पता लगाने की भी शिष्टता नहीं दिखाई गई, यद्यपि पं० मौलिचन्द्र शर्मा उस समय दिल्ली में ही थे और जिस दिन प्रस्ताव पारित किया गया उससे पूर्व संध्या को हिन्दू महासभा की कार्य समिति के एक सदस्य उनसे मिले भी थे। पं० मौलिचन्द्र जिस बात को कह चुके हैं, यह समिति उसे फिर दोहरा देना चाहती है कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि हिन्दू महासभा एक सांप्रदायिक संस्था है क्योंकि उसके सदस्य केवल हिन्दू ही हो सकते हैं। भारतीय जनसंघ हिन्दुओं को एक संप्रदाय कहने की प्रचलित भाषा को स्वीकार नहीं करता। अतः यह दुःख का विषय है कि हिन्दू महासभा ने उन सब शक्तियों को, जो भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक हैं, मिलाकर एक करने के सराहनीय सुझाव को त्याग देने का निर्णय जल्दबाजी में कर डाला और जनसंघ तथा उसके अध्यक्ष को बदनाम करने का सार्वजनिक आंदोलन छेड़ दिया। जनसंघ उत्तम विचार वाले उन सब व्यक्तियों पर अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करता है जिन्होंने एकता के इस विचार का समर्थन किया और इस बात पर फिर बल देना चाहता है कि उसने इस विचार को छोड़ नहीं दिया है बल्कि इस दिशा में ईमानदारी के साथ होने वाले प्रत्येक प्रयत्न का वह स्वागत करेगा और उसे प्रोत्साहित करेगा।

[20 दिसम्बर 1953; दिल्ली, के०का०स०]

54.01. डा० मुखर्जी को श्रद्धांजलि

भारतीय जनसंघ का यह सार्वदेशिक अधिवेशन शोकाकुल अंतःकरण से अपने संस्थापक अध्यक्ष डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महान तथा प्रेरणदायक स्मृति के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गत वर्ष हम उनके मार्गदर्शन में एकत्रित हुए थे और आज हम जिस अभाव का अनुभव कर रहे हैं उसे शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। डा० मुखर्जी का पवित्र नाम राष्ट्र की भावी सन्ततियों के लिए मातृभूमि की पुण्यवेदी पर जीवन सर्वस्व का बलिदान करने वाले एक महान आदर्श के रूप में सदैव एक अखण्ड-स्फूर्ति-केन्द्र का काम देगा।

जनसंघ का यह विश्वास है कि उस महान आत्मा की पवित्र स्मृति के प्रति जो सर्वोत्तम श्रद्धांजलि देशवासी तथा जनसंघ के कार्यकर्ता एवं सदस्य भेंट कर सकते हैं वह यही है कि वे लोग उन उच्च सिद्धांतों तथा महान आदर्शों के लिए अपने को पुनः समर्पित करने का निश्चय करें जिनकी पूर्ति के लिए डा० मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया।

भारतीय जनसंघ अपने इस निश्चय की पुनः उद्घोषणा करता है कि वह भारतीय संस्कृति तथा जीवन पद्धति के सर्वोत्तम तत्त्वों के आधार पर एक सुदृढ़ व समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा। जिन व्यक्तियों को यह मार्ग स्वीकार है उनसे जनसंघ अपील करता है कि डा० मुखर्जी के ऋण को चुकाने का सर्वोत्तम मार्ग उनके कार्य को अधिक उत्साह से और आगे बढ़ाना है। जनसंघ, देशवासियों को यह आश्वासन देता है कि वह अपने प्रति उनके विश्वास को पूर्ण करने में कभी पीछे नहीं हटेगा।

[25 जनवरी 1954; बंबई, दूसरा सा०अ०]

54.02. जम्मू-काश्मीर के शहीद

भारतवर्ष की एकता और अखण्डता के लिए जम्मू-काश्मीर प्रजापरिषद की ओर से गत वर्ष चलाये गये आंदोलन में जिन हुतात्माओं ने अपने प्राणों की भेंट देकर भारतमाता के अमर सपूतों की मालिका में स्थान पाया, उनके प्रति भारतीय जनसंघ अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता है। एक वर्ष पूर्व अपने प्रथम सार्वदेशिक अधिवेशन में ही जनसंघ ने डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जम्मू-काश्मीर में चल रहे अराष्ट्रीय एवं विच्छेदकारी षड्यंत्र का संकेत अनुभव करके परिषद् के उस धर्मयुद्ध के सक्रिय समर्थन का निश्चय किया। जिनके आत्म-विसर्जन से देश की विपत्ति टली, वे युग-युग तक राष्ट्र की पीढ़ियों के लिए स्फूर्ति-स्रोत बने रहेंगे

M.D.H., M.A., LL.B., ADVOCATE

और उनको देश सेवा के पथ पर बलिदान का पाठ पढ़ाते रहेंगे। जनसंघ नतमस्तक होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि देश के जन-जन को उनके पद-चिह्नों पर चलने की वे प्रेरणा दें।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

54.24. प्रजापरिषद का जनसंघ से संबंधन

भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति की यह बैठक जम्मू-काश्मीर प्रजा-परिषद के महासचिव के संबंधन विषयक निर्णय का स्वागत करती है और परिषद के जनसंघ से संबंधन का अनुमोदन करती हुई अपने महासचिव को अधिकार देती है कि वे आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करें।

[7 नवम्बर 1954; दिल्ली, के०का०स०]

55.13. प्रजापरिषद का जनसंघ से संबंधन

भारतीय जनसंघ का यह सार्वदेशिक अधिवेशन जम्मू-काश्मीर प्रजापरिषद का भारतीय जनसंघ से संबंधन स्वीकार करने के भारतीय कार्य समिति के निर्णय को पुष्टि करता है।

[1 जनवरी 1955; जोधपुर, तीसरा सा०अ०]

55.20. जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय

जनसंघ, हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद तथा अन्य राष्ट्रवादी दलों के विलयन के संबंध में भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1953 को तथा केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 1953 को स्वीकृत प्रस्तावों में स्पष्ट किये गये जनसंघ के मत को कार्य समिति फिर दोहराती है। साथ ही महामंत्री द्वारा अब तक उठाये गये पगों को मान्य करती है तथा इस ओर आगे प्रयास करने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान करती है।

[13 जून 1955; दिल्ली, के०का०स०]

56.03. जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय

केन्द्रीय कार्य समिति ने भारतीय जनसंघ, हिन्दू महासभा तथा रामराज्य परिषद के बीच चल रही विलय वार्ता के संबंध में महामंत्री के प्रतिवेदन पर विचार किया। समिति को यह जानकर संतोष हुआ कि श्री माधवरावजी सदाशिव गोलवलकर की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप हिन्दूसभा तथा जनसंघ प्रतिनिधियों ने एक फार्मूले को स्वीकार किया है जिसके अंतर्गत दोनों दल भविष्य में एक होकर कार्य कर सकेंगे—सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका कार्य हिन्दूसभा के नाम से होगा और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनसंघ के नाम से।

कार्य समिति इस फार्मूले को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है और आशा करती है कि हिन्दूसभा की कार्य समिति भी अपनी आगामी बैठक में इस निर्णय की संपुष्टि करेगी जिससे इस संबंध में अविलंब आगे की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

कार्य समिति इस अवसर पर कुछ क्षेत्रों में फैले हुए भ्रम का निराकरण करने के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जनसंघ के घोषणा-पत्र में एक देश, एक जन तथा एक संस्कृति के जिन सिद्धांतों को आधारभूत मान्यताओं के रूप में स्वीकार किया गया है, उनसे उसी राष्ट्र जीवन की अभिव्यक्ति होती है जिसे भारतीय तथा हिन्दू दोनों शब्दों से, समान रूप से, व्यक्त किया जाता है। वस्तुतः ये दोनों शब्द समानार्थक हैं और दोनों का ही प्रयोग समान गौरव की भावनाओं का जनक तथा प्रेरक है।

[19 फरवरी 1956; दिल्ली, के०का०स०]

56.15. चुनाव समझौते

जहां तक चुनाव समझौतों का संबंध है, केन्द्रीय कार्य समिति अनुभव करती है कि सामान्यतः अखिल भारतीय स्तर पर अन्य अखिल भारतीय दलों के साथ कोई चुनाव समझौता करना व्यावहारिक नहीं है। लेकिन, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जहां तक संभव हो बहुकोणीय चुनाव संघर्ष टालने के उद्देश्य से, आवश्यकता पड़ने पर अन्य दलों के साथ कुछ क्षेत्रों में चुनाव समझौते किये जा सकते हैं। यह लोकतंत्र के हित में होगा।

[21 जुलाई 1956; दिल्ली, के०का०स०]

57.02. राष्ट्रपति का चुनाव

यह खेद की बात है कि राष्ट्रपति जैसे उच्च पद के लिए उम्मीदवार मनोनीत करते समय कांग्रेस पार्टी ने प्रतिपक्ष से सलाह-मशविरा तक भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। किंतु, वर्तमान संदर्भ में जनसंघ निश्चय करता है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद के महान व्यक्तित्व को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया जाना चाहिए।

[20 अप्रैल 1957; जौनपुर, के०का०स०]

57.06. स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दि

आगामी 10 मई को भारतीय जनता के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को एक सौ वर्ष पूरे हो जायेंगे। जनता ने यह संघर्ष इस देश से विदेशी अंग्रेजी राज को हटाने के लिए छेड़ा था। यह स्वाभाविक है कि जनता इस महान दिवस को शानदार ढंग से मनाये और उन वीरों तथा वीरांगनाओं को अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित करे जो उस संघर्ष के अग्रदूत बने और मातृभूमि की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर जिन्होंने आजादी की मशाल को जलाये रखा।

केन्द्रीय कार्य समिति देशभर में जनसंघ की शाखाओं से आग्रह करती है कि वे जहां भी संभव हो अन्य लोगों के सहयोग से इस दिवस को राष्ट्रीय महत्व के पर्व के रूप में मनाने के लिए प्रयत्न करें और विशेष रुचि लें।

[20 अप्रैल 1957; जौनपुर, के०का०स०]

61.18. चुनाव की व्यूह नीति

सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने और विभिन्न प्रश्नों को जनता के समक्ष ले जाने का आगामी आम चुनाव एक महान अवसर प्रस्तुत करता है। राजनीति को भावात्मक स्वरूप देने की दृष्टि से भारतीय जनसंघ ने इन चुनावों को अपने ही कार्यक्रम और नीतियों के आधार पर लड़ने का निश्चय किया है। अतः वह किसी भी संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित नहीं होगा और न किसी अन्य दल से गठबंधन करेगा। किंतु लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को आधार मानकर, आवश्यकता होने पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग आदि दलों को छोड़कर, अन्य प्रजातंत्रीय तथा

राष्ट्रवादी तत्त्वों के साथ समायोजन किया जा सकेगा।

[12 नवम्बर 1961; वाराणसी, भा०प्र०स०]

63.07. कर्मयोगी आचार्य रघुवीर

भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति जनसंघ के अध्यक्ष डा० रघुवीर की आकस्मिक और अकाल मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करती है और उनकी पवित्र स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

डा० रघुवीर देश के उन महान सपूतों में से थे जिन्होंने भारत की आत्मा का साक्षात्कार किया था और उसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने विश्व के कोने-कोने में युग युगों से फैली हुई भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष दर्शन किया और इस विषय में गहरा अध्ययन तथा अनुसंधान कर जो सामग्री संचित और प्रकाशित की है वह भारत-वेत्ताओं के लिए चिरंतन व अमूल्य निधि है। अपने गवेषणा केन्द्र के माध्यम से वे भारत और अन्य देशों के बीच सद्भावना और मित्रता के संबंधों को प्रस्थापित और पुष्ट करते रहे। भारत के गैरसरकारी सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उनकी सेवाएं बहुमूल्य व सराहनीय रही हैं।

डा० रघुवीर एक प्रकांड भाषा-शास्त्री थे जिन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा का रचनात्मक रूप से उपयोग कर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द भंडार को आधुनिक एवं पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की समस्त संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए समर्थ बनाया। इस दृष्टि से उन्होंने समय की चुनौती को स्वीकार कर आंदोलनात्मक और रचनात्मक दोनों ही मार्गों से भारतीय भाषाओं को उनके न्यायोचित पद पर प्रतिष्ठित कराने के लिए तीव्र लगन और दृढ़ता से जो कार्य किया है वह इस दिशा में काम करने वालों के लिए अनंतकालीन अखंड प्रेरणास्रोत सिद्ध होगा।

भारत की सीमाओं की सुरक्षा और तिब्बत की स्वतंत्रता के संबंध में डा० रघुवीर ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उससे उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और कम्युनिस्ट चीन के मन्तव्यों और योजनाओं के सूक्ष्म अध्ययन का पता लगता है। इस संकट का सामना करने के लिए जनता तथा शासन को सचेत करने के, अपने कर्तव्य का पालन करने में उन्होंने व्यक्तिगत सुविधाओं और दलीय निष्ठाओं की कभी चिंता नहीं की। अपनी मान्यताओं के संबंध में वे केवल दृढ़ आस्था ही नहीं रखते थे, अपितु निर्भीकता, त्याग और परिश्रम के साथ उन्हें सिद्ध करने के लिए भी सतत संघर्षशील रहते थे।

भारतीय जनसंघ के साथ उनका संबंध सिद्धांतों और विचारों की इस एकता का ही परिणाम था। जनसंघ को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे। उनके हृदय में देश की वर्तमान दुरावस्था के कारण जो पीड़ा और उसे दूर करने के लिए जो आग धधक रही थी उसकी चिनगारियों ने सभी कार्यकर्ताओं में एक नवचैतन्य पैदा किया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण जनसंघ के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में व्यतीत हो रहा था और अखंड कर्मयोगी की भांति काम करते-करते ही वे वीरगति को प्राप्त हुए।

केन्द्रीय कार्य समिति जनसंघ के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आवाहन करती है कि वे राष्ट्र-साधना के कार्य में और अधिक वेग के साथ जुटकर कर्मयोगी आचार्य रघुवीर के अधूरे कार्य को पूरा करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

[13 जून 1963; इलाहाबाद, के०का०स०]

63.12. कर्मयोगी आचार्य रघुवीर

जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष आचार्य रघुवीर की आकस्मिक और अकाल मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करती है और उनकी पवित्र स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

आचार्य रघुवीर देश के उन महान सपूतों में से थे जिन्होंने मां भारती की आत्मा का साक्षात्कार किया था और उसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने विश्व के कोने-कोने में युग-युग से फैली हुई भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष दर्शन किया और इस विषय में गहरा अध्ययन तथा अनुसंधान कर जो सामग्री संचित व प्रकाशित की वह भारत-वेत्ताओं के लिए चिरंतन व अमूल्य निधि है। अपने गवेषणा केन्द्र के माध्यम से वे भारत और अन्य देशों के बीच सद्भावना और मित्रता के संबंधों को प्रस्थापित और पुष्ट करते रहे। भारत के गैरसरकारी सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उनकी सेवाएं बहुमूल्य व सराहनीय रही हैं।

डा० रघुवीर एक प्रकांड भाषा-शास्त्री थे जिन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा का रचनात्मक रूप से उपयोग कर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द भंडार को आधुनिक एवं पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की समस्त संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए समर्थ बनाया। इस दृष्टि से उन्होंने समय की चुनौती को स्वीकार कर आंदोलनात्मक और रचनात्मक दोनों ही मार्गों से भारतीय भाषाओं को उनके न्याय-युक्त पद पर प्रतिष्ठित कराने के लिए तीव्र लगन और दृढ़ता से जो कार्य किया है वह इस दिशा में काम करने वालों के लिए अनंतकालीन प्रेरणास्रोत सिद्ध होगा।

भारत की सीमाओं की सुरक्षा और तिब्बत की स्वतंत्रता के संबंध में डा० रघुवीर ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उससे उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और कम्युनिस्ट चीन के मन्तव्यों और योजनाओं के सूक्ष्म अध्ययन का पता लगता है। इस संकट का सामना करने के लिए जनता तथा शासन को सचेत करने के अपने कर्तव्य का पालन करने में उन्होंने व्यक्तिगत सुविधाओं और दलीय निष्ठाओं की कभी चिंता नहीं की। अपनी मान्यताओं के संबंध में वे केवल दृढ़ आस्था ही नहीं रखते थे, अपितु निर्भीकता, त्याग और परिश्रम के साथ उन्हें सिद्ध करने के लिए भी सतत संघर्षशील रहते थे।

भारतीय जनसंघ के साथ उनका संबंध सिद्धांतों और विचारों की एकता का ही परिणाम था। जनसंघ को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे। उनके हृदय में देश की वर्तमान दुरावस्था के कारण जो पीड़ा और उसे दूर करने के लिए जो आग धधक रही थी उसकी चिनगारियों ने सभी कार्यकर्ताओं में एक नवचैतन्य पैदा किया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण जनसंघ के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में व्यतीत हो रहा था और अखंड कर्मयोगी की भांति काम करते-करते ही वे वीरगति को प्राप्त हुए।

भारतीय प्रतिनिधि सभा जनसंघ के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आवाहन करती है कि वे राष्ट्र-साधना के कार्य में और अधिक वेग के साथ जुट कर आचार्य रघुवीर के अधूरे कार्य को पूरा करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

[12 अगस्त 1963; दिल्ली, भा०प्र०स०]

63.23. प्रजापरिषद का जनसंघ में विलय

जनसंघ का यह सार्वदेशिक अधिवेशन जम्मू-काश्मीर प्रजा प्ररिषद के भारतीय जनसंघ में पूर्ण विलय के निर्णय का स्वागत करते हुए उसे स्वीकार करता है। प्रजा परिषद द्वारा उठाये गये इस रचनात्मक पग पर हम उसका अभिनन्दन करते हैं।

भारतीय जनसंघ का यह सुनिश्चित मत है कि उन पृथकतावादी शक्तियों द्वारा जो चीन और पाकिस्तान से प्रेरणा पाकर उन देशों की विस्तारवादी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जम्मू-काश्मीर के विघटन में रुचि रखती हैं, देश की एकता और सुरक्षा को जो चुनौती दी गई है उसका सफल सामना, इस राज्य का देश के अन्य राज्यों के समान भारत के साथ विलयन करने से ही हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, जो स्वयं अस्थायी स्वरूप का था, जम्मू-काश्मीर के संबंध में जो विभेदकारी प्रावधान रखे गये हैं उनसे इन पृथकतावादी शक्तियों को

बल मिलता है और वे देश के अन्य भागों के साथ इस राज्य की राजनीतिक एवं यातायात संबंधी अन्य कड़ियों के अभाव में और भी बलवती होती जा रही हैं।

प्रजापरिषद द्वारा जनसंघ में पूर्ण विलय जिसके परिणामस्वरूप राज्य की राजनीति अखिल भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि में चलेगी, अब इस राज्य और शेष भारत के बीच राजनीतिक कड़ियों को स्थापित करने में सहायक होगा। इसके उपरांत आवश्यक है कि अनुच्छेद 370 को विलोपित कर, इस राज्य के अलग संविधान को समाप्त करके उसको भारत के साथ विलय की संवैधानिक पूर्ति की जाय और साथ ही पंजाब और हिमांचल प्रदेश के साथ जोड़ने वाली नई सड़कें भी बनाई जायें।

आज यह आशा नहीं की जा सकती कि काश्मीर का सत्तारूढ़ दल जिसका कि इस राज्य को पृथक बनाये रखने में एक निहित स्वार्थ विकसित हो गया है अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय में पहल करेगा। किंतु भारत की जनता और सरकार इस विषय में अधिक उदासीन नहीं रह सकतीं, क्योंकि पाकिस्तान और कम्युनिस्ट चीन के सम्मिलित प्रयत्नों से इस राज्य का एक बड़ा भू-भाग पहले ही हमारे हाथ से निकल गया है और भविष्य के लिए और अधिक संकट आसन्न हैं। पाकिस्तान द्वारा इस राज्य के भारत के और निकट लाने के प्रश्न पर जो विरोध प्रकट किया गया है, उससे अनुच्छेद 370 को बनाये रखने में विद्यमान संकटों का स्पष्ट संकेत मिलता है।

राज्य की सीमा पर आये दिन होने वाले आक्रमण तथा अन्दर से पंचमांगी राष्ट्रद्रोही तत्त्वों की सक्रियता, बढ़ती हुई गुण्डागर्दी, आर्थिक क्षमता के अभाव, चुनावों में धांधली, प्रशासन की पक्षपातपूर्ण नीति तथा व्यापक भ्रष्टाचार के कारण वहां की स्थिति जर्जर हो गई है। ऐसी अवस्था तथा भारत में आपतकालीन स्थिति की घोषणा एवं जम्मू-काश्मीर राज्य के प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्र होने के कारण भारत के राष्ट्रपति के ऊपर इस बात का विशेष दायित्व आ जाता है कि वे उन कारणों को शीघ्र ही दूर करें जिनसे इस राज्य में पृथकता और अनिश्चितता की भावना को बल मिल सकता है। अतः भारतीय जनसंघ राष्ट्रपति से पुनः आग्रह करता है कि वे इस विषय में व्यक्तिगत रुचि लेकर पहल करें और इस राज्य को अविलम्ब दूसरे राज्यों के समकक्ष स्तर पर ले आयें।

आज के समाचारपत्रों में श्रीनगर के व्यापक दंगों का जो समाचार छपा है वह इस राज्य में राष्ट्र-विरोधी और पृथकतावादी शक्तियों की सक्रियता के संदर्भ में अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। पाकिस्तान अपने आक्रामक मनसूबों को पूरा करने के लिए जिस कार्यपद्धति का उपयोग करता रहा है उसके जानने के बाद इस प्रश्न को केवल शांति और व्यवस्था की बात कहकर न टाला जाय। इसका संबंध

संपूर्ण देश की सुरक्षा के साथ आता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वयं प्रभावी पग उठाकर स्थिति को नियंत्रण में लाये।

[30 दिसम्बर 1963; अहमदाबाद, ग्यारहवां सा०अ०]

64.05. काश्मीर प्रतिज्ञा दिवस

काश्मीर के संबंध में स्वीकृत प्रस्ताव के संदर्भ में केन्द्रीय कार्य समिति जनसंघ की समस्त शाखाओं को निर्देश देती है कि यदि सरकार ने काश्मीर के प्रश्न पर राष्ट्र को दिये गये आश्वासनों से मुकरने का यत्न किया तो एक शांतिपूर्ण जन-आंदोलन के लिए अपने को तैयार करें। इसके लिए सभी शाखायें 7 जून को 'काश्मीर प्रतिरक्षा दिवस' मनायें और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए सत्याग्रहियों की भर्ती आरंभ करें।

[25 मई 1964; दिल्ली, के ०का०स०]

64.18. उपचुनावों में पराजय की जांच

केन्द्रीय कार्य समिति ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में (लोक-सभा और विधानसभा के) हाल के उपचुनावों में भारतीय जनसंघ को जिस अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, उसके कारणों का पता लगाने और इस संबंध में (उम्मीदवारों का चयन, साधन जुटाने, चुनाव प्रचार की व्यवस्था करने आदि संबंधी) निश्चित सुझाव देने एवं सिफारिशें करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति श्री पीतांबर दास (सदस्य विधान परिषद) की अध्यक्षता में नियुक्त की जाती है।

इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 20 जनवरी 1965 तक केन्द्रीय कार्य समिति को देना है।

[4 दिसम्बर 1964; पटना, के०का०स०]

68.01. मंत्रदृष्टा दीनदयालजी

केन्द्रीय कार्य समिति की यह बैठक आज राष्ट्रीय विपत्ति के घने अंधकार में हो रही है। जनसंघ की स्थापना के बाद यह पहला अवसर है जब समिति की बैठक

बिना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हो रही है और वे हमारा मार्गदर्शन करने को हमारे मध्य उपस्थित नहीं हैं। नियति के निर्मम हाथ एक ही झटके में उन्हें हमसे छीनकर ले गये और यहां अब हम सब उनके निधन पर शोक मनाने और उनकी पावन स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने को एकत्रित हुए हैं।

सादा जीवन, उच्च विचार—श्री उपाध्याय महान देशभक्त, कुशल संगठन-कर्ता, मंत्रदृष्टा, दूरदर्शी राजनेता और एक महान लेखक थे। वे 'सादा जीवन, उच्च विचार' के आदर्श की सजीव प्रतिमा थे। श्री उपाध्याय भारतीय संस्कृति के प्रेरणाप्रद स्रोत और शाश्वत मूल्यों के उद्घोषक थे। उन्होंने अपना समूचा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उनके निधन से भारत के सार्वजनिक जीवन की महान क्षति हुई है।

पंडित जी के बिना जनसंघ के बारे में सोचना भी कठिन है। जनसंघ के संस्थापक स्व० डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जिस दिन से उन्हें महासचिव मनो-नीत किया उसी दिन से श्री उपाध्याय पार्टी के प्रेरणा-स्रोत और उसके संगठ-नात्मक ढांचे की नींव के पत्थर रहे। भारत की राजनीति में जनसंघ को जो महत्वपूर्ण एवं प्रमुखता का स्थान प्राप्त हुआ, उसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वे श्री उपाध्याय ही थे। उनकी अकिंचनता, उनका आदर्श, उनकी अनुशासनप्रियता, सबको साथ लेकर चलने की उनकी सामर्थ्य —अपने इन समस्त गुणों के कारण दीनदयाल जी जनसंघ के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए सदैव अनुपम और अनुकरणीय आदर्श रहे।

जिन परिस्थितियों में श्री उपाध्याय की मृत्यु हुई वे अत्यधिक हृदयविदारक एवं चिंताजनक हैं। मुगलसराय रेलवे प्लेटफार्म से कुछ दूर उनका पार्थिव शरीर जिस तरह मिला उससे तो और भी गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं। अब तक उपलब्ध तथ्यों से यही संकेत मिलता है कि पंडित जी का निधन किसी दुर्घटनावश नहीं हुआ बल्कि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। उच्चस्तरीय सूक्ष्म जांच से ही इस कांड के सब तथ्य प्रकाश में आ सकेंगे और तभी इस जघन्य अपराध की प्रेरणा एवं उद्देश्य का पता लगाकर यह कहा जा सकेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच का आदेश दिया है। लेकिन, कार्य समिति महसूस करती है कि चूंकि इस दुःखद कांड से रेलवे विभाग भी संबद्ध है अतः केन्द्र सरकार को भी अपनी ओर से इस कांड की पूरी जांच करानी चाहिए।

केन्द्रीय कार्य समिति अपने दिवंगत नेता के प्रति शोकपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प करती है जिनके लिए पंडित जी जिये, कार्यरत रहे और जिनके लिए उन्होंने अपनी आहुति दी।

[13 फरवरी 1968; दिल्ली, के०का०स०]

68.02. आवाहन

केन्द्रीय कार्य समिति पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आकस्मिक एवं रहस्यपूर्ण मृत्यु से स्तब्ध एवं शोकमग्न जनता को आश्वस्त करती है और अपने इस संकल्प को दोहराती है कि जनसंघ भारत की स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा, लोकतंत्र के संरक्षण एवं संवर्धन, जीवन के भारतीय मूल्यों की स्थापना तथा सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सतत संघर्षरत रहेगा।

जनसंघ के शोकमग्न कार्यकर्ताओं का समिति आवाहन करती है कि वे परीक्षा की इस घड़ी में अत्यधिक साहस, संयम, एकता एवं अनुशासन का परिचय दें।

एक महान, शक्तिशाली और समृद्धिशाली भारत की कल्पना को पंडित जी अपने जीवन में मूर्तिमंत करना चाहते थे। इस कल्पना को साकार करने का सक्रिय माध्यम जनसंघ को बनाकर ही जनसंघ के कार्यकर्ता उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

क्रूर काल ने इससे पूर्व भी डा० मुखर्जी और डा० रघुवीर को छीनकर जनसंघ की प्रगति अवरुद्ध करने की विफल चेष्टा की थी। वह अतीत में विफल हुआ और अब भी विफल रहेगा। जनसंघ के कार्यकर्ता अपने हृदयपटल पर पंडितजी की पावन स्मृति को अंकित करें और एक होकर एवं दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाते हुए जनता की निस्स्वार्थ सेवा के पथ पर अग्रसर हों। ईश्वर की अनुकंपा और पंडित जी के आशीर्वाद से विजय हमारी होगी।

[13 फरवरी 1968; दिल्ली, के०का०स०]

68.12. मन्त्रदृष्टा दीनदयालजी

भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह अधिवेशन शोक की गहरी छाया में हो रहा है। जनसंघ की स्थापना के पश्चात यह प्रथम अवसर है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बिना, उनके सान्निध्य से रहित और उनके मार्गदर्शन से वंचित रहते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। जिस ढंग से पंडितजी की हत्या हुई, उसने प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह तथ्य उपस्थित कर दिया है कि भारत में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के लिए तुले हुए हैं। वे कौन हैं और किस प्रकार के षड्यंत्र से उन्होंने हमारे नेता को हमसे छीना, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है।

पंडित दीनदयाल जी जनसंघ के महामंत्री और अंतिम कुछ मास में केवल अध्यक्ष ही नहीं थे, उन्होंने इसके संगठन का निर्माण किया, इसके चिंतन को

मुखरित किया और अपने कर्मयोगी जीवन से इसके लाखों कार्यकर्ताओं के सामने एक प्रेरक उदाहरण रखा। उनकी असामान्य विनय, असाधारण कर्मठता, अद्वितीय बौद्धिक प्रतिभा, और सबसे बढ़कर उनका पूर्ण समर्पण, जनसंघ के कार्यकर्ताओं के लिए युग-युग तक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। पंडितजी ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो आदर्श उपस्थित किया वह सबके लिए अनुकरणीय है।

जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह विश्वास है कि उपाध्यायजी का पवित्र समर्पित जीवन और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। भगवान ने हमारे संस्थापक प्रधान डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी व आचार्य रघुवीर को हमसे छीनकर जो हमारी परीक्षा ली थी उससे जनसंघ जिस प्रकार अधिक शक्तिशाली होकर निकला वैसे ही यह दीनदयालजी के निधन से भी कहीं अधिक कृतसंकल्प और दृढ़ होकर आगे बढ़ेगा। यही अपने अनन्य नेता के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

[7 सितम्बर 1968; इन्दौर, भा०प्र०स०]

* 72.12. गंभीर आर्थिक स्थिति

बढ़ती गरीबी—सरकार स्वाधीनता की रजत जयन्ती मनाने की तैयारियां कर रही है तथा प्रधानमंत्री ने आर्थिक क्षेत्र में 'चमत्कारपूर्ण' उपलब्धियों का स्वयमेव श्रेय भी ले लिया है किंतु, वास्तविकता यह है कि पिछले 25 वर्षों में भारतीय जनता की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई है। 1948 में बेरोजगार लोगों की संख्या 10 लाख से कम थी, परंतु यह संख्या प्रत्येक दशक में तिगुनी होती गई है। आज देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 4·5 करोड़ तक पहुंच गई है। इनके अलावा 15,000 डाक्टर 1,00,000 इंजीनियर तथा लाखों ही प्रशिक्षित और अर्द्ध-प्रशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार बैठे हैं। दूसरी ओर, उद्योग के क्षेत्र में उसकी 70 प्रतिशत क्षमता का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की ऐसी स्थिति में वास्तव में यह मानवशक्ति, सामग्री और तकनीकी जानकारी के रूप में हमारे राष्ट्रीय संसाधनों का अपराधपूर्ण दुरुपयोग है। 1947 में विदेशी मुद्रा हमारे पास आवश्यकता से अधिक थी। आज देश की आने वाली पीढ़ियों पर 10,000 करोड़ रुपये के विदेशी कर्ज के भुगतान का भार छोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष वृद्धि की दर केवल 3·5 प्रतिशत है। यदि यही गति रही तो देश में गरीबी की वर्तमान स्थिति अगले 150 वर्षों तक बनी रहेगी। आमदनी में संतोषजनक वृद्धि तो हो नहीं रही, किंतु चीजों के मूल्यों में जिस ढंग से वृद्धि हो रही है, उससे रुपये की कीमत तेजी से घटती जा रही है। 1950 का रुपया 1972 में केवल 25 पैसे के बराबर रह गया है। एक रुपये की प्रतिदिन कमाई करने वाले गरीबों की संख्या (जो 1969 में 18 करोड़ थी) 1972 में बढ़कर 22 करोड़ हो गई है। इस प्रकार देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी दरिद्रता के स्तर से भी नीचे दबी है। देश की इस दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए कांग्रेस की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेवार हैं।

घटता उत्पादन—सत्तारूढ़ दल का यह दावा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के सत्तारूढ़ होने के बाद आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, सरासर असत्य है, क्योंकि 1969 से, औद्योगिक विकास की दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटकर गत वर्ष

---

*मुद्रण की चूक के कारण इस प्रस्ताव को अपना उचित स्थान भाग 2 के अध्याय 4 में पृष्ठ 194 पर नहीं मिल सका। अतः इसे यहां जोड़ा जा रहा है।

1·5 प्रतिशत पर आ गई। खाद्यान्न का उत्पादन भी 10·8 करोड़ टन (1969-70) से घटकर 10·6 करोड़ टन (1971-72) रह गया। खुदरा बिक्री की दरों में प्रतिवर्ष औसतन 8 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। 1969 के पूर्व यह वृद्धि 5 प्रतिशत थी। परंतु सबसे दुःख की बात तो यह है कि आर्थिक क्षेत्र की इन घातक प्रवृत्तियों से चेत कर, सरकार ने सार्थक एवं व्यावहारिक आर्थिक नियोजन की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है।

योजना आयोग के तथाकथित 'पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण' का जो प्रकाशन हुआ है, उसमें भी पिछली चार योजनाओं के ही उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का ही उल्लेख है। जहां तक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है, पिछले दिसम्बर के युद्ध के समय दिये गये प्रधानमंत्री (जो योजना आयोग की अध्यक्ष भी हैं) के वायदों के संदर्भ में 'यह दृष्टिकोण-पत्र' एक विश्वासघात ही माना जायेगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 1980-81 के बाद भी 550 करोड़ के वर्तमान स्तर पर विदेशी सहायता की आवश्यकता बनी रहेगी। जनसंघ मांग करता है कि योजना के प्रति दृष्टिकोण बदला जाय और इसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाय।

चढ़ती कीमतें—वर्तमान आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर है। सरकार की आर्थिक नीतियों को पुनः निर्धारित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। बजट के समय सरकार द्वारा किये गये बड़े-बड़े आश्वासनों के बावजूद पिछले एक साल में कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। स्वयं सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही थोक मूल्य सूचकांक में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार की थोक व्यापारियों के साथ सांठगांठ के कारण खुदरा दरों में और भी अधिक वृद्धि हुई है। दिल्ली में खुदरा दरों में जो वृद्धि हुई है, उससे सारे देश की मूल्य स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न किस्मों के गेहूं के मूल्यों में 5 से 13 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है हालांकि इसका लाभ किसानों को न होकर बिचौलियों को ही हुआ। बंगला चना की कीमत भी 94 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 118 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। चीनी की कीमत जो पिछले वर्ष 314 रुपये प्रति क्विंटल थी, 340 रुपये, प्रति क्विंटल हो गई है। कोई भी सब्जी 2 रुपये प्रति किलो से कम पर उपलब्ध नहीं हो रही। वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में सब्जियां इस वर्ष 50 से 60 प्रतिशत महंगी है। ब्लेड, बिस्कुट, साबुन आदि भी अछूते नहीं हैं। सच पूछा जाय तो कीमतों में वृद्धि की यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। यदि सरकार ने कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाये तो जनसंघ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा।

सीमित आय वालों को तत्काल राहत दिलाने के लिए तृतीय वेतन आयोग

की रिपोर्ट के शीघ्र प्रकाशन और केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर, उसकी सिफारिशों को लागू करने की जनसंघ मांग करता है। वह यह भी मांग करता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा जारी रहते हुए भी सरकार अन्तरिम राहत की शीघ्र घोषणा करे।

उलझनपूर्ण वेतनमान—विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन तथा महंगाई भत्ते में विषमताओं पर जनसंघ चिंता प्रकट करता है। वह इस बात को अति आवश्यक मानता है कि सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में एकरूपता लाई जाय और महंगाई तथा अन्य भत्तों में वर्तमान विषमता को शीघ्र समाप्त किया जाय। गैरसरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी वह संशोधन की मांग करता है।

बेरोजगारी का भत्ता—जनसंघ 'काम के अधिकार' को 'मौलिक अधिकार' के रूप में मान्यता प्रदान करने, बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करने, किसान विरोधी और लघु उद्योग विरोधी नीतियां समाप्त करने, ग्रामीण और शहरी सम्पत्ति पर उचित सीमा लागू करने, काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को कठोर वित्तीय और प्रशासनिक कदमों द्वारा समाप्त करने और पूंजी लगाने में लघु सिंचाई, लघु उद्योग एवं संतुलित आणविक प्रौद्योगिकी प्रणाली को प्राथमिकता देने की मांग करता है।

[17 जुलाई 1972; दिल्ली, के०का०स०]

परिशिष्ट

परिशिष्ट क

तिथिक्रमानुसार भाग 5 के प्रस्तावों के दिनांक आदि की सूची

वर्ष	प्रस्ताव	दिनांक	स्थान	प्रसंग	अध्याय	पृष्ठ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1951	51.01	20 अक्तूबर	दिल्ली	आद्य सा०अ०	4	107
	51.02	20 अक्तूबर	दिल्ली	आद्य सा०अ०	4	107
1952	52.01	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	2	53
	52.03	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	107
	52.04	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	3	83
	52.16	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	3	84
	52.17	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	4	108
	52.21	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	53
	52.22	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	3	86
1953	53.05	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	4	108

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1953	53.10	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	4	110
(जारी)	53.14	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	3	87
	53.18	20 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	110
1954	54.01	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	4	112
	54.02	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	4	112
	54.03	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	54
	54.06	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	54
	54.07	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	3	87
	54.11	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	3	88
	54.17	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	55
	54.20	8 मई	दिल्ली	के०का०स०	1	21
	54.24	7 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	113
1955	55.03	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	1	22
	55.04	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	2	55
	55.07	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	3	89
	55.13	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	4	113
	55.17	15 अप्रैल	गोकाक	के०का०स०	2	56
	55.20	13 जून	दिल्ली	के०का०स०	4	113
	55.32	23 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	2	57
1956	56.03	19 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	114
	56.15	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	4	114
	56.19	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	2	58
	56.21	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	1	24
	56.24	30 दिसम्बर	दिल्ली	पांचवा सा०अ०	2	59
1957	57.02	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	4	115
	57.06	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	4	115
	57.08	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	1	25
	57.13	16 अगस्त	बिलासपुर	भा०प्र०स०	1	25
	57.21	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	1	27
	57.22	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	1	28
1958	58.02	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	1	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1958	58.04	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	3	91
(जारी)	58.12	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	1	31
	58.13	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	3	94
	58.29	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	1	31
1959	59.09	8 जुलाई	पूना	भा०प्र०स०	2	60
1960	60.07	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	1	32
	60.19	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	1	34
	60.22	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	2	60
1961	61.18	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	4	115
	61.21	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	2	61
1962	62.06	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	2	61
	62.11	29 सितम्बर	राजमुंदरी	के०का०स०	1	35
	62.15	31 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	1	36

1963	63.06	6 अप्रैल	दिल्ली	के०का०स०	1	37
	63.07	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	4	116
	63.12	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	117
	63.17	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	1	38
	63.23	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	4	118
1964	64.05	25 मई	दिल्ली	के०का०स०	4	120
	64.18	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	4	120
1965	65.04	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	1	39
	65.05	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	3	94
	65.10	3 अप्रैल	जयपुर	के०का०स०	1	41
	65.15	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	1	43
1967	67.02	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	62
	67.03	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	62
	67.18	19 सितम्बर	बड़ौदा	के०का०स०	1	44
	67.23	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	1	44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1968	68.01	13 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	120
	68.02	13 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	122
	68.12	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	4	122
	68.16	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	3	95
	68.20	16 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	1	47
1969	69.11	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	3	97
1970	70.03	7 मार्च	अहमदाबाद	के०का०स०	2	65
1971	71.01	15 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	67
	71.03	2 जुलाई	उदयपुर	सत्रहवां सा०अ०	2	69
1972	72.05	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	71
	72.09	7 मई	भागलपुर	भा०प्र०स०	2	73
	72.10	7 मई	भागलपुर	भा०प्र०स०	3	100
	* 72.12	17 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	4	125

* देखें पाद टिप्पणी, पृष्ठ 125 पर ।

परिशिष्ट ख

तिथिक्रमानुसार सम्पूर्ण प्रस्तावों के दिनांक आदि की सूची

वर्ष	प्रस्ताव	दिनांक	स्थान	प्रसंग	भाग	अध्याय	पृष्ठ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1951	51.01	20 जुलाई	दिल्ली	आद्य सा०अ०	5	4	107
	51.02	20 जुलाई	दिल्ली	आद्य सा०अ०	5	4	107
1952	52.01	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	5	2	53
	52.02	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	2	4	117
	52.03	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	5	4	107
	52.04	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	5	3	83
	52.05	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	1	19
	52.06	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	1	19
	52.07	14 जून	दिल्ली	के०का०स०	4	1	20
	52.08	14 जून	दिल्ली	के०का०स०	2	2	45
	52.09	14 जून	दिल्ली	के०का०स०	3	2	21
	52.10	14 जून	दिल्ली	के०का०स०	2	2	46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1952 (जारी)	52.11	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	4	2	97
	52.12	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	4	2	97
	52.13	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	3	2	22
	52.14	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	3	2	22
	52.15	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	2	47
	52.16	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	5	3	84
	52.17	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	5	4	108
	52.18	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	4	2	98
	52.19	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	1	5
	52.20	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	4	117
	52.21	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	5	2	53
	52.22	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	5	3	86
	52.23	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	1	5
	52.24	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	4	1	22
	52.25	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	4	1	24
	52.26	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	3	2	22

1953	*53.01*	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	1	25
	53.02	4 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	4	1	29
	53.03	4 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	24
	53.04	4 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	25
	53.05	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	5	4	108
	53.06	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	4	1	31
	53.07	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	4	1	31
	53.08	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	2	3	99
	53.09	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	3	2	25
	53.10	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	5	4	110
	53.11	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	4	1	33
	53.12	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	2	3	100
	53.13	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	2	2	48
	53.14	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	5	3	87
	53.15	20 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	26
	53.16	20 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	27
	53.17	20 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	28
	53.18	20 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	5	4	110
	53.19	20 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	2	2	48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1954	54.01	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	5	4	112
	54.02	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	5	4	112
	54.03	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	5	2	54
	54.04	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	1	6
	54.05	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	4	1	33
	54.06	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	5	2	54
	54.07	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	5	3	87
	54.08	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	3	2	29
	54.09	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	4	118
	54.10	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	3	2	31
	54.11	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	5	3	88
	54.12	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	3	101
	54.13	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	4	1	33
	54.14	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	4	1	34
	54.15	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	2	48
	54.16	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	4	2	98
	54.17	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	5	2	55

	54.18	8 मई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	32
	54.19	8 मई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	32
	54.20	8 मई	दिल्ली	के०का०स०	5	1	21
	54.21	19 अगस्त	इन्दौर	भा०प्र०स०	2	2	49
	54.22	19 अगस्त	इन्दौर	भा०प्र०स०	2	2	49
	54.23	19 अगस्त	इन्दौर	भा०प्र०स०	4	1	35
	54.24	7 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	5	4	113
	54.25	7 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	2	2	50
1955	55.01	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	2	3	101
	55.02	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	2	3	103
	55.03	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	5	1	22
	55.04	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	5	2	55
	55.05	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	4	3	139
	55.06	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	4	1	36
	55.07	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	5	3	89
	55.08	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	3	2	33
	55.09	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	3	2	34
	55.10	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	3	2	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1955	55.11	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	2	2	50
(जारी)	55.12	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	2	4	118
	55.13	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	5	4	113
	55.14	15 अप्रैल	गोकाक	के०का०स०	4	1	38
	55.15	15 अप्रैल	गोकाक	के०का०स०	2	4	119
	55.16	15 अप्रैल	गोकाक	के०का०स०	3	2	35
	55.17	15 अप्रैल	गोकाक	के०का०स०	5	2	56
	55.18	15 अप्रैल	गोकाक	के०का०स०	2	2	51
	55.19	13 जून	दिल्ली	के०का०स०	4	1	39
	55.20	13 जून	दिल्ली	के०का०स०	5	4	113
	55.21	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	4	2	98
	55.22	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	4	3	140
	55.23	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	3	2	37
	55.24	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	2	2	52
	55.25	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	3	2	39
	55.26	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	3	2	39
	55.27	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	4	1	39
	55.28	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	2	2	53
	55.29	23 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	4	2	99
	55.30	23 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	2	2	53
	55.31	23 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	39
	55.32	23 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	5	2	57
1956	56.01	19 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	2	101
	56.02	19 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	2	102
	56.03	19 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	5	4	114
	56.04	19 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	3	2	40
	56.05	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	4	1	41
	56.06	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	4	2	103
	56.07	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	3	2	40
	56.08	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	4	1	42
	56.09	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	2	4	119
	56.10	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	3	2	42
	56.11	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	43
	56.12	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	4	3	140
	56.13	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	4	1	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1956	56.14	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	2	1	7
(जारी)	56.15	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	5	4	114
	56.16	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	4	1	43
	56.17	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	4	2	104
	56.18	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	3	2	43
	56.19	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	5	2	58
	56.20	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	4	3	141
	56.21	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	5	1	24
	56.22	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	4	2	104
	56.23	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	4	2	105
	56.24	30 दिसम्बर	दिल्ली	पांचवा सा०अ०	5	2	59
	56.25	30 दिसम्बर	दिल्ली	पांचवा सा०अ०	3	2	44
	56.26	30 दिसम्बर	दिल्ली	पांचवा सा०अ०	2	1	10
	56.27	30 दिसम्बर	दिल्ली	पांचवा सा०अ०	4	1	44
	56.28	30 दिसम्बर	दिल्ली	पांचवा सा०अ०	3	2	45
1957	57.01	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	4	4	155

	57.02	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	5	4	115
	57.03	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	3	2	45
	57.04	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	4	4	155
	57.05	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	2	3	104
	57.06	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	5	4	115
	57.07	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	4	1	45
	57.08	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	5	1	25
	57.09	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	2	4	120
	57.10	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	2	3	106
	57.11	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	2	2	54
	57.12	16 अगस्त	बिलासपुर	भा०प्र०स०	3	2	46
	57.13	16 अगस्त	बिलासपुर	भा०प्र०स०	5	1	25
	57.14	16 अगस्त	बिलासपुर	भा०प्र०स०	2	2	55
	57.15	16 अगस्त	बिलासपुर	भा०प्र०स०	2	1	11
	57.16	16 अगस्त	बिलासपुर	भा०प्र०स०	2	2	55
	57.17	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	2	2	56
	57.18	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	3	2	48
	57.19	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	3	2	49
	57.20	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	3	2	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1957	57.21	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	5	1	27
(जारी)	57.22	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	5	1	28
	57.23	24 नवम्बर	हैदराबाद	के०का०स०	3	2	51
1958	58.01	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	4	1	46
	58.02	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	5	1	29
	58.03	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	2	4	122
	58.04	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	5	3	91
	58.05	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	4	2	106
	58.06	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	4	4	156
	58.07	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	3	2	52
	58.08	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	2	2	58
	58.09	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	3	2	53
	58.10	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	3	2	54
	58.11	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	2	2	59
	58.12	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	5	1	31
	58.13	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	5	3	94

	58.14	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	4	4	157
	58.15	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	4	2	107
	58.16	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	4	4	158
	58.17	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	3	2	56
	58.18	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	56
	58.19	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	57
	58.20	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	2	2	59
	58.21	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	4	1	47
	58.22	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	58
	58.23	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	4	4	160
	58.24	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	2	1	14
	58.25	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	2	2	60
	58.26	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	3	2	59
	58.27	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	3	2	61
	58.28	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	4	4	160
	58.29	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	5	1	31
	58.30	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	4	2	108
	58.31	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	4	4	161
	58.32	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	2	2	62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1958	58.33	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	2	3	106
(जारी)	58.34	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	2	2	63
1959	59.01	15 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	2	64
	59.02	15 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	3	2	62
	59.03	15 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	1	48
	59.04	15 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	4	125
	59.05	8 जुलाई	पूना	भा०प्र०स०	4	4	163
	59.06	8 जुलाई	पूना	भा०प्र०स०	3	2	63
	59.07	8 जुलाई	पूना	भा०प्र०स०	2	2	66
	59.08	8 जुलाई	पूना	भा०प्र०स०	2	2	67
	59.09	8 जुलाई	पूना	भा०प्र०स०	5	2	60
	59.10	20 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	65
	59.11	20 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	4	164
	59.12	20 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	66
	59.13	6 दिसम्बर	सूरत	के०का०स०	3	2	67
	59.14	6 दिसम्बर	सूरत	के०का०स०	4	1	49
	59.15	6 दिसम्बर	सूरत	के०का०स०	3	2	68
	59.16	6 दिसम्बर	सूरत	के०का०स०	4	2	108

1960	60.01	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	4	4	165
	60.02	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	2	4	125
	60.03	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	3	2	70
	60.04	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	3	2	72
	60.05	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	4	1	50
	60.06	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	3	2	75
	60.07	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	5	1	32
	60.08	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	4	2	109
	60.09	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	3	141
	60.10	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	3	2	76
	60.11	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	1	51
	60.12	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	4	2	110
	60.13	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	3	2	77
	60.14	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	3	2	77
	60.15	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	4	1	52
	60.16	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	2	1	16
	60.17	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	4	2	111
	60.18	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	4	3	142
	60.19	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	5	1	34

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1960	60.20	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	3	2	78
(जारी)	60.21	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	4	1	53
	60.22	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	5	2	60
1961	61.01	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	4	1	53
	61.02	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	3	2	80
	61.03	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	3	2	80
	61.04	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	2	4	128
	61.05	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	2	1	19
	61.06	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	4	3	143
	61.07	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	4	1	56
	61.08	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	2	2	68
	61.09	1 जनवरी	लखनऊ	नवां सा०अ०	3	2	82
	61.10	5 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	1	58
	61.11	22 अप्रैल	पटना	के०का०स०	4	2	112
	61.12	22 अप्रैल	पटना	के०का०स०	4	4	168
	61.13	22 अप्रैल	पटना	के०का०स०	2	4	132
	61.14	25 अगस्त	जम्मू	के०का०स०	4	2	115
	61.15	25 अगस्त	जम्मू	के०का०स०	4	3	144
	61.16	25 अगस्त	जम्मू	के०का०स०	4	1	58
	61.17	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	2	1	21
	61.18	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	5	4	115
	61.19	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	4	3	145
	61.20	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	4	2	115
	61.21	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	5	2	61
1962	62.01	3 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	4	169
	62.02	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	2	4	133
	62.03	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	3	2	84
	62.04	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	3	2	84
	62.05	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	3	2	85
	62.06	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	5	2	61
	62.07	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	4	1	59
	62.08	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	4	1	61
	62.09	29 सितम्बर	राजमुंदरी	के०का०स०	2	4	134
	62.10	29 सितम्बर	राजमुंदरी	के०का०स०	3	2	86
	62.11	29 सितम्बर	राजमुंदरी	के०का०स०	5	1	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1962 (जारी)	62.12	29 सितम्बर	राजमुंदरी	के०का०स०	4	1	61
	62.13	29 सितम्बर	राजमुंदरी	के०का०स०	4	1	62
	62.14	31 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	87
	62.15	31 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	5	1	36
	62.16	30 दिसम्बर	भोपाल	दसवां सा०अ०	3	1	5
	62.17	30 दिसम्बर	भोपाल	दसवां सा०अ०	3	1	5
	62.18	30 दिसम्बर	भोपाल	दसवां सा०अ०	3	2	89
	62.19	30 दिसम्बर	भोपाल	दसवां सा०अ०	4	4	170
	62.20	30 दिसम्बर	भोपाल	दसवां सा०अ०	2	1	23
	62.21	30 दिसम्बर	भोपाल	दसवां सा०अ०	3	2	90
1963	63.01	20 जनवरी	दिल्ली	के०का०स०	3	2	91
	63.02	6 अप्रैल	दिल्ली	के०का०स०	3	2	93
	63.03	6 अप्रैल	दिल्ली	के०का०स०	2	4	135
	63.04	6 अप्रैल	दिल्ली	के०का०स०	4	3	145
	63.05	6 अप्रैल	दिल्ली	के०का०स०	3	2	94
	63.06	6 अप्रैल	दिल्ली	के०का०स०	5	1	37

	63.07	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	5	4	116
	63.08	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	4	4	172
	63.09	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	4	4	173
	63.10	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	4	1	63
	63.11	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	3	2	94
	63.12	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	5	4	117
	63.13	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	3	2	95
	63.14	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	1	64
	63.15	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	1	65
	63.16	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	2	4	136
	63.17	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	5	1	38
	63.18	3 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	96
	63.19	3 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	1	66
	63.20	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	2	2	68
	63.21	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	2	4	138
	63.22	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	3	2	96
	63.23	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	5	4	118
	63.24	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	3	2	98
	63.25	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	4	4	173

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1963	63.26	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	3	2	100
(जारी)	63.27	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	3	2	101
	63.28	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	2	4	140
	63.29	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	4	1	67
1964	64.01	1 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	3	2	101
	64.02	1 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	1	67
	64.03	1 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	3	2	104
	64.04	25 मई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	105
	64.05	25 मई	दिल्ली	के०का०स०	5	4	120
	64.06	25 मई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	108
	64.07	10 अगस्त	ग्वालियर	भा०प्र०स०	2	4	141
	64.08	10 अगस्त	ग्वालियर	भा०प्र०स०	3	2	111
	64.09	10 अगस्त	ग्वालियर	भा०प्र०स०	4	1	68
	64.10	10 अगस्त	ग्वालियर	भा०प्र०स०	4	1	69
	64.11	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	3	2	113
	64.12	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	2	4	143

	64.13	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	3	1	7
	64.14	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	3	2	114
	64.15	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	4	3	146
	64.16	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	3	2	115
	64.17	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	4	1	69
	64.18	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	5	4	120
1965	65.01	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	3	2	116
	65.02	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	4	2	174
	65.03	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	2	4	145
	65.04	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	5	1	39
	65.05	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	5	3	94
	65.06	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	2	2	69
	65.07	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	2	2	70
	65.08	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	2	2	70
	65.09	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	4	1	71
	65.10	3 अप्रैल	जयपुर	के०का०स०	5	1	41
	65.11	3 अप्रैल	जयपुर	के०का०स०	4	4	176
	65.12	3 अप्रैल	जयपुर	के०का०स०	4	4	177

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1965	65.13	3 अप्रैल	जयपुर	के०का०स०	3	2	119
(जारी)	65.14	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	3	2	121
	65.15	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	5	1	43
	65.16	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	4	2	116
	65.17	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	4	1	71
	65.18	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	2	2	70
	65.19	17 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	3	2	123
	65.20	17 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	1	73
	65.21	17 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	2	1	25
	65.22	17 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	2	2	72
	65.23	17 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	1	75
	65.24	27 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	1	8
	65.25	27 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	1	8
	65.26	27 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	124
	65.27	27 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	2	2	73
1966	66.01	15 जनवरी	कानपुर	के०का०स०	3	2	126

	66.02	15 जनवरी	कानपुर	के०का०स०	4	2	118
	66.03	15 जनवरी	कानपुर	के०का०स०	4	1	77
	66.04	15 जनवरी	कानपुर	के०का०स०	3	2	128
	66.05	15 जनवरी	कानपुर	के०का०स०	2	2	73
	66.06	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	3	1	9
	66.07	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	4	4	118
	66.08	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	2	4	148
	66.09	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	2	2	75
	66.10	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	4	2	118
	66.11	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	4	4	180
	66.12	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	4	1	77
	66.13	1 मई	जलन्धर	तेरहवां सा०अ०	2	3	108
	66.14	12 जुलाई	लखनऊ	के०का०स०	2	4	151
	66.15	12 जुलाई	लखनऊ	के०का०स०	3	2	129
	66.16	12 जुलाई	लखनऊ	के०का०स०	4	1	78
	66.17	12 जुलाई	लखनऊ	के०का०स०	3	2	131
	66.18	12 जुलाई	लखनऊ	के०का०स०	4	1	79
	66.19	1 अक्तूबर	कलकत्ता	के०का०स०	4	1	80
	66.20	2 नवम्बर	नागपुर	के०का०स०	2	2	76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1966	66.21	2 नवम्बर	नागपुर	के०का०स०	4	4	181
(जारी)	66.22	2 नवम्बर	नागपुर	के०का०स०	2	2	77
1967	67.01	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	4	182
	67.02	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	5	2	62
	67.03	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	5	2	62
	67.04	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	4	183
	67.05	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	2	79
	67.06	21 अप्रैल	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	4	184
	67.07	21 अप्रैल	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	4	185
	67.08	21 अप्रैल	दिल्ली	भा०प्र०स०	2	2	79
	67.09	30 जून	शिमला	के०का०स०	3	2	132
	67.10	30 जून	शिमला	के०का०स०	4	4	186
	67.11	30 जून	शिमला	के०का०स०	4	1	81
	67.12	30 जून	शिमला	के०का०स०	4	4	188
	67.13	30 जून	शिमला	के०का०स०	3	2	133
	67.14	30 जून	शिमला	के०का०स०	2	4	153

	67.15	19 सितम्बर	बड़ौदा	के०का०स०	4	1	81
	67.16	19 सितम्बर	बड़ौदा	के०का०स०	2	4	155
	67.17	19 सितम्बर	बड़ौदा	के०का०स०	4	4	189
	67.18	19 सितम्बर	बड़ौदा	के०का०स०	5	1	44
	67.19	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	2	2	81
	67.20	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	3	2	134
	67.21	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	2	4	157
	67.22	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	4	4	190
	67.23	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	5	1	45
	67.24	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	2	2	81
	67.25	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	4	4	192
	67.26	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	3	2	136
	67.27	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	4	1	82
1968	68.01	13 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	5	4	120
	68.02	13 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	5	4	122
	68.03	22 मार्च	भोपाल	के०का०स०	3	2	136
	68.04	22 मार्च	भोपाल	के०का०स०	3	1	10
	68.05	22 मार्च	भोपाल	के०का०स०	2	4	159

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1968	68.06	22 मार्च	भोपाल	के०का०स०	2	4	162
(जारी)	68.07	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	4	4	194
	68.08	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	4	1	83
	68.09	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	2	1	27
	68.10	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	2	2	82
	68.11	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	4	2	120
	68.12	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	5	4	122
	68.13	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	4	4	196
	68.14	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	3	2	137
	68.15	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	2	2	83
	68.16	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	5	3	95
	68.17	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	4	3	147
	68.18	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	4	4	200
	68.19	16 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	4	201
	68.20	16 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	5	1	47
	68.21	16 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	3	148

1969	69.01	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	2	125
	69.02	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	2	126
	69.03	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	3	149
	69.04	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	4	203
	69.05	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	4	4	204
	69.06	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	2	1	30
	69.07	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	3	2	140
	69.08	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	4	1	87
	69.09	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	2	3	110
	69.10	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	2	2	85
	69.11	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	5	3	97
	69.12	2 जुलाई	रायपुर	के०का०स०	4	4	206
	69.13	2 जुलाई	रायपुर	के०का०स०	4	2	128
	69.14	2 जुलाई	रायपुर	के०का०स०	4	4	207
	69.15	30 अगस्त	दिल्ली	के०का०स०	2	4	164
	69.16	30 अगस्त	दिल्ली	के०का०स०	2	1	34
	69.17	30 अगस्त	दिल्ली	के०का०स०	4	4	208
	69.18	28 दिसम्बर	पटना	सोलहवां सा०अ०	2	4	166
	69.19	28 दिसम्बर	पटना	सोलहवां सा०अ०	4	2	129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1969 (जारी)	69.20	28 दिसम्बर	पटना	सोलहवां सा०अ०	4	4	211
1970	70.01	14 जनवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	2	132
	70.02	7 मार्च	अहमदाबाद	के०का०स०	2	4	170
	70.03	7 मार्च	अहमदाबाद	के०का०स०	5	2	65
	70.04	18 जुलाई	चण्डीगढ़	भा०प्र०स०	3	2	145
	70.05	18 जुलाई	चण्डीगढ़	भा०प्र०स०	4	4	214
	70.06	18 जुलाई	चण्डीगढ़	भा०प्र०स०	2	4	173
	70.07	6 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	4	216
	70.08	6 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	2	4	178
	70.09	6 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	2	147
	70.10	6 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	4	219
1971	71.01	15 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	5	2	67
	71.02	2 जुलाई	उदयपुर	सत्रहवां सा०अ०	3	2	148
	71.03	2 जुलाई	उदयपुर	सत्रहवां सा०अ०	5	1	69
	71.04	2 जुलाई	उदयपुर	सत्रहवां सा०अ०	2	4	180

	71.05	13 अगस्त	दिल्ली	के०का०स०	3	2	152
	71.06	9 अक्तूबर	मद्रास	के०का०स०	3	2	154
	71.07	9 अक्तूबर	मद्रास	के०का०स०	2	4	184
	71.08	27 नवम्बर	गाजियाबाद	भा०प्र०स०	3	1	12
	71.09	27 नवम्बर	गाजियाबाद	भा०प्र०स०	2	4	187
1972	72.01	27 जनवरी	भोपाल	के०का०स०	3	1	15
	72.02	27 जनवरी	भोपाल	के०का०स०	3	2	156
	72.03	27 जनवरी	भोपाल	के०का०स०	3	1	16
	72.04	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	3	2	157
	72.05	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	5	2	71
	72.06	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	2	4	192
	72.07	7 मई	भागलपुर	भा०प्र०स०	3	2	158
	72.08	7 मई	भागलपुर	भा०प्र०स०	2	2	88
	72.09	7 मई	भागलपुर	भा०प्र०स०	5	2	73
	72.10	7 मई	भागलपुर	भा०प्र०स०	5	3	100
	72.11	7 मई	भागलपुर	भा०प्र०स०	3	2	159
	72.12	17 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	5	4	125
	72.13	17 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	3	2	161

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							36
1972	72.14	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	2	1	
(जारी)	72.15	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	2	2	93
	72.16	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	2	3	112
	72.17	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	2	4	194
	72.18	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	4	3	150
	72.19	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	3	2	164
	72.20	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	3	2	166

परिशिष्ट ग

तिथिक्रमानुसार संपूर्ण प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
51.01	चुनाव समझौते	5.107*
51.02	जनसंघ का ध्वज	5.107
52.01	चुनाव आरोपों की निष्पक्ष जांच ...	5.053
52.02	आर्थिक योजना के लिए उपसमिति ...	2.117
52.03	जनसंघ का संविधान	5.107
52.04	पिछड़े वर्गों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम ...	5.083
52.05	संयुक्त राष्ट्रसंघ से काश्मीर के प्रश्न की वापसी	4.019
52.06	जम्मू में नृशंस दमनचक्र	4.019
52.07	जम्मू-काश्मीर संविधान सभा ...	4.020
52.08	अनाज की विषम समस्या : कुछ सुझाव ...	2.045
52.09	विदेश नीति	3.021
52.10	आय अनुपात 1 : 20 व न्यूनतम जोत-सीमा ...	2.046
52.11	उर्दू आन्दोलन	4.097
52.12	हैदराबाद का विलय	4.097
52.13	दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति ...	3.022
52.14	विदेशी बस्तियां	3.022
52.15	गोहत्या निषेध की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मांग का पूर्ण समर्थन	2.047
52.16	व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम	5.084
52.17	जनसंघ का संविधान	5.108
52.18	राज्यों का पुनर्गठन	4.098
52.19	स्वदेशी आन्दोलन	2.005
52.20	बिक्री कर विरोधी आन्दोलन	2.117

*5.107 का अर्थ है 5वें भाग का 107वां पृष्ठ।

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
52.21	चुनाव कानून में संशोधन	5.053
52.22	विस्थापितों का पुनर्वास	5.086
52.23	पहली योजना की कमियां	2.005
52.24	काश्मीर एकीकरण आन्दोलन ...	4.022
52.25	सांस्कृतिक पुनरुत्थान	4.024
52.26	पूर्वी बंगाल से भारी निष्क्रमण ...	3.022
53.01	काश्मीर एकीकरण आन्दोलन	4.025
53.02	मुखर्जी का महान बलिदान	4.029
53.03	विदेशी बस्तियां	3.024
53.04	भारत-पाक वार्ता	3.025
53.05	डा० मुखर्जी को श्रद्धांजलि	5.108
53.06	अखण्ड भारत	4.031
53.07	अब्दुल्ला पर सार्वजनिक अभियोग ...	4.031
53.08	बेरोजगारी : कुछ सुझाव	2.099
53.09	भारत-पाक संबंध	3.025
53.10	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	5.110
53.11	विदेशी मिशनरियों की कार्यवाहियां ...	4.033
53.12	बुनकरों को राहत	2.100
53.13	कोसी बाढ़	2.048
53.14	काश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास ...	5.087
53.15	चीन की आक्रमणकारी नीति के बारे में चेतावनी	3.026
53.16	पाकिस्तान को सैनिक सहायता ...	3.027
53.17	विदेशी बस्तियां	3.028
53.18	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	5.110
53.19	सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया	2.048
54.01	डा० मुखर्जी को श्रद्धांजलि	5.112
54.02	जम्मू-काश्मीर के शहीद	5.112
54.03	कांग्रेस सरकार की तानाशाही	5.054
54.04	स्वदेशी कार्यक्रम	2.006

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
54.05	मुखर्जी की रहस्यमय हत्या	4.033
54.06	नजरबंदी कानून	5.054
54.07	प्रेस की स्वतंत्रता का हनन	5.087
54.08	पाकिस्तान को सैनिक सहायता ...	3.029
54.09	कुम्भ यात्री कर	2.118
54.10	विदेशी बस्तियां	3.031
54.11	विस्थापितों का पुनर्वास	5.088
54.12	हथकरघा उद्योग	2.101
54.13	काश्मीर का एकीकरण	4.033
54.14	विदेशी मिशिनरियों का नियमन ...	4.034
54.15	खेतीहर मजदूर	2.048
54.16	राज्य पुनर्गठन आयोग	4.098
54.17	न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण ...	5.055
54.18	पूर्वी बंगाल द्वारा पाक सांप्रदायिकता का विरोध	3,032
54.19	विदेशी बस्तियां	3.032
54.20	भाषायी नीति	5.021
54.21	उत्तर-पूर्व भारत में बाढ़	2.049
54.22	भारत-पाक नहरी जलवार्ता	2.049
54.23	गोवा की मुक्ति	4.035
54.24	प्रजापरिषद का जनसंघ से संबंधन ...	5.113
54.25	गोहत्या व गोसंवर्धन	2.050
55.01	बेरोजगारी	2.101
55.02	राष्ट्रीय श्रमसंगठन	2.103
55.03	शिक्षा प्रणाली का पुर्नानिर्धारण	5.022
55.04	नजरबंदी कानून	5.055
55.05	अखिल भारतीय पुलिस कमीशन की नियुक्ति	4.139
55.06	काश्मीर का एकीकरण	4.036
55.07	विस्थापितों का पुनर्वास	5.089
55.08	विदेश नीति	3.033
55.09	फ्रांसीसी बस्तियों की मुक्ति	3.034

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
55.10	गोवा मुक्ति आन्दोलन	3.035
55.11	जोत-सीमा : तीस एकड़	2.050
55.12	बिक्री कर	2.118
55.13	प्रजापरिषद का जनसंघ से संबंधन ...	5.113
55.14	गोवा मुक्ति आन्दोलन	4.037
55.15	राजस्थान में बिक्री कर आंदोलन ...	2.119
55.16	पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक	3.035
55.17	हिन्दू कोड बिल	5.056
55.18	पशुधन संरक्षण विधेयक	2.051
55.19	गोवा सत्याग्रहियों की भर्ती	4.039
55.20	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	5.113
55.21	पंजाबी सूबे की मांग	4.098
55.22	अखिल भारतीय पुलिस कमीशन की नियुक्ति ...	4.140
55.23	पूर्वी बंगाल से भारी निष्क्रमण	3.037
55.24	गोसंरक्षण आंदोलन	2.052
55.25	श्रीलंका स्थित भारतवंशी	3.039
55.26	बर्मा सरकार का रवैया	3.039
55.27	गोवा सत्याग्रहियों का महान बलिदान ...	4.039
55.28	बाढ़ पीड़ित	2.053
55.29	पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन	4.099
55.30	पंजाब में बाढ़	2.053
55.31	पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक	3.039
55.32	हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	5.057
56.01	पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर प्रतिक्रियाएं ...	4.101
56.02	अकाली-सरकार वार्ता	4.102
56.03	जनसंघ, महासभा व परिषद का विलय ...	5.114
56.04	पूर्वी बंगाल से भारी निष्क्रमण	3.040
56.05	काश्मीर में अनिश्चितता	4.041
56.06	पुनर्गठन आयोग विधेयक संबंधी कुछ सुझाव ...	4.103
56.07	पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्या ...	3.040

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
56.08	गोवा की मुक्ति	4.042
56.09	बिक्री कर प्रतिगामी है	2.119
56.10	सैनिक सहायता से पाकिस्तानी खतरे में वृद्धि ...	3.042
56.11	श्रीलंका में तमिल भाषा	3.043
56.12	होशियारपुर की घटनाएं	4.140
56.13	नागा समस्या	4.042
56.14	दूसरी योजना : अतिकेन्द्रित व अधिनायकवादी ...	2.007
56.15	चुनाव समझौते	5.114
56.16	संयुक्त स्वतंत्र भारतीय ईसाई चर्च ...	4.043
56.17	पुनर्गठन विधेयक	4.104
56.18	स्वेज संकट	3.043
56.19	नागरिक स्वतंत्रता का हनन	5.058
56.20	जम्मू के साथ भेदभाव	4.141
56.21	आम जनता की शिक्षा	5.024
56.22	शरारतपूर्ण पुस्तक-आंदोलन	4.104
56.23	पंजाब में अकाली-कांग्रेस आतंक	4.105
56.24	स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव	5.059
56.25	स्वेज व हंगरी के संकट	3.044
56.26	दोषपूर्ण दूसरी योजना	2.010
56.27	भारतीयकरण द्वारा सांप्रदायिकता का अंत ...	4.044
56.28	गोवानी स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई ...	3.045
57.01	विधानमंडलों में विरोधी दलों से सहयोग ...	4.155
57.02	राष्ट्रपति का चुनाव	5.115
57.03	काश्मीर का एकीकरण	3.045
57.04	द्वितीय आम चुनाव	4.155
57.05	दाशमिक मुद्रा और मीटरी प्रणाली ...	2.104
57.06	स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी	5.115
57.07	ब्रिटिश स्मारक	4.045
57.08	पंजाब की भाषा समस्या	5.025
57.09	योजना के लिए भारी कर अपघात है ...	2·120

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
57.10	द्वितीय वेतन आयोग	2.106
57.11	सूखा पीड़ित	2.054
57.12	पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्या	3.046
57.13	हिन्दी आन्दोलन	5.025
57.14	लगान में कमी	2.055
57.15	दूसरी योजना को बदलो	2.011
57.16	सहकारी खेती आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधक	2.055
57.17	खाद्यान्न जांच समिति	2.056
57.18	संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर	3.048
57.19	श्रीलंका व बर्मा में भारतवंशी	3.049
57.20	विस्थापित व पुनर्वास कार्य	3.050
57.21	राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन	5.027
57.22	पंजाब की भाषा समस्या	5.028
57.23	अयथार्थवादी विदेश नीति	3.051
58.01	जम्मू-काश्मीर की स्थिति	4.046
58.02	भाषायी नीति	5.029
58.03	आर्थिक स्थिति : कुछ सुझाव	2.122
58.04	विस्थापितों का पुनर्वास	5.091
58.05	पंजाब की स्थिति	4.106
58.06	स्थानीय निकायों के लिए संवैधानिक प्रावधान	4.156
58.07	विदेश नीति	3.052
58.08	गोहत्या-निषेध	2.058
58.09	शक्ति गुटों के कूटचक्र	3.053
58.10	भारत-पाक संबंध	3.054
58.11	गोहत्या-निषेध पर सर्वोच्च न्यायालय	2.059
58.12	हिन्दी आंदोलन	5.031
58.13	पूर्वी बंगाल के विस्थापित	5.094
58.14	राजनैतिक हत्याएं	4.157
58.15	बम्बई राज्य का पुनर्गठन	4.107
58.16	कम्युनिस्ट चुनौती	4.158

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
58.17	श्रीलंका स्थित भारतवंशी	3.056
58.18	नेहरू-नून समझौता	3.056
58.19	पाकिस्तान में सैनिक अधिनायकवाद	3.057
58.20	खाद्य आन्दोलन	2.059
58.21	काश्मीर का एकीकरण	4.047
58.22	श्रीलंका में जातिवादी दंगे	3.058
58.23	पंजाब की एकता	4.160
58.24	तीसरी योजना की पुनर्रचना	2.014
58.25	खाद्यान्न व्यापार	2.060
58.26	पाकिस्तान के प्रति दृढ़ व यथार्थवादी नीति	3.059
58.27	'राज्य विहीन' समुद्रपार भारतवंशी	3.061
58.28	काश्मीर में छलपूर्ण चुनाव	4.160
58.29	सिंधी भाषा	5.031
58.30	मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद	4.108
58.31	भारत में लोकतंत्र	4.161
58.32	जोत सीमा	2.062
58.33	औद्योगिक संबंध नीति	2.106
58.34	गोरक्षा के लिए संविधान-संशोधन	2.063
59.01	कृषि गठन	2.064
59.02	पाकिस्तान को सैनिक सहायता	3.062
59.03	बेरूबाड़ी का हस्तांतरण	4.048
59.04	1959-60 के बजट प्रस्ताव	2.125
59.05	केरल में जनता का संघर्ष	4.163
59.06	तिब्बत की स्वतंत्रता	3.063
59.07	भारत-पाकिस्तान नहरी पानी समझौता	2.066
59.08	सहकारी खेती	2.067
59.09	मतदाताओं को चेचक का टीका	5.060
59.10	भारत में चीनी घुसपैठ	3.065
59.11	चीनी आक्रमण और कम्युनिस्ट पार्टी	4.164
59.12	तुष्टीकरण की नीति	3.066

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
59.13	चीनी आक्रमण की समाप्ति	3.067
59.14	भारत में 'राज्यविहीन' भारतीय ...	4.049
59.15	भारत-पाक संबंध	3.068
59.16	बम्बई राज्य का पुनर्गठन	4.108
60.01	राष्ट्र-निर्माण में सहभागी	4.165
60.02	आर्थिक स्थिति : कुछ सुझाव	2.125
60.03	वांछनीय शिखर सम्मेलन	3.070
60.04	चीनी आक्रमण की समाप्ति	3.072
60.05	काश्मीर का एकीकरण	4.050
60.06	पाकिस्तान से समझौता	3.075
60.07	शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्धारण ...	5.032
60.08	पंजाबी सूबे की मांग	4.109
60.09	उच्च पदों पर भ्रष्टाचार	4.141
60.10	नेहरू-चाऊ वार्ता	3.076
60.11	सर्वोच्च न्यायालय में बेरूबाड़ी ...	4.051
60.12	पंजाबी सूबे की मांग	4.110
60.13	शिखर-सम्मेलन की असफलता ...	3.077
60.14	भारत-चीन अधिकारी वार्ता	3.077
60.15	अलग नागालैंड	4.052
60.16	तीसरी योजना का प्रारूप	2.016
60.17	असम में उपद्रव	4.111
60.18	केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल ...	4.142
60.19	पंजाब की भाषा समस्या	5.034
60.20	भावी हमले की चीनी तैयारी	3.078
60.21	बेरूबाड़ी के हस्तांतरण का विधेयक ...	4.053
60.22	चुनाव क्षेत्रों में फेरबदल	5.060
61.01	बेरूबाड़ी का हस्तांतरण	4.053
61.02	भारत-चीन वार्ता की असफलता ...	3.080
61.03	भारत-पाक परस्परावलम्बन की मान्यता ...	3.080

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
61.04	आर्थिक नीति के बारे में वक्तव्य ...	2.128
61.05	तीसरी योजना को वास्तविकता से संबद्ध करो	2.019
61.06	केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल ...	4.143
61.07	बढ़ता विघटन	4.056
61.08	गोरक्षा के लिए संविधान संशोधन ...	2.068
61.09	अधिक प्रभावी संयुक्त राष्ट्रसंघ ...	3.082
61.10	बेरूबाड़ी प्रतिरक्षा समिति	4.058
61.11	सांप्रदायिक खतरा	4.112
61.12	बस्तर गोलीकांड	4.168
61.13	मूल्यचक्र	2.132
61.14	मास्टर तारासिंह का अनशन	4.115
61.15	जम्मू के साथ भेदभाव	4.144
61.16	बेरूबाड़ी का हस्तांतरण	4.058
61.17	तीसरी योजना के लक्ष्य और संरचना ...	2.021
61.18	चुनाव की व्यूह नीति	5.115
61.19	केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल ...	4.145
61.20	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सांप्रदायिक रूप	4.115
61.21	राजनीतिक दलों को मान्यता ...	5.061
62.01	तृतीय आम चुनाव	4.169
62.02	1962-63 के केन्द्रीय और प्रान्तीय बजट प्रस्ताव	2.133
62.03	चीन की बढ़ती शत्रुता	3.084
62.04	पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक	3.084
62.05	भारत-नेपाल संबंध	3.085
62.06	चुनाव के पूर्व मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र ...	5.061
62.07	अनुच्छेद 370 की समाप्ति	4.059
62.08	पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ ...	4.061
62.09	नये करों के विरुद्ध आंदोलन ...	2.134
62.10	चीन का बढ़ता आक्रमण	3.086
62.11	भाषायी नीति	5.035
62.12	काश्मीर का एकीकरण	4.061

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
62.13	पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ ...	4.062
62.14	चीन का भारी आक्रमण	3.087
62.15	विवादास्पद भाषा विधेयक	5.036
62.16	युद्धवीर	3.005
62.17	चीनी आक्रमण	3.005
62.18	भारत-पाक वार्ता	3.089
62.19	चीन युद्ध के बाद	4.170
62.20	तीसरी योजना को प्रतिरक्षापरक बनाओ ...	2.023
62.21	विदेश नीति का पुनरेक्षण व पुनर्निर्धारण ...	3.090
63.01	कोलम्बो प्रस्ताव	3.091
63.02	विशाल व प्रभावशाली प्रतिरोधक ...	3.093
63.03	1963-64 के मुद्रा स्फीतिक बजट प्रस्ताव ...	2.135
63 04	आपत्कालीन अधिकारों का दुरुपयोग ...	4.145
63.05	बाली द्वीप में ज्वालामुखी पीड़ित ...	3.094
63.06	उपनिवेशवादी भाषा विधेयक	5.037
63.07	कर्मयोगी आचार्य रघुवीर	5.116
63.08	विरोधी दलों की एकता	4.172
63.09	कांग्रेसी गुंडागर्दी	4.173
63.10	काश्मीर में अनिश्चितता	4.063
63.11	चीनी आक्रमण की समाप्ति	3.094
63.12	कर्मयोगी आचार्य रघुवीर	5.177
63.13	काश्मीर पर वार्ता नहीं ...	3.095
63.14	पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ ...	4.064
63.15	चीन की क्रिया, भारत की केवल प्रतिक्रिया ...	4.065
63.16	चीनी आक्रमण के बाद आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार	2.136
63.17	प्रांतों की राजभाषाएं	5.038
63.18	पाकिस्तान के प्रति 'जैसे को तैसा' की नीति ...	3.096
63.19	बेरूबाड़ी का हस्तांतरण	4.066
63.20	कृषक के अधिकार और संविधान-संशोधन ...	2.068
63.21	चीनी आक्रमण के बाद आर्थिक स्थिति ...	2.138

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
63.22	पाकिस्तान के प्रति भारतीय नीति का पुनर्मूल्यांकन	3.096
63.23	प्रजापरिषद का जनसंघ में विलय ...	5.118
63.24	विदेश नीति का पुनरेक्षण व पुनर्निर्धारण ...	3.098
63.25	कांग्रेसी गुंडागर्दी	4.173
63.26	बर्मा में भारतवंशियों की दुर्दशा ...	3.100
63.27	समुद्रपार भारतवंशियों की दुर्दशा ...	3.101
63.28	गुजरात में गैस के मूल्य	2.140
63.29	बेरूबाड़ी का हस्तांतरण	4.067
64.01	विभाजन का अंत व पाकिस्तान की मुक्ति ...	3.101
64.02	अनुच्छेद 370 की समाप्ति	4.067
64.03	चीनी फंदे से सावधान	3.104
64.04	काश्मीर समस्या	3.105
64.05	काश्मीर प्रतिज्ञा दिवस	5.120
64.06	पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्या ...	3.108
64.07	भारी मूल्यवृद्धि	2.141
64.08	समुद्रपार भारतवंशियों की दुर्दशा ...	3.111
64.09	नागा समस्या	4.068
64.10	अब्दुल्ला की रिहाई	4.069
64.11	अनुच्छेद 370 की समाप्ति	3.113
64.12	मुद्रा-स्फीति : कारण और उपचार ...	2.143
63.13	परमाणविक प्रतिरोधक आवश्यक ...	3.007
63.14	बर्मा से उजड़े भारतीय	3.114
64.15	उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध जांच ...	4.146
64.16	श्रीलंका स्थित भारतवंशी	3.115
64.17	नागा समस्या	4.069
64.18	उपचुनावों में पराजय की जांच ...	5.120
65.01	विदेश नीति पर वक्तव्य	3.116
65.02	विघटनकारी शक्तियां	4.174
65.03	आर्थिक नीति : कुछ सुझाव	2.145

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
65.04	भाषायी नीति	5.039
65.05	गोदावरी नदी पर पुल	5.094
65.06	धनुषकोटि में समुद्री तूफान	2.069
65.07	खाद्यान्न क्षेत्र	2.070
65.08	पन्नागोली कांड	2.070
65.09	अलग संविधान नहीं	4.071
65.10	अंग्रेजी का विस्थापन	5.041
65.11	केरल में कार्यकर्ता पर पुलिस गोली ...	4.176
65.12	केरल में कम्युनिस्ट चाल	4.177
65.13	विदेशों में अब्दुल्ला की गतिविधियां ...	3.119
65.14	कच्छ समझौता रद्द करो	3.121
65.15	राजभाषा	5.043
65.16	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ...	4.116
65.17	असम को बचाओ	4.071
65.18	खाद्य स्थिति	2.070
65.19	कच्छ समझौता विरोधी विराट प्रदर्शन ...	3.123
65.20	काश्मीर में व्यापक पाकिस्तानी घुसपैठ ...	4.073
65.21	आयोजना संबंधी परिकल्पना बदलो ...	2.025
65.22	खाद्य स्थिति	2.072
65.23	अखंड भारत	4.075
65.24	युद्धवीर	3.008
65.25	पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-आचार संहिता का हनन	3.008
65.26	भारत-पाक युद्ध	3.124
65.27	युद्धोत्तर खाद्य स्थिति	2.073
66.01	ताशकन्द घोषणा	3.126
66.02	पंजाबी सूबे की मांग	4.118
66.03	अनुच्छेद 370 की समाप्ति	4.077
66.04	बर्मा स्थित भारतवंशियों की संपत्ति ...	3.128
66.05	खाद्य स्थिति : कुछ सुझाव	2.073
66.06	पिंडी-पीकिंग गठजोड़	3.009

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
66.07	आंतरिक स्थिति	4.177
66.08	पाकिस्तान से युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति ...	2·148
66.09	खाद्य मंत्रालय का नया कार्यक्रम ...	2.075
66.10	पंजाब का पुनर्गठन	4.118
66.11	बस्तर का कलंक	4.180
66.12	मोहन रानाडे की रिहाई	4.077
66.13	श्रमिक अशांति	2.108
66.14	अवमूल्यन : कुछ सुझाव	2.151
66.15	पाकिस्तान फिर युद्ध की ओर	3.129
66.16	नागा विद्रोहियों से वार्ता नहीं	4.078
66.17	मॉरीशस का स्वतंत्रता संग्राम	3.131
66.18	मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद	4.079
66.19	काश्मीर में पीकिंग, पिंडी व मास्को की हवाएं ...	4.080
66.20	सर्वदलीय गोहत्या निरोध समिति का आंदोलन	2.076
66.21	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विकल्प	4.181
66.22	अकाल की छाया : कुछ कदम	2.077
67.01	चतुर्थ आम चुनाव	4.182
67.02	राज्यपाल का रवैया	5.062
67.03	काश्मीर में चुनाव कलंक	5.062
67.04	राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या	4.183
67.05	बिहार के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अपील ...	2.079
67.06	संविद मंत्रिमण्डल	4.184
67.07	केन्द्र-राज्य संबंध	4.185
67.08	अकाल स्थिति	2.079
67.09	अरब-इसरायल युद्ध	3.132
67.10	नक्सलबाड़ी खतरा	4.186
67.11	जम्मू-काश्मीर का विभाजन	4.081
67.12	पंजाब व हरियाणा की संविद सरकारें ...	4.188
67.13	चीन के साथ दौत्य संबंधों का विच्छेद ...	3.133
67.14	स्थायी वित्त आयोग	2.153

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
67.15	काश्मीर घाटी में आतंक	4.081
67.16	तीन योजनाओं के बाद आर्थिक स्थिति ...	2.155
67.17	संविद मंत्रिमण्डल	4.189
67.18	क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा शिक्षा	5.044
67.19	कोयना भूकम्प	2.081
67.20	प्रतिरक्षा व विदेश नीतियों के लिए संयुक्त समिति	3.134
67.21	अवरुद्ध अर्थव्यवस्था	2.157
67.22	गैरकांग्रेसी सरकारें	4.190
67.23	राजभाषा	5.045
67.24	सरकारी गोरक्षा समिति की मंद गति ...	2.081
67.25	केरल में कम्युनिस्ट व सम्प्रदायवादी ...	4.192
67.26	गोवा स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई ...	3.136
67.27	काश्मीर में अनिश्चितता	4.082
68.01	मंत्रदृष्टा दीनदयाल जी	5.120
68.02	आवाहन	5.122
68.03	ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतवंशी ...	3.136
68.04	अणु अस्त्र प्रसारबंदी संधि से सावधान ...	3.010
68.05	आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार... ...	2.159
68.06	बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक 1968	2.162
68.07	संविद मंत्रिमण्डल	4.194
68.08	असम का पुनर्गठन	4.083
68.09	चौथी योजना के प्रति दृष्टिकोण ...	2.027
68.10	फरक्का बांध	2.082
68.11	सांप्रदायिक खतरा	4.120
68.12	मंत्रदृष्टा दीनदयाल जी	5.122
68.13	सन् 1967 के बाद की स्थिति	4.196
68.14	रूसी रवैया	3.137
68.15	बाढ़ और सूखा	2.083
68.16	अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की स्थिति	5.095
68.17	केन्द्रीय कर्मचारियों में असंतोष ...	4.147

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
68.18	दिल्ली के साथ भेदभाव	4.200
68.19	केन्द्र-राज्य संबंध	4.201
68.20	अध्यापकों की हड़ताल	5.047
68.21	केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल ...	4.148
69.01	तेलंगाना आंदोलन	4.125
69.02	प्रस्तावित मलापुरम जिला	4.126
69.03	जम्मू व लद्दाख के साथ भेदभाव ...	4.149
69.04	बम्बई के उपद्रव	4.203
69.05	सन् 1969 के मध्यावधि चुनाव... ...	4.204
69.06	चौथी योजना—एक मूल्यांकन	2.030
69.07	विदेश नीति का पुनरेक्षण व पुर्नानिर्धारण ...	3.140
69.08	केन्द्र-राज्य संबंध	4.087
69.09	श्रमिक अशांति	2.110
69.10	अकाल स्थिति	2.085
69.11	अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कार्यक्रम	5.097
69.12	उपाध्याय हत्याकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग	4.206
69.13	तेलंगाना में असंतोष	4.128
69.14	विरोधी दलों की एकता	4.207
69.15	बैंक राष्ट्रीयकरण	2.164
69.16	चौथी योजना—लक्ष्य बदलो	2.034
69.17	पांचवा राष्ट्रपति चुनाव	4.208
69.18	आर्थिक स्थिति	2.166
69.19	आंतरिक स्थिति	4.129
69.20	कांग्रेस की फूट	4.211
70.01	चंडीगढ़	4.132
70.02	1970-71 का जनविरोधी तथा विकास विरोधी बजट	2.170
70.03	राज्यपालों का रवैया	5.065
70.04	पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक	3.145
70.05	संयुक्त विरोध	2.214

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
70.06	अविलम्बनीय आर्थिक कार्यक्रम	2.173
70.07	आन्तरिक स्थिति	4.216
70.08	आर्थिक स्थिति	2.178
70.09	विदेश नीति के सार व स्तर में गिरावट	3.147
70.10	प० बंगाल की स्थिति	4.219
71.01	लोकसभा का मध्यावधि चुनाव	5.067
71.02	स्वाधीन बंगलादेश को मान्यता	3.148
71.03	लोकसभा का मध्यावधि चुनाव	5.069
71.04	1971-72 के 'गरीबी बढ़ाओ' बजट प्रस्ताव	2.180
71.05	भारत-रूस संधि	3.152
71.06	पाकिस्तान के अन्तर्गत बंगलादेश नहीं	3.154
71.07	लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के बाद आर्थिक स्थिति	2.184
71.08	राष्ट्रीय सुरक्षा	3.012
71.09	संपत्ति सीमा और आर्थिक नीति संबंधी वक्तव्य	2.187
72.01	बंगलादेश युद्ध	3.015
72.02	सेना की वापसी	3.156
72.03	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतनमान	3.016
72.04	समग्र समझौते का आग्रह	3.157
72.05	सन् 1972 के प्रांतीय चुनाव	5.071
72.06	1972-73 का किसान-विरोधी बजट	2.192
72.07	जय, बंगलादेश !	3.158
72.08	जोतसीमा और समन्वित आर्थिक कार्यक्रम	2.088
72.09	चुनाव पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन	5.073
72.10	सिंध के विस्थापित	5.100
72.11	भारत-पाक शिखर वार्ता	3.159
72.12	गंभीर आर्थिक स्थिति	5.125
72.13	शिमला में शर्मनाक समर्पण	3.161
72.14	पांचवी योजना के प्रति दृष्टकोण	2.036
72.15	अकाल स्थिति	2.093

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	भाग व पृष्ठ
72.16	तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन में विलम्ब	2.112
72.17	मूल्यों में असह्य वृद्धि	2.194
72.18	भ्रष्टाचार के बारे में दोहरे मापदंड	4.150
72.19	शिमला समझौते के बाद	3.164
72.20	विदेशी गुप्तचर	3.166

Smt. Dr. G. V. Saxena "Kiran"
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

परिशिष्ट घ

प्रांतीय स्तर पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की तिथि व स्थान

क्रमांक	प्रदेश	दिनांक	वर्ष	स्थान
1	असम	28 अक्तूबर	1951	गोहाटी
2	आंध्र	8 दिसम्बर	1954	गुंटूर
3	उड़ीसा	19 जून	1963	झारसागुड़ा
4	उत्तर प्रदेश	2 सितम्बर	1951	लखनऊ
5	कर्नाटक	16 सितम्बर	1951	बंगलौर
6	केरल	21 सितम्बर	1958	कालीकट
7	गुजरात	17 सितम्बर	1951	राजकोट
8	जम्मू-काश्मीर	15 दिसम्बर	1963	——[1]
9	तमिलनाडु	3 अक्तूबर	1958	मद्रास
10	दिल्ली	1 जून	1951	दिल्ली
11 (क)	पश्चिमी बंगाल	5 मई	1951	कलकत्ता[2]
(ख)	पश्चिमी बंगाल	21 अक्तूबर	1951	कलकत्ता[3]
12	पंजाब	27 मई	1951	जलन्धर
13	बिहार	14 अक्तूबर	1951	पटना
14(क)	मध्य भारत	2 सितम्बर	1951	इन्दौर
(ख)	विदर्भ	2 अक्तूबर	1951	नागपुर
(ग)	विंध्य प्रदेश	2 अक्तूबर	1951	सतना
(घ)	मध्य प्रदेश	11 नवम्बर	1956	उज्जैन
15	महाराष्ट्र	23 अगस्त	1952	पूना
16	राजस्थान	13 अक्तूबर	1951	जयपुर
17	हरियाणा	6 नवम्बर	1966	रोहतक
18	हिमांचल प्रदेश	25 जून	1965	नाहन
19	अखिल भारतीय	21 अक्तूबर	1951	दिल्ली

1 जम्मू-काश्मीर प्रजा परिषद का अखिल भारतीय जनसंघ में विलय हुआ
2 इस दिन 'पीपिल्स पार्टी' के नाम से स्थापना हुई
3 'भारतीय जनसंघ' नाम रखा गया

परि
लोकसभा के
तुलनात्

क्रमांक	दल का नाम	1952					1957						
		प्रत्याशी			मत		प्रत्याशी			मत		प्रत्याशी	
		मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी
1.	कांग्रेस	479	364	74.44	4,76,65,875	44.99	490	371	75.10	5,75,79,593	47.78	488	361
2.	भारतीय जनसंघ	93	3	0.61	32,46,288	3.06	130	4	0.80	71,49,824	5.93	196	14
3.	स्वतंत्र पार्टी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	18
4.	साम्यवादी (मार्क्सिस्ट)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	साम्यवादी	49	16	3.27	34,84,401	3.29	108	27	5.47	1,07,54,075	8.92	137	29
6.	प्रसोपा	—	—	—	—	—	189	19	3.85	1,25,42,666	10.41	168	12
7.	संसोपा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कांग्रेस (संगठन)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	अन्य	1,253	106	21.68	5,15,47,931	48.66	602	73	14.78	3,24,87,757	26.96	823	60
	योग	1,874	489	100.00	10,59,44,795	100.00	1,519	494	100.00	12,05,13,915	100.00	1,985	494

परिशिष्ट–च

लोकसभा के चुनाव परिणाम
तुलनात्मक स्थिति

1962					1967					1971				
प्रत्याशी			मत		प्रत्याशी			मत		प्रत्याशी			मत	
मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत
488	361	73.08	5,15,09,084	44.73	515	283	54.42	5,94,02,754	40.73	441	352	67.95	6,40,40,246	43.68
196	14	2.83	74,15,170	6.44	251	35	6.73	1,37,15,931	9.41	157	21	4.25	1,07,86,921	7.36
173	18	3.64	90,85,252	7.89	179	44	8.46	1,26,59,540	8.68	59	9	1.54	44,78,188	3.07
—	—	—	—	—	58	19	3.66	61,40,738	4.21	85	25	4.83	75,10,889	5.12
137	29	5.87	1,14,50,037	9.94	110	23	4.42	75,64,180	5.19	87	23	4.42	69,35,627	4.73
168	12	2.43	78,48,345	6.81	109	13	2.50	44,56,487	3.06	63	2	0.39	15,26,076	1.04
—	—	—	—	—	122	23	4.42	71,71,627	4.92	93	3	0.58	35,54,839	2.42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238	16	3.09	1,52,79,051	10.42
823	60	12.15	2,78,61,002	24.19	1,025	80	15.39	3,47,55,253	23.80	1,561	67	12.95	3,24,70,439	22.16
1,985	494	100.00	11,51,68,890	100.00	2,369	520	100.00	14,58,66,510	100.00	2,784	518	100.00	14,66,02,276	100.00

परिशिष्ट छ

विधानसभा के चुनाव प

तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	दल का नाम	1952					1957					1962					
		प्रत्याशी			मत		प्रत्याशी			मत		प्रत्याशी			मत		
		मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैद
1.	कांग्रेस	3,192	2,246	68.48	4,38,02,546	42.20	2,888	1,893	65.14	5,14,00,345	45.49	2,852	1,772	62.07	4,65,75,920	44.38	3,
2.	भारतीय जनसंघ	718	35	1.07	28,66,566	2.76	578	46	1.58	43,72,420	4.03	1,140	116	4.06	63,70,893	6.07	1
3.	स्वतंत्र पार्टी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,038	166	5.81	77,88,335	7.42	
4.	साम्यवादी (मार्क्सिस्ट)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.	साम्यवादी	465	106	3.23	45,52,537	4.38	643	161	5.54	87,21,941	7.70	833	153	5.36	90,12,571	8.59	
6.	प्रसोपा	—	—	—	—	—	1,109	195	6.71	1,13,99,428	10.07	1,064	149	5.22	73,52,361	7.01	
7.	संसोपा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	607	59	2.07	28,48,804	2.71	
8.	कांग्रेस (संगठन)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.	सो० पा० (1971)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.	अन्य	10,986	893	27.22	5,25,79,550	50.66	4,958	611	21.03	3,73,23,177	32.71	5,112	440	15.41	2,49,97,712	23.82	7,
	योग	15,361	3,280	100.00	10,38,01,199	100.00	10,176	2,906	100.00	11,32,17,311	100.00	12,646	2,855	100.00	10,49,46,596	100.00	16,

परिशिष्ट छ

विधानसभा के चुनाव परिणाम
तुलनात्मक स्थिति

1962			1967				1969				1972			
	मत		प्रत्याशी			मत	प्रत्याशी			मत	प्रत्याशी			मत
प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत	मैदान में	विजयी	प्रतिशत	प्राप्त	प्रतिशत
62.07	4,65,75,920	44.38	3,443	1,692	48.50	5,72,52,357	39.96	1,238	480	37.56	2,10,38,775	35.41	2,558	1,936	70.22	5,37,11,611	48.02
4.06	63,70,893	6.07	1,607	268	7.68	1,25,67,918	8.78	824	98	7.67	73,55,009	12.38	1,233	104	3.77	95,75,661	8.56
5.81	77,88,335	7.42	978	257	7.37	95,19,231	6.65	155	11	0.86	6,84,195	1.15	306	15	0.55	16,36,934	1.46
—	—	—	511	128	3.67	65,79,652	4.60	159	86	6.73	31,27,380	5.26	468	34	1.23	51,66,074	4.62
5.36	90,12,571	8.59	625	121	3.47	59,06,109	4.13	345	66	5.17	34,27,594	5.77	329	112	4.06	46,64,460	4.18
5.22	73,52,361	7.01	768	106	3.04	48,68,720	3.40	215	27	2.11	14,49,870	2.44	—	—	—	—	—
2.07	28,48,804	2.71	813	180	5.17	74,24,633	5.19	478	96	7.51	41,96,026	7.06	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	872	88	3.19	75,39,978	6.75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	678	57	2.07	50,04,170	4.47
15.41	2,49,97,712	23.82	7,758	734	21.10	3,91,37,889	27.29	3,721	414	32.39	1,81,30,207	30.53	5,741	411	14.91	2,45,51,297	21.94
100.00	10,49,46,596	100.00	16,503	3,486	100.00	14,32,56,509	100.00	7,135	1,278	100.00	5,94,09,056	100.00	12,185	2,757	100.00	11,18,50,185	100.00

Smt. Dr. G. V. Saxena "Kiran"
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

परिशिष्ट ज

तिथिक्रमानुसार घटनावली

1951	मई 5	'पीपिल्स पार्टी' की डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा कलकत्ते में स्थापना
	27	'भारतीय जनसंघ' की उत्तर-पश्चिमी अंचल के प्रतिनिधियों द्वारा जलन्धर में स्थापना
	सितम्बर 8	पश्चिमी बंगाल, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के जनसंघ प्रतिनिधि दिल्ली में एकत्रित; घोषणा-पत्र का प्रारूप बनाना और 21 अक्तूबर को दिल्ली में भारतीय जनसंघ का 'आद्य सार्वदेशिक अधिवेशन' करने का निश्चय करना
	अक्तूबर 20–22	'अखिल भारतीय जनसंघ' की डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में स्थापना; राघोमल आर्य कन्या हायर सेकण्ड्री स्कूल, नई दिल्ली में हुए इस आद्य अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों से लगभग 500 प्रतिनिधियों का एकत्रीकरण
	—	केन्द्र में दीपक चिह्न से युक्त आयताकार व भगवे रंग के ध्वज को दल का ध्वज अंगीकार करना
	—	दल का प्रथम घोषणा-पत्र अंगीकार करना
1952	फरवरी 10	जनसंघ के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए के० का०स० द्वारा एक 7-सदस्यीय उपसमिति की स्थापना
	मार्च 28	'नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी' की, अध्यक्ष डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा संसद में स्थापना जिसमें लोकसभा के 32 और राज्यसभा के 6, कुल 38 संसद सदस्य निम्नलिखित दलों के थे : भारतीय जनसंघ, गणतंत्र परिषद, हिन्दू महासभा, तमिलनाडु टायलर्स पार्टी, अकाली दल, कामनवील

(*1952*) जून 14 पार्टी, द्रविड़ कजगम, लोकसेवक संघ, और निर्दलीय आय की असमानता कम करने के लिए 1 : 20 का अनुपात निर्धारित करने का भारतीय जनसंघ का आवाहन

29 जम्मू-काश्मीर को भारतीय संघ के अंतर्गत स्वायत्तशासी गणतंत्र बनाने की वहां की संविधान सभा की सिफारिश के विरुद्ध विरोध दिवस

अगस्त 7 जुलाई 24 के नेहरू-अब्दुल्ला समझौते की डा० मुखर्जी द्वारा लोकसभा में कड़ी आलोचना

10 डा० मुखर्जी की शेख अब्दुल्ला से श्रीनगर में भेंट

11 प्रजापरिषद के जम्मू सम्मेलन में डा० मुखर्जी द्वारा परिषद की मांगों का समर्थन

अक्तूबर 26 गोहत्या पर सारे देश में प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए 'गोरक्षा दिवस' का आयोजन

नवम्बर 23 'पूर्वी बंगाल दिवस' का, अल्पसंख्यकों की दुर्दशा प्रकाश में लाने के लिए आयोजन

26 एक देश में दो निशान, दो संविधान और दो प्रधान के विरुद्ध जम्मू में, जम्मू-काश्मीर प्रजापरिषद के सत्याग्रह का श्रीगणेश; भारतीय जनसंघ द्वारा आंदोलन का समर्थन

दिसम्बर 29–31 पहला सार्वदेशिक अधिवेशन, कानपुर; अध्यक्ष—डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी

— दल के संविधान का अंगीकार किया जाना

— राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की मांग

— दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति की भर्त्सना

1953 मार्च 6 काश्मीर के पूर्ण विलयन के लिए दिल्ली में सत्याग्रह का श्रीगणेश

मई 11 डा० मुखर्जी द्वारा बिना परमिट के जम्मू में प्रवेश आरंभ; माधोपुर में उनकी गिरफ्तारी और श्रीनगर जेल ले जाया जाना

— सारे देश से सत्याग्रहियों का जम्मू-काश्मीर में प्रवेश; 10,750 सत्याग्रहियों द्वारा भाग लेना

जून 33 जेल में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान; सत्याग्रह स्थगित

(*1953*) जुलाई 7 पं० मौलीचन्द्र शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित

— संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जम्मू-काश्मीर सत्याग्रह का वापस लिया जाना

अगस्त 9 जम्मू-काश्मीर के प्रधानमंत्री पद से शेख अब्दुल्ला की बरखास्तगी और गिरफ्तारी

15–16 भा०प्र०स०, इलाहाबाद

दिसम्बर 20 केन्द्रीय कार्यसमिति द्वारा चीनी हमले के बारे में चेतावनी

— 'राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम' का आवाहन

27 'राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह' का आरंभ; पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सहायता के विरुद्ध प्रदर्शन

1954 जनवरी 22–25 दूसरा सार्वदेशिक अधिवेशन, बम्बई ; अध्यक्ष—पं० मौलीचन्द्र शर्मा

— स्वदेशी का आवाहन

अप्रैल 13 गोवा में पुलिस कार्यवाही की मांग

जुलाई 22 दादरा मुक्ति संघर्ष का जनसंघ कार्यकर्ता श्री नरवने द्वारा नेतृत्व

29 नरोली मुक्ति संघर्ष का श्री नरवने द्वारा पुनः नेतृत्व

अगस्त 15 पंजिम में पुर्तगाली सरकार के सचिवालय भवन पर जनसंघ कार्यकर्ता श्री हेमन्त सुमन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना

18–19 भा०प्र०स०, इन्दौर

— 1954 का चुनाव घोषणा-पत्र अंगीकृत

नवम्बर 7 जम्मू-काश्मीर प्रजापरिषद का भारतीय जनसंघ के साथ संबंधन

— पं० मौलीचन्द्र शर्मा का निष्कासन ; श्री बापूसाहेब सोहनी अध्यक्ष निर्वाचित

1954-55

दिस. 28–2 जन. तीसरा सार्वदेशिक अधिवेशन, जोधपुर ; अध्यक्ष—पं० प्रेमनाथ डोगरा

— शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की मांग

1955 अप्रल 15 गोवा मुक्ति समिति का गठन
जून 13 गोवा सत्याग्रह के लिए स्वयंसेवकों की भरती आरंभ
23 गोवा में 101 सत्याग्रहियों के जत्थे का अखिल भारतीय मंत्री श्री जगन्नाथराव जोशी के नेतृत्व में प्रवेश; उनकी गिरफ्तारी और पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा जेल में उत्पीड़न
अगस्त 15 गोवा में पुर्तगाली सरकार की गोली से मध्य प्रदेश के जनसंघ नेता राजाभाऊ महाकाल का गोवा में बलिदान
27–29 भा०प्र०स०, कलकत्ता
— पंजाबी सूबे की मांग का विरोध
— श्रीलंका में भारतीय अधिवासियों की स्थिति पर चिन्ता
— व्यापार आदि के राष्ट्रीयकरण से बर्मा में भारतीयों पर आई घनीभूत विपत्ति पर चिन्ता

1956 अप्रैल 19–22 चौथा सार्वदेशिक अधिवेशन, जयपुर; अध्यक्ष—प्रो० देवप्रसाद घोष
जून 28 होशियारपुर (पंजाब) में महिला प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती की न्यायिक जांच के लिए अखिल भारतीय मंत्री वीर यज्ञदत्त शर्मा के अनिश्चितकालीन अनशन का आरंभ
जुलाई 16 वीर यज्ञदत्त शर्मा के अनशन की समाप्ति
21 संयुक्त स्वतंत्र भारतीय क्रिश्चियन चर्च की स्थापना का आवाहन जो विदेशी सहायता आदि से मुक्त हो
दिसम्बर 29–31 पांचवां सार्वदेशिक अधिवेशन, दिल्ली; अध्यक्ष—प्रो० देवप्रसाद घोष
— 1957 के चुनाव घोषणा-पत्र की स्वीकृति
— भारतीयकरण के द्वारा सांप्रदायिकता के उन्मूलन का आवाहन

1957 अप्रैल 20 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम शताब्दी के अवसर पर ब्रिटिश शासकों की मूर्तियों को हटाने की मांग
जून 1 द्वितीय वेतन आयोग की मांग

(*1957*) अगस्त 8 विलासपुर में 11-दिवसीय अखिल भारतीय अध्ययन शिविर का प्रारंभ
16–18 भा०प्र०स०, विलासपुर
— जमींदारी उन्मूलन के बाद भू-राजस्व में कमी करने की मांग
— सहकारी खेती के विरुद्ध चेतावनी

1958 अप्रैल 4–6 छठा सार्वदेशिक अधिवेशन, अम्बाला; अध्यक्ष—प्रो० देवप्रसाद घोष
— स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनावों व वित्तीय साधनों के लिए भारतीय संविधान में सांविधिक प्रावधान करने की मांग
जुलाई 19 बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात, दो राज्यों में पुनर्गठित करने की मांग
अक्तूबर 12 नेहरू-नून समझौते का केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा विरोध
— पाकिस्तान की 7 अक्तूबर की सैनिक क्रांति के संभावित परिणामों पर चिंता
नवम्बर 2 नेहरू-नून समझौते के खिलाफ विरोध दिवस
दिस. 26–28 सातवां सार्वदेशिक अधिवेशन, बंगलौर; अध्यक्ष—प्रो० देवप्रसाद घोष
— 1958 के चुनाव घोषणा-पत्र की स्वीकृति
— नागरिकता विहीन समुद्रपार भारतीयों के संबंध में चिंता
— सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
— मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर एक पंचाट निर्णय की मांग
— कृषि-भूमि की ऐसी हदबंदी के लिए मांग जो कि एक परिवार के लिए छः से दस हजार रुपये तक की औसत वार्षिक आय दे सके

1959 फरवरी 8 — जम्मू-काश्मीर के लिए परमिट प्रणाली के खिलाफ विरोध दिवस

मार्च 15 — बेरूबाड़ी हस्तांतरण विधेयक का विरोध

30 — चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के विरोध में दिल्ली में उसके दूतावास के समक्ष प्रदर्शन

अप्रैल 1 — जम्मू-काश्मीर के लिए परमिट प्रणाली का अंत

जून 27 — पूना में 10-दिवसीय एक अखिल भारतीय अध्ययन शिविर का आरंभ

जुलाई 7–8 — भा०प्र०स०, पूना

— — कम्युनिस्ट कुशासन के विरुद्ध केरल में जन आंदोलन का समर्थन

— — भारत-पाक नहरी पानी समझौते में प्रस्तावित कुछ प्रावधानों का विरोध

— — तिब्बत की स्वतंत्रता और संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसकी सदस्यता की मांग

अगस्त 28 — श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लोकसभा में चीन के साथ सीमा-विवाद तथा अन्य घटनावली पर एक श्वेत-पत्र के प्रकाशन की मांग ताकि दुनिया को सारी बातों की अच्छी व सही जानकारी हो सके

सितम्बर 6 — 'भारतीय सीमा की रक्षा करो' दिवस

7 — भारत-चीन संबंधों (1954-59) पर सदन के पटल पर प्रथम श्वेतपत्र का रखा जाना

20 — सीमा सुरक्षा का दायित्व सेना को सौंपने की मांग

अक्तूबर 1–21 — सहकारी कृषि के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन; लगभग 50,000 गांवों में संपर्क

नवम्बर 15 — 'चीनी अतिक्रमण हटाओ' दिवस

1960 जनवरी 23–25 — आठवां सार्वदेशिक अधिवेशन, नागपुर : अध्यक्ष—श्री पीताम्बरदास

— — शिक्षा में सुधार की मांग

फरवरी 27 — 'चाऊ के साथ कोई बातचीत नहीं' दिवस

अप्रैल 10–17 — चाऊ-एन-लाई के दिल्ली आगमन के पूर्व 'डटे रहो' सप्ताह

(*1960*) अगस्त 27–28 — भा०प्र०स०, हैदराबाद

— — सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध का विरोध

— — चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के लिए जोरदार सैनिक तैयारियों के विरुद्ध चेतावनी

— — असम के सांप्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच की मांग

सितम्बर 19 — नहरी पानी समझौते के अन्तर्गत कुछ प्रावधानों का विरोध

अक्तूबर 23 — काश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ यथास्थिति बनाये रखने की प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति होने के विरोध में 'काश्मीर दिवस'

दिसम्बर 16 — बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के विरोध में संसद के समक्ष प्रदर्शन

1960-61

दिस. 30–जन. 1 — नौवां सार्वदेशिक अधिवेशन, लखनऊ; अध्यक्ष—ए० रामाराव

— — संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से स्वार्थसाधना बंद करने की मांग तथा उसे अधिक अर्थवान बनाने का आग्रह

1961 फरवरी 5 — बेरूबाड़ी के हस्तांतरण का विरोध करने के लिए 'बेरूबाड़ी प्रतिरक्षा समिति' को समर्थन

अप्रैल 22 — बस्तर के वनवासियों में बढ़ रहे असंतोष के संबंध में चेतावनी

अगस्त 25 — जम्मू-काश्मीर सरकार द्वारा जम्मू के प्रति बरते जा रहे घनीभूत भेदभाव से उत्पन्न विस्फोटक स्थिति के संबंध में चेतावनी

नवम्बर 12–15 — भा०प्र०स०, वाराणसी

— — 1962 के चुनाव घोषणा-पत्र की स्वीकृति

1962 फरवरी 10 — कोलम्बो प्रस्तावों की स्वीकृति के विरोध में 'समझौता नहीं' दिवस

मई 24–27 — भा०प्र०स०, कोटा

— — भारत-नेपाल संबंधों में बिगाड़ पर चिंता

(*1962*) जुलाई 1 रेलभाड़े में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन
सितम्बर 29 प्रतिगामी करों के विरोध में आंदोलन को तेज करने का आवाहन
अक्तूबर 31 चीन के विरुद्ध युद्ध प्रयासों में सहयोग देने का संकल्प
— तिब्बत के स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता का आवाहन
दिस. 29–31 दसवां सार्वदेशिक अधिवेशन, भोपाल; अध्यक्ष—आचार्य रघुवीर
— तीसरी योजना को सुरक्षा अभिमुख बनाने की मांग
— अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रकट हो रहे बहुध्रुवीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति के पुनर्निर्धारण की मांग

1963 जनवरी 20 तिब्बत से सेना हटाने की मांग
मई 14 आचार्य रघुवीर का उत्तर प्रदेश में चुनाव दौरे के बीच कार दुर्घटना में स्वर्गवास
जून 13 प्रो० देवप्रसाद घोष अध्यक्ष निर्वाचित
अगस्त 11–12 भा०प्र०स०, दिल्ली
दिसम्बर 15 जम्मू-काश्मीर प्रजापरिषद का भारतीय जनसंघ में विलयन
दिस. 28–30 ग्यारहवां सार्वदेशिक अधिवेशन, अहमदाबाद; अध्यक्ष—प्रो० देवप्रसाद घोष

1964 फरवरी 9 पाकिस्तान में हिन्दुओं के व्यापक जनसंहार के विरोध में 'पूर्वी बंगाल' दिवस
मई 17 'काश्मीर भारत है' दिवस
अगस्त 10–15 भा०प्र०स०, ग्वालियर
— 'एकात्म मानववाद' सहित 'सिद्धांत और नीति' के प्रारूप पर ग्वालियर में भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा विचार
नवम्बर 3–6 'एकात्म मानववाद' सहित 'सिद्धांत और नीति' का प्रारूप केन्द्रीय कार्य समिति की उपसमिति द्वारा स्वीकृत

(*1964*) दिसम्बर 4 उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग
— स्वतंत्र परमाणविक प्रतिरोधक की मांग
— 'सिद्धांत और नीति' का प्रारूप केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा स्वीकृत

1965 जनवरी 23–26 बारहवां सार्वदेशिक अधिवेशन, विजयवाड़ा; अध्यक्ष—पं० बच्छराज व्यास
— 'सिद्धांत और नीति' का प्रारूप अंगीकृत
फरवरी 22 अंग्रेजी को चिरकाल के लिए देश में सह-राजभाषा बनाये रखने के लिए चाहे जिस राज्य को विशेषाधिकार दिये जाने के विरोध में 'राजभाषा' दिवस
मार्च 17 कच्छ में कंजरकोट पर पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा कब्जा
25 पाकिस्तानी अतिक्रमण जारी; डिंग पर कब्जा
अप्रैल 9 सरदार चौकी और विगोकोट पर पाकिस्तान का हमला
24 प्वायंट 84 पर पाकिस्तान का पुनः हमला
— कंजरकोट को वापस लेने की मांग
मई 2–9 'योजना बदलो' अभियान
जून 30 कच्छ समझौते के विरुद्ध प्रदर्शन व गिरफ्तारियां
जुलाई 1 कच्छ समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर
4 'कच्छ युद्धविराम विरोध' दिवस
10 असम की सीमा पर संभावित पाकिस्तानी आक्रमण से बचाव के लिए 10 मील की सुरक्षा पट्टी बनाने की मांग
जुला.23–अग.9 कच्छ समझौते के विरोध में देश भर में लगभग 1,00,000 प्रदर्शन
अगस्त 5 काश्मीर में पाकिस्तानियों की व्यापक घुसपैठ
16 कच्छ समझौते के विरोध में संसद भवन के समक्ष ऐतिहासिक जन-प्रदर्शन (प्रदर्शनकारियों की संख्या का बी०बी०सी० का अनुमान 5 लाख)
17–18 भा०प्र०स०, दिल्ली; पाकिस्तान के विदेशमंत्री के साथ प्रस्तावित दिल्ली वार्ता का विरोध
19 पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ दिल्ली-वार्ता स्थगित

(*1965*) अगस्त 19 भारतीय सेना द्वारा करगिल की चौकियों की मुक्ति

सितम्बर 1 छम्ब पर पाकिस्तान का आक्रमण; भारत-पाकिस्तान युद्ध आरंभ

6–23 युद्ध प्रयासों में जनसंघ द्वारा पूर्ण जनसमर्थन का आवाहन व अभियान : मोर्चे पर सेनाओं को भोजन पहुंचाना, पाकिस्तानी घुसपैठियों और छाताधारियों की धर-पकड़ में सहायता, रक्तदान, महिलाओं द्वारा घायलों की सेवा-सुश्रूषा, अस्पतालों के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह व सप्लाई, दिल्ली में यातायात नियमन का दायित्व संभालना, मोर्चे पर जा रहे जवानों के लिए कैंटीनों का संचालन, जवानों के परिवारों की देखभाल, युद्धवीरों के परिवारों का सार्वजनिक अभिनन्दन, नगरों में विभिन्न वार्डों एवं गांवों आदि में सुरक्षा समितियों का गठन, संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि-गश्त का आयोजन, नागरिक सुरक्षा, अन्न की बचत के लिए 'विजय-व्रत', युद्ध क्षेत्रों के लगभग 2 लाख विस्थापितों के लिए कम्बल, ऊनी वस्त्र, औषधि, दुग्ध-चूर्ण आदि का प्रबन्ध

सितम्बर 17 रूस की युद्ध-विराम के लिए सलाह तथा प्रधानमंत्री श्री शास्त्री और राष्ट्रपति अयूब के बीच सोवियत भूमि पर भेंट का सुझाव; भारतीय जनसंघ का तीसरी शक्ति के बीच में आने का विरोध

23 युद्धविराम

27 युद्धवीरों को श्रद्धांजलि

1966 जनवरी 10 ताशकंद घोषणा

फरवरी 5 'ताशकंद घोषणा विरोध' सप्ताह आरंभ

6 'हाजीपीर हमारा' दिवस

15 ताशकंद समझौते के विरोध में संसद के समक्ष प्रदर्शन

मार्च 9 पंजाब की एकता के लिए अखिल भारतीय मंत्री वीर यज्ञदत्त शर्मा का अनिश्चित कालीन अनशन आरंभ

16 वीर यज्ञदत्त शर्मा का अनशन समाप्त; दोनों नई इकाइयों के बीच एकता की संभव कड़ियों को बनाये

(*1966*) रखकर, बिना किसी धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव के पंजाब का पुनर्गठन करने तथा अल्पसंख्यकों की भाषा एवं उनके अन्य अधिकारों की रक्षा का आश्वासन

— पंजाब पुलिस द्वारा जनता पर ज्यादती करने के आरोपों तथा अन्य घटनाओं की जांच के लिए ऑल इंडिया बार ऐसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त तीन जजों की एक जांच समिति का गठन

अप्रैल 13 वनवासियों के लिए भूमि सुधार की मांगों को लेकर 50,000 हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन मध्य प्रदेश विधान-सभा को समर्पित; भूमि सुधार आदि के लिए किसानों और वनवासियों का भोपाल में सत्याग्रह

अप्रैल 30–मई 2 तेरहवां सार्वदेशिक अधिवेशन, जलंधर; अध्यक्ष—प्रो० बलराज मधोक

— बस्तर में पुलिस की गोली से हुई हत्याओं की जांच के लिए विस्तृत जांच आयोग के गठन की मांग

— गोवा मुक्ति संग्राम के नेता श्री मोहन रानाडे और डा० मस्करैनहंस की रिहाई के लिए पुर्तगाल पर दबाव डालने की मांग

जुलाई 12 रुपये के अवमूल्यन की भर्त्सना

— मॉरिशस की जनता के स्वातंत्र्य संग्राम का समर्थन

नवम्बर 2 गोहत्या पर प्रतिबंध की देशव्यापी मांग के प्रति सरकार की उदासीनता से फैल रहे व्यापक जनक्षोभ के विरुद्ध चेतावनी

— सर्वदलीय गोरक्षा समिति के अभियान का समर्थन

— 1967 के चुनाव घोषणा-पत्र को अंगीकार करना

1967 मार्च 5 संविद सरकार का बिहार में गठन; जनसंघ एक घटक

12 संविद सरकार का पंजाब में गठन; अन्य दलों के साथ जनसंघ भी सम्मिलित

14 संविद सरकारों में शामिल होने के निर्णय का केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा अनुमोदन

(*1967*) मार्च 18 दिल्ली महानगर परिषद में जनसंघ की कार्यकारी परिषद द्वारा सत्ता ग्रहण

24 गैरकांग्रेसी सरकार का हरियाणा में जनसंघ के सहयोग से गठन (जनसंघ का सरकार में शामिल हुए बिना बाहर से समर्थन)

अप्रैल 6 उत्तर प्रदेश में संविद सरकार का गठन; जनसंघ संविद में सम्मिलित

21–23 भा०प्र०स०, दिल्ली

— गैरकांग्रेसी सरकारों में समयबद्ध न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर शामिल होने के निर्णय का अनुमोदन; किंतु इनकी अपनी अंतर्मर्यादाओं के कारण ऐसी सरकारों से कोई चमत्कार की अपेक्षा न करने की जनता को चेतावनी

जून 30 नक्सलबाड़ी उपद्रव को कानून और व्यवस्था की समस्या मानने की मांग

— केन्द्र और राज्यों के बीच, उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप साधन-स्रोतों के बंटवारे के लिए एक स्थायी वित्त आयोग की नियुक्ति की मांग

जुलाई 31 संविद सरकार का मध्य प्रदेश में गठन; जनसंघ एक घटक

दिस. 26–30 चौदहवां सार्वदेशिक अधिवेशन, कालीकट; अध्यक्ष—पं० दीनदयाल उपाध्याय

— कोयना के भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए सहायता की अपील

— किसी भी भाषा को लादने का विरोध; क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतम शिक्षा की और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अनुमति का सुझाव

1968 जनवरी 26 'मतदान आयु 18 वर्ष करो' दिवस

फरवरी 11 पं० दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान; मुगलसराय जंकशन के निकट रेलवे लाइन पर उनका मृत शरीर पाया जाना

(*1968*) फरवरी 13 श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष निर्वाचित

23 'संकल्प दिवस'; सभी इकाइयों द्वारा जनसंघ के आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प

मार्च 22 'अणु अस्त्र प्रसारबंदी संधि' के विरुद्ध चेतावनी

अप्रैल 14 'कच्छ पर पंचाट नियुक्ति का विरोध' दिवस

14–21 कच्छ के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित किये जाने के विरोध में भुज के निकट खावड़ा में सत्याग्रह

जून 17–23 उत्तर प्रदेश के 167 तहसील और जिला केन्द्रों पर किसान प्रदर्शन; लगभग 60 हजार किसानों द्वारा भाग लेना

जुलाई 8–11 महिला प्रशिक्षण का नागपुर में अखिल भारतीय शिविर

14 पूर्वांचल के पुनर्गठन के लिए सुरक्षा अभिमुख उच्चाधिकार संपन्न आयोग की नियुक्ति की मांग के लिए 'असम बचाओ' दिवस

21 रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सहायता के विरोध में दिल्ली स्थित सोवियत सूचना केन्द्र के समक्ष प्रदर्शन; 800 लोगों की गिरफ्तारी

अगस्त 25 'चेकोस्लोवाकिया बचाओ' दिवस

सितम्बर 7 केन्द्रीय कर्मचारियों की मांगों का समर्थन

अक्तूबर 1–20 बिहार में 150 प्रखंड केन्द्रों पर राष्ट्रपति शासन के कुप्रशासन के विरोध में प्रदर्शन; 30 हजार लोगों का भाग लेना

8 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय हत्या के मामले की वाराणसी में विशेष दौरा जज द्वारा सुनवाई आरंभ

दिसम्बर 1–2 'उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन' द्वारा भूमि सुधार एवं अन्य सुविधाओं की मांग

16 सितम्बर 19 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार के प्रतिशोधात्मक रुख की भर्त्सना

1969 मार्च 28 जम्मू में 'गजेन्द्रगड़कर आयोग की रिपोर्ट लागू करो' दिवस; 15,000 लोगों का भाग लेना

अप्रैल 24 अखिल भारतीय अध्ययन गुटों की बम्बई में बैठकें

25–27 पंद्रहवां सार्वदेशिक अधिवेशन, बम्बई; अध्यक्ष—श्री अटल बिहारी वाजपेयी

— मजदूर संघों के उचित अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले काले कानूनों को वापस लेने की मांग

— क्षेत्रवादी सभी समस्याओं पर समन्वित रूप से विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ आयोग की नियुक्ति की मांग

मई 11–18 कलकत्ता के रवीन्द्र सरोवर कांड की निंदा और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए प्रदर्शन

जून 2–जुलाई 16 केरल में सांप्रदायिक आधार पर मलापुरम जिला बनाये जाने से देश की सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के विरोध में पं० बच्छराज व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह

जून 2 पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के रहस्योद्घाटन के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग

9 वाराणसी में विशेष दौरा जज द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय हत्या के अभियुक्त की इस टिप्पणी के साथ रिहाई—"हत्या के रहस्य का प्रकट होना बाकी है"

22 पं० दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारों का पता लगाने के लिए अनेक दलों के 72 संसद सदस्यों द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति की मांग

जुलाई 2–8 अखिल भारतीय अध्ययन शिविर का रायपुर में आयोजन

अगस्त 5 पं० दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय हत्या की जांच के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति के निर्णय की संसद में घोषणा

अक्तूबर 12 केरल राज्य हरिजन सम्मेलन

16 'रबात अपमान विरोध' दिवस

23 पं० दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय हत्या की जांच के लिए चन्द्रचूड़ आयोग की नियुक्ति की घोषणा

(*1969*) अक्तूबर 26 श्री वाजपेयी के नेतृत्व में 50 हजार जनता का लखनऊ में प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 21-सूत्री ज्ञापन समर्पित

दिसम्बर 13 अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की ओर से केरल प्रदेश जनसंघ द्वारा 21-सूत्री मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री को समर्पित

28–30 सोलहवां सार्वजनिक अधिवेशन, पटना; अध्यक्ष—श्री अटल बिहारी वाजपेयी

— कांग्रेस-कम्युनिस्ट-लीगी गठजोड़ से जनतंत्र को खतरे की चेतावनी

— 'स्वदेशी योजना' पटना में अध्ययन गुट द्वारा प्रस्तुत

— भारतीयकरण अभियान के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति निष्ठा को सर्वोच्च स्थान देने के लिए, सभी सीमित निष्ठाओं को गौण करने का आवाहन

— प्रतिस्पर्धा की राजनीति में सहयोग की राजनीति को पूरक बनाने की सभी राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक दलों से अपील

— लोकसभा का चुनाव सद्य परिस्थिति में शीघ्र कराये जाने की संभावना की चेतावनी

1970 जनवरी 28 पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध

फरवरी 8–15 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दूसरी पुण्यतिथि पर 'लोकतंत्र को मजबूत करो' सप्ताह

मार्च 1 रेलभाड़े में प्रस्तावित वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन

— तीसरी श्रेणी के रेलभाड़े में कटौती की घोषणा

अप्रैल 5–20 महंगाई और भारी कराधान के विरोध में आंदोलन

जून 28 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए जनता की सहायता और सहानुभूति अर्जित करने के उद्देश्य से 'पूर्वी बंगाल दिवस' का आयोजन

जुलाई 18–19 भा०प्र०स०, चंडीगढ़

— 'पूर्ण रोजगार के लिए योजना' चंडीगढ़ में अध्ययन गुट द्वारा प्रस्तुत

(*1970*) जुलाई 18–19 (1) मौलिक अधिकारों में 'रोजगार के अधिकार' को शामिल करने (2) परमाणविक आयुधों का निर्माण करने (3) मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष करने (4) भूमिहीन मजदूरों, विशेषत: अनुसूचित जाति व जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मजदूरों के बीच, भूमि वितरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम एवं (5) अलाभकर जोत वाले किसानों को ब्याज-मुक्त एवं आसान किश्तों पर पांच वर्ष का ऋण देने की मांगों से युक्त एक ज्ञापन राष्ट्रपति को देने के लिए देशव्यापी हस्ताक्षर संग्रह करने का निर्णय

सितम्बर 7 राजस्थान में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और गंदी बस्तियों में रहने वालों को केवल 1.00 रु० पर पट्टा जारी करने की मांग

अक्तूबर 20 चन्द्रचूड़ आयोग द्वारा सरकार को रिपोर्ट समर्पित

नवम्बर 6 संविद सरकारों के आपसी संबंधों के बारे में मार्गदर्शन के लिए एक 'संविद आचार संहिता' तैयार करने का सुझाव

— राज्यपालों के स्वविवेक की अधिकार-सीमा स्पष्ट करने एवं उसके प्रयोग के संबंध में सांविधिक निदेशक सिद्धांतों की सिफारिश करने की राज्यपालों के वार्षिक सम्मेलन से अपील

— लोकसभा के चुनाव समय से पूर्व कराये जाने की भविष्यवाणी; दल की इकाइयों को चुनाव के लिए तैयार हो जाने और चुनाव मशीनरी को सक्रिय करने का आदेश

27 पं० दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय हत्या पर चन्द्रचूड़ आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

1971 जनवरी 18 'गरीबी के विरुद्ध लड़ाई' घोषणा-पत्र का लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के लिए प्रकाशन

फरवरी 8–15 कांग्रेस-कम्युनिस्ट-लीगी त्रिगुट के संकट से 'लोकतंत्र को बचाओ' सप्ताह

(*1971*) मार्च 9 महाराष्ट्र की गंदी बस्तियों के निवासियों और पिछड़े वर्गों की जनता के ज्ञापन पर दो लाख हस्ताक्षर; बम्बई में विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन

मार्च 25 वनवासियों के लिए भूमि सुधार के निमित्त बिलासपुर (म०प्र०) जिले में कठघोड़ा में विशाल प्रदर्शन

अप्रैल 14 डा० अम्बेदकर के जन्म-दिवस पर सम्पूर्ण महाराष्ट्र में हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिए 'मांग दिवस'

25 'स्वाधीन बंगलादेश' दिवस

जून 6 'आम जनता पर कोई कर नहीं' दिवस

जुलाई 3–4 सत्रहवां सार्वदेशिक अधिवेशन, उदयपुर; अध्यक्ष—श्री अटल बिहारी वाजपेयी

अगस्त 1–12 'बंगलादेश को मान्यता दो' सत्याग्रह; 28,000 से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी

13 भारत-रूस संधि का सतर्कता के साथ समर्थन; 'संधि का मूल्यांकन उसकी कथनी से नहीं, वरन करनी से'—जनसंघ का मत

सितम्बर 25 बंगलादेश को अविलम्ब मान्यता दिलाने के लिए मांग दिवस

नवम्बर 1–15 महंगाई के विरुद्ध आंदोलन के तीन चरण : (1) वर्तमान मूल्यों के आंकड़ों का स्थानीय संकलन (2) 8 नवम्बर को जिला केन्द्रों पर महिलाओं का प्रदर्शन (3) 14 नवम्बर को बालदिवस के अवसर पर अर्धनग्न और अल्पपोषित बच्चों का प्रदर्शन

27–28 भा०प्र०स०, गाजियाबाद

— शहरी सम्पत्ति की हदबंदी की मांग; एक परिवार के लिए 2 लाख रुपये के निर्माण-मूल्य एवं एक हजार वर्ग गज की भू-सीमा की हदबंदी का सुझाव; आय असमानता को क्रमश: कम करते हुए 1 : 20 के अनुपात की मांग का पुन: आग्रह

— प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतनमान एवं अन्य परिलब्धियों पर विचार करने के लिए एक विशेष वेतन आयोग की नियुक्ति की मांग

— सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी स्थान की मांग;

(*1971*) 'संयुक्त राष्ट्रसंघ का 27 वर्ष पुराना ढांचा अब बीते युग का'—जनसंघ का मत

नवंबर 27–2क्षा भारत की सुरक्षा के निमित्त और दक्षिणी एशिया में शान्ति के लिए, हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना को प्रबल करने तथा उसे प्रमुख बनाने की मांग

— बंगलादेश मुक्ति युद्ध के लिए एक लाख रक्तदाता तैयार करने की अपील

दिसम्बर 3 पाकिस्तान का भारत पर हमला; बंगलादेश का युद्ध आरंभ; जनसंघ द्वारा युद्ध के लिए नागरिक प्रयासों को प्रोत्साहन: घायल जवानों के लिए रक्तदान आयोजन, थारपारकर और छम्ब के विस्थापितों के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह, रेल और सड़क से मोर्चे पर जाने वाले जवानों के लिए कैंटीनों का संचालन, अस्पतालों के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह व सप्लाई

17 जल्दीबाजी में किये गये युद्धविराम के विरुद्ध 'विरोध दिवस'

19 भारत-पाक युद्ध में भारत की जीत तथा स्वाधीन बंगलादेश के अभ्युदय के उपलक्षय में 'विजय पर्व'

22–24 वनवासियों का भोपाल में सत्याग्रह; विधानसभा के समक्ष भूमि सुधार की मांग करते हुए 600 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी

23 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंशीलाल के विरुद्ध निश्चित आरोपों की न्यायिक जांच की मांग करते हुए 105 संसद सदस्यों के हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन, जनसंघ सहित विभिन्न दलों के संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रधानमंत्री को समर्पित

1972 जनवरी 6 बिहार की 'जनता पार्टी' का भारतीय जनसंघ में सम्मिलित होना

27 'दूसरे ताशकंद' की विधानसभाओं के चुनाव के बाद संभावना की चेतावनी

— 1972 का चुनाव घोषणा-पत्र अंगीकृत

(*1972*) मार्च 20 स्थायी शांति के लिए 'समग्र समझौता' करने के लिए आग्रह

अप्रैल 2 'दूसरा ताशकंद नहीं' दिवस

मई 5–7 भा०प्र०स०, भागलपुर

— निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन एवं अन्य सुधारों की मांग

— सिंध के सभी विस्थापितों के पूर्ण पुनर्वास और उन्हें नागरिकता का अधिकार प्रदान किये जाने की मांग

— कृषि भूमि की ऐसी हदबंदी करने की मांग जिससे एक परिवार को 1500 रु० प्रति मास की औसत शुद्ध आय हो सके

— पूर्ण आत्मनिर्भरतायुक्त विकास की दर 10 प्रतिशत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग

— 2,000 रु० प्रतिमाह तक एक परिवार के लिए खर्च की सीमा बांधने की मांग

जून 4–11 आकाशवाणी और दूरदर्शन का सत्तादल के हितों के पोषण के लिए इस्तेमाल के विरोध में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर प्रदर्शन और इसका स्वशासी निगम बनाने की मांग

19 महाराष्ट्र में हरिजनों पर अत्याचारों के विरोध में बम्बई में हुतात्मा चौक पर जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल विहारी वाजपेयी की सांकेतिक भूख-हड़ताल

जुलाई 5 सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के नेतृत्व में, जनसंघ के केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली पर प्रदर्शन और हमला, जो निरस्त कर दिया गया

7 कलकत्ता में जनसंघ कार्यालय पर कांग्रेसियों का हमला

13 शिमला समझौते का विरोध करने के लिए लगभग 1,000 महिलाओं का प्रधानमंत्री के निवास के सामने धरना

25 पाक-अधिकृत क्षेत्रों से भारतीय सेना की वापसी के विरोध में गदरारोड (राजस्थान) में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सत्याग्रह का भेरीनाद

31 शिमला समझौते के विरुद्ध संसद के समक्ष 50,000 से भी अधिक लोगों का प्रदर्शन

अगस्त 3 सुखो-चक (स्यालकोट क्षेत्र) में श्री जगन्नाथराव जोशी द्वारा सत्याग्रह का श्रीगणेश

(*1972*) अगस्त 7	महंगाई के विरोध में आंदोलन आरंभ; खेड़ा (गुजरात) में पुलिस की गोली से दो प्रदर्शनकारियों की मृत्यु
8	डा० भाई महावीर के नेतृत्व में सुईगाम (गुजरात) में सेनावापसी के विरोध में सत्याग्रह आरंभ
11	भैरोंनाथ मंदिर पर (स्यालकोट क्षेत्र) वीर यज्ञदत्त शर्मा का धरना
15	अखंड भारत के संकल्प के साथ श्री अरविन्द शताब्दी समारोह
अक्तूबर 31	585 वनवासियों की वायनाड (केरल) के सरकारी दफ्तरों पर घिराव करते हुए गिरफ्तारी; 101 वनवासियों का त्रिवेन्द्रम जाकर प्रदर्शन और उनकी वनभूमि व गिरिभूमि पर उनके स्वामित्व अधिकार के माने जाने की मांग
नवम्बर 20	सभी विदेशी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा भारत में किये जा रहे कार्यकलापों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की मांग
दिसम्बर 3–17	'जय जवान' पखवाड़ा
—	छम्ब, धूम और घीकोट को पाकिस्तान को सौंपने के खिलाफ 'विरोध दिवस'

परिशिष्ट झ

कच्छ समझौता

[भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच 30 जून 1965 का समझौता]

यतः भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने, इस विश्वास के साथ कि इससे सम्पूर्ण भारत-पाक सीमा पर विद्यमान तनाव कम होगा, गुजरात/पश्चिमी पाकिस्तान सीमाक्षेत्र में, युद्धविराम करना तथा 1 जनवरी 1965 के पूर्व की स्थिति कायम करना स्वीकार किया है;

यतः पूर्वोक्त गुजरात/पश्चिमी पाकिस्तान सीमाक्षेत्र में पूर्वस्थिति की स्थापना के बाद यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में सीमा के निर्धारण तथा अंकन की व्यवस्था की जाय ;

अतः दोनों सरकारें यह समझौता करतीं हैं कि उपर्युक्त क्षेत्र के विषय में निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी :

अनुच्छेद 1

1 जुलाई 1965 के 00.30 बजे (ग्रीनविच समय) से अविलम्ब युद्धविराम हो जायेगा।

अनुच्छेद 2

युद्धविराम होने पर

(1) दोनों ओर की सेनाएं तुरन्त पीछे हटना प्रारम्भ कर देंगी।

(2) यह काम सात दिन में पूरा हो जायेगा।

(3) तदुपरांत भारतीय पुलिस छडबेट की चौकी पर कब्जा कर सकती है किंतु उसका संख्याबल 31 दिसम्बर 1964 के उसके बल से अधिक नहीं होगा।

(4) भारत और पाकिस्तान की पुलिस उन मार्गों पर गश्त लगा सकती हैं जिन पर वे 1 जनवरी 1965 के पहले गश्त लगाती थी किंतु गश्त की तीव्रता 1 जनवरी 1965 से अधिक नहीं होगी तथा मानसून के दिनों में 1964 के वर्षा काल से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि भारत और पाकिस्तान के गश्ती दस्ते एक दूसरे के सम्पर्क में आवें

तो वे परस्पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा विशेषतः जनवरी 1960 में स्वीकृत भारत पाकिस्तान भूमि-नियमों के अनुसार बर्ताव करेंगे।

(6) युद्धविराम के तुरन्त बाद और जब-जब जरूरत हो, दोनों सरकारों के अधिकारी धारा (3) से (5) तक के क्रियान्वयन तथा उसमें उत्पन्न समस्याओं के सुलझाने के लिए मिलेंगे।

अनुच्छेद 3

(1) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि (अ) भारत का दावा है कि इस विषय में कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं हैं, क्योंकि विभाजन-पूर्व के मानचित्रों में कच्छ के रण के उत्तर के छोर की लगभग सुनिश्चित सीमा है, जिसका भूमि पर अंकन करना ही शेष है

(ब) पाकिस्तान का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कच्छ के रण के मध्य से लगभग 24 अक्षांश के साथ है जैसा कि विभाजन-पूर्व के अनेक अभिलेखों में पता चला है और इसलिए लगभग 3500 वर्गमील का क्षेत्रीय विवाद है

(स) जनवरी 1960 की वार्ता में दोनों सरकारों के मंत्रियों ने यह निर्णय किया था कि कच्छ-सिन्ध सीमा के बारे में और तथ्य एकत्रित किये जायें तथा इस विवाद के हल के लिए आगे बातचीत की जाय

(द) अधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 2(6) में बताये काम को समाप्त करते ही जो युद्धविराम के एक महीने के भीतर होगा, दोनों सरकारों के मंत्री अपने-अपने दावों को ध्यान में रखते हुए सीमा के निर्धारण तथा उसके अंकन की व्यवस्था के लिए समझौते के हेतु मिलेंगे। इस बैठक में तथा निम्नलिखित अनुच्छेद 3 (2) और (4) में वर्णित ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनों सरकारें अपने-अपने पक्ष का पूर्णतः प्रतिपादन करने को स्वतंत्र होंगी।

(2) यदि युद्धविराम के दो महीने के अन्दर दोनों सरकारों के मंत्री सीमा के निर्धारण के संबंध में एकमत नहीं हो पाते तो दोनों सरकारें, 24 अक्तूबर 1959 के संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, निम्न (3) में बताये गये ट्रिब्यूनल का गठन करेंगी। यह ट्रिब्यूनल उसके समक्ष प्रस्तुत दावों और सबूतों के आधार पर सीमा का निर्धारण करेगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अन्तिम एवं अनिवार्य होगा।

(3) इस हेतु युद्धविराम के चार मास के भीतर 3 व्यक्तियों का एक ट्रिब्यूनल बनाया जायेगा जिसमें कोई भी भारत या पाकिस्तान का नागरिक नहीं होगा। प्रत्येक सरकार एक सदस्य को नामांकित करेगी तथा तीसरा सदस्य, जो अध्यक्ष होगा, दोनों सरकारें मिलकर नामजद करेंगी। यदि दोनों सरकारें युद्धविराम के तीन मास के अंदर तीसरे व्यक्ति के चुनाव पर एकमत नहीं हो पातीं, तो वे

संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान सचिव से उसकी नियुक्ति की प्रार्थना करेंगी।

(4) उपर्युक्त ट्रिब्यूनल का निर्णय दोनों सरकारों पर अनिवार्य होगा तथा किसी भी आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दोनों सरकारें वचन देती हैं कि वे ट्रिब्यूनल के निर्णय को यथाशीघ्र लागू करेंगी और यदि व्यवहार में कोई कठिनाई हुई तो उसे ट्रिब्युनल के समक्ष रखेंगी; अतः जब तक निर्णय पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, ट्रिब्यूनल बना रहेगा।

इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए निम्नांकित ने यह समझौता हस्ताक्षरित किया और जून 1965 की 30 तारीख को दो प्रतियों में अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया।

ह० श्री अर्शाद हुसैन
पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि

ह० श्री अजीम हुसैन
भारत सरकार के प्रतिनिधि

परिशिष्ट ट

मुद्रण संशोधन

भाग 1

पृष्ठ	पंक्ति	मुद्रित	संशोधित
(v)	2	मध्यमवर्गीय	मध्यमार्गीय
(vi)	14	किया गया था	किया गया
(ix)	13	नीतियां	नीति
(ix)	18	नीतियां	नीति
(ix)	21	सस्मत	समस्त
9	25	सर्व	सर्व
10	29	विचार न	विचार न करके
10	29	अर्थपरायण मानव	'अर्थपरायण मानव'
11	20	दोनों शक्ति	दोनों शक्तियों
23	16	भू-भाग को	भू-भाग की
44	5	जिनके	और उनके
45	10	विकासार्य	विकासार्थ
57	7	जीवनोपार्जन	जीविकोपार्जन
72	19	शासनाकूल	शासनानुकूल
138	5	दत्तकधिधान	दत्तकविधान
139	34	चारा	धारा
189	30	उपयुक्त	उपर्युक्त
193	16	स्य	सदस्य
199	21	लेख	लेखा
212	27	अवसर पर	अवसर

भाग 2

(v)	2	मध्यमवर्गीय	मध्यमार्गीय
(vi)	14	किया गया था	किया गया
(ix)	13	नीतियां	नीति
(xi)	18	नीतियां	नीति
(xii)	19	59.17	57.17
16	21	के बारे	के बारे में
30	9	4 जून	14 जून
83	14	4 जून	14 जून
88	12	25 अप्रैल	26 अप्रैल
112	11	25 अप्रैल	26 अप्रैल
115	29	वर में समानता	कर में समानता।
119	7	2 जनवरी	1 जनवरी
122	25	स्तिथि	स्थिति
154	32	30 जुलाई	30 जून
157	2	16 सितम्बर	19 सितम्बर
199	8	2 जनवरी	1 जनवरी
202	13	30 जुलाई	30 जून

पृष्ठ	पंक्ति	मुद्रित	संशोधित
202	14	26 सितम्बर	19 सितम्बर
203	1	4 जून	14 जून
203	2	4 जून	14 जून
203	5	25 अप्रैल	26 अप्रैल
203	6	25 अप्रैल	26 अप्रैल

नोट (1) पृष्ठ (xv) पंक्ति 8 के पश्चात प्रस्ताव 72.12 के लिए भाग 5 देखिये
(2) ,, 194 ,, 16 ,, 72.12 ,, ,, ,, ,,
(3) ,, 203 ,, 17 ,, 72.12 ,, ,, ,, ,,

भाग 3

(iv)	35	मध्यमवर्गीय	मध्यमार्गीय
(ix)	13	नीतियां	नीति
(ix)	18	नीतियां	नीति
6	5	1962 को	1962 की
12	31	आवश्यकतासों	आवश्यकताओं
27	35	सुनने	सुनाने
36	31	आने	जाने
39	15	असंतोषजगक	असंतोषजनक
49	24	30 रु०	20 रु०
49	33	के०क०स०	के०का०स०
56	27	पाकिस्तान	तुकेरग्राम
62	13	स्थिति से	स्थिति
72	31	भी भली भांति	भलीभांति
89	28	चाहता है	चाहते हैं

नोट (1) पृष्ठ (xv) पंक्ति 26 के पश्चात् कच्छ करार के लिए भाग 5 देखिए
(2) ,, 204 ,, 31 ,, ,, ,, ,, ,, 5 ,,

भाग 4

4	35	मध्यमवर्गीय	मध्यमार्गीय
10	22	37	38
79	30	पंचतंत्र	पंचाट
83	28	उसके	उनके
89	15	लुढ़कने	व लुढ़कने
89	27	भाषामयी	भाषायी
132	25	दंड	दंड की
172	34	31 जून	13 जून
197	36	घसंनज	जनसंघ
213	23	की बजाय	के साथ-साथ
213	23	को स्थान	को भी स्थान
226	2 (स्तंभ 7)	155	145
227	18 (स्तंभ 7)	181	81

पृष्ठ	पंक्ति	मुद्रित	संशोधित
227	19 (स्तंभ 7)	89	189

नोट—पृष्ठ 58, पंक्ति 21 के पश्चात् 'निर्णय का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के' जोड़िये

भाग 5

19	34	"जनसंघ	जनसंघ
19	35	वेतन	"वेतन
20	6	प्रभुत्ता	प्रभुता
20	8	का जन्म-	का यह जन्म-
31	30	रहा	रही
33	29	जिसमें	जिससे
34	32	निम्मलिखित	निम्नलिखित
41	8	राज्य ध्वज	राष्ट्र ध्वज
41	18	वह श्रेष्ठ	वह इस श्रेष्ठ
43	22	राज्य-	राज-
51	26	पर	से
51	35	अनभव	अनुभव
52	1	और	और उससे
58	15	स्थिति	स्थितियों
58	25	स्वतंत्रताएं भी	स्वतंत्रताएं
62	14	दल	दलों
65	11	राज्यपाल	राज्यपालों
74	8	महुमत	बहुमत
81	5	पिछड़े	पिछड़े हुए
81	6	के आधार पर	के सहारे
83	25	एकता भी	एकता की
89	23	दूसरा	बम्बई, दूसरा
92	5	पाने	हो जाने
94	28	ज्ञताब्दि	शताब्दि
98	14	लिए	लिए यह
109	34	लजे	जेल
112	3	प्रेरणदायक	प्रेरणादायक
113	13	निर्णय को	निर्णय की
135	15	44	45
136	15	टिप्णी	टिप्पणी
137	5	20 जुलाई	20 अक्तूबर
137	6	20 जुलाई	20 अक्तूबर
155	8 (स्तंभ 7)	2	4
157	6 (स्तंभ 8)	118	177
175	23	63.13	64.13
175	24	63.14	64.14
183	9 (स्तंभ 26)	44,78,188	44,98,188

अनुक्रमणिका

अध्यापकों की—
दुर्दशा 23
हड़ताल 47
अन्तर्राज्यीय परिषद 66
अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों—
की स्थिति 95
के लिए कार्यक्रम 97
अब्दुल्ला द्वारा बाधाएं 87
अभारतीयकरण 38
अभियान—
अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध, 99
क्रान्तिकारी, 98

आधार, ममता व समता का 95
आर्थिक—
स्थिति, गंभीर 125
सुविधाएं 99
आवाहन 122

उत्पादन, घटता 125
उपचुनावों में पराजय की जांच 120

अंग्रेजी—
का विस्थापन 41
चिरकाल के लिए, 45
भक्त, दो प्रतिशत 37

कार्यक्रम—
लोकनिर्माण व जागरण का व्यापक, 85
व्यापक रचनात्मक, 84
काश्मीर प्रतिज्ञा दिवस 120
कीमतें, चढ़ती 126
कोठारी आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति 47
कांग्रेस—
की चालें 69
सरकार की तानाशाही 54

गरीबी, बढ़ती 125

चुनाव—
आयोग की भूमिका 67
आरोप 67, 73
आरोपों की निष्पक्ष जांच 53, 70
कलंक, काश्मीर में 62
कानून में संशोधन 53
कानूनों में एकरूपता 64
की व्यूहनीति 115
के खर्चे 70
खर्च राज्य के ऊपर 72
प्रणाली 69
—में सुधार 72
प्रसारण 60
पद्धति 75
—में सुधार के लिए आन्दोलन 73
भ्रष्टाचार, भीषण 63
राष्ट्रपति का, 115
लोकसभा का मध्यावधि, 67, 69

चुनाव—(जारी)
स्वतंत्र व निष्पक्ष, 59
सन् 1972 के प्रान्तीय, 71
समझौते 107, 114
सुधार 75
से पूर्व मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 61
क्षेत्रों में फेरबदल 59, 60
चेचक का टीका, मतदाताओं को 60

छूतछात का अभिशाप 97

जज, अवकाशप्राप्त 55
जनसंघ—
का—
ध्वज 107
संविधान 107, 108
महासभा व परिषद का विलय 110, 110, 113, 114
में विलय, प्रजा परिषद का 118
से संबंधन, प्रजा परिषद का 113, 113
जम्मू-काश्मीर के शहीद 112

थारपारकर की वापसी नहीं 100

दीनदयालजी, मंत्रदृष्टा 120, 122
(सादाजीवन उच्चविचार) 121

धनशक्ति का अभूतपूर्व दुरुपयोग 71

न्यायपालिका—
की स्वतंत्रता को ख़तरा 68
व कार्यपालिका का पृथकीकरण 55
नजरबंदी कानून 54, 55
नागरिक स्वतंत्रता का हनन 58
निर्योग्यताओं का निवारण 99
निष्क्रमण पत्रों पर रोक 91

प्रशिक्षण, सदाचार व सैनिक 23
प्रेस की स्वतंत्रता का हनन 87
पिछड़ेपन की समाप्ति, निश्चित अवधि में 97
पिछड़े वर्गों—
का उत्थान 85
की नियुक्तियां 96
के लिए—
कुटीर उद्योग 96
रचनात्मक कार्यक्रम 83
पुनर्वास—
काश्मीरी विस्थापितों का, 87
में विस्थापितों का सहयोग 93
विस्थापितों का, 86, 88, 89, 91
पुल, गोदावरी नदी का 94
पंजाब, द्विभाषी 28
पंजाबी—
की लिपियां 34
सूबे की मांग 34

बेरोजगारी का भत्ता 127

भाषा—
का थोपना नहीं 46
राष्ट्र जागरण की, 27
विधेयक—
उपनिवेशवादी, 37
(मातृभाषा द्वारा शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार 38)
(लोकतंत्र विरोधी विधेयक 37)
विवादास्पद, 36
समस्या, पंजाब की 25, 28, 34
भाषाओं—
द्वारा—
शिक्षा, क्षेत्रीय 44
सामाजिक समतावाद, भारतीय 38
में, भारत की अभिव्यक्ति भारतीय 24
भाषाएं राजभाषाओं के रूप में, प्रादेशिक 27
भाषायी—
नीति 21, 29, 35, 39
स्वराज्य व स्वभाषा 41
भाषियों के हित, अहिन्दी 36

महिलाओं की साझेदारी, शासन कार्य में 83
मातृभाषा द्वारा शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार (देखिये : भाषा विधेयक)
मुखर्जी को श्रद्धांजलि, डा० 108, 112
मुक्ति, चौबीस वर्षीय दासता से 100

रघुवीर, कर्मयोगी आचार्य 116, 117
राज्यपाल (लें) का—
रवैया 62, 65
स्वविवेक 66
राजनीतिक दलों को मान्यता 61

राजभाषा 43, 45
(त्रिभाषा सूत्र 43)
—आयोग का प्रतिवेदन 24, 27
राजभाषाएं, प्रांतों की 38
रोजगार के अवसर 99

लिपि, एक 21
लोकतंत्र-विरोधी विधेयक (देखिये : भाषा विधेयक)
लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम 30

विस्थापित (ों)—
उपेक्षित, 92
पर गोली 94
पूर्वी बंगाल के, 94
शिविरों की समाप्ति 94
सिंध के, 100
वेतनमान, उलझनपूर्ण 127

शिक्षा—
आम जनता की 24
का माध्यम, उच्चतम 44
प्रणाली—
का पुनर्निर्धारण 22, 32
दूषित, 32
व पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण 33
शैक्षिक—
स्वायत्तता 23
सुविधाएं 98

स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दि 115
स्वराज्य, अधूरा 43
सरकार की आलोचना पर पाबंदी 87
सरकारी व्यवहार, अमानवीय 100
सादा जीवन उच्च विचार (देखिये : दीनदयालजी, मंत्रदृष्टा)
सामाजिक समानता 98
सिंधी—
को जोड़ें, आठवीं अनुसूची में 32
भाषा 31
संविधान का उल्लंघन 35
संस्कृत प्रसारण 40

हिन्दी आन्दोलन 25, 25, 31
—पर दमनचक्र 25
हिन्दू—
उत्तराधिकार विधेयक 57
कोड बिल 56
साम्प्रदायिक नहीं 111

क्षतिपूर्ति—
अत्यल्प, 88
अविलंबनीय, 86
में सरकारी अंश 90
योजना, दोषपूर्ण 88
विधेयक व निष्क्रांत संपत्ति विधेयक 90
शत प्रतिशत, 88
क्षेत्रीय फार्मूला 28

त्रिभाषा सूत्र (देखिये : राजभाषा)